Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

हिंदी साहित्य में व्यंग्य साहित्य की चुनौतियाँ (राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में)

डॉ. बबीता रावत
सहरावत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हथीन (पलवल)

हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यंग्य लोक–हास्य के साथ सोद्देश्य लेखन है जो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मानव के सुधार की आकांक्षा व उद्देश्य को केन्द्रित कर लिखा जाता है। व्यंग्य का प्रयोग साहित्य में चेतना, शैली और विधा तीनों रूपों में हुआ है। साहित्यकार या सहृदय संवेदनशील व्यक्ति का चिंतन, आक्रोश, प्रहारक शक्ति एवं करुणा, कुंठा, घुटन मिलकर सृजन एवं परिवर्तन भी कर सकते हैं, और संहारक या विघटन की भी शक्ति रखते हैं।

हिंदी साहित्य के इतिहास में यद्यपि रीतिकाल में तो श्रृंगारिक रचनाओं का आधिक्य रहा है फिर भी यत्र–तत्र व्यंग्य उपलब्ध होता है। बिहारी ने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा था–

''नहि पराग नहि मधुर मधु नहि विकास इहि काल,
अली कली ही सौं बिंध्यौ, आगे कौन हलाल।''

बिहारी सतसई

मध्यकाल में कबीर दास जी ने भी बहुत ही तीक्ष्ण व्यंग्य किये हैं और मानवीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया और बिना पक्षपात किये हिंदु, मुसलमानों पर व्यंग्य बाण चलाये हैं यथा–

''कांकर पाथर जोरि के, मस्जिद लई चुनाय।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय''

कबीर की साखी

इसी प्रकार–

''मूंड मुंडाय हरि मिले, सब कोई लेय मुंदाय,
बार–बार के मूंडते भेड़ न बैकुण्ठ जाय''

कबीर की साखियाँ

इसी प्रकार सूरदास एवं तुलसीदास जी की रचनाओं में भी व्यंग्य के दर्शन होते हैं। भारतेन्दु युग राष्ट्रीय जागरण काल का था। हिंदी नाटकों में भारतेन्दु जी ने ग्रेजुएटों की स्थिति पर भी व्यंग्य करते हुये यह मुकरी लिखी थी–

''तीन बुलायें, तेरह आवें। निज निज विपता रोई सुनावे
आँखों फूटे, भरा न पेट, क्यों सखि सज्जन नहीं
ग्रेजुएट''

जन्मदाता एवं व्यंग्य कला के जनक भारतेन्दु जी के नाटक 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा' से स्पष्ट हो जाता है जैसा उन्होंने भारत की गुलामी एवं अंगरेजों के शासन पर कटाक्ष किया है कि अन्याय से परिपूर्ण राज्य में किसी भी नागरिक के साथ न्याय की आशा रखना व्यर्थ है। इसमें कुछ व्यंग्य अत्यंत ही रोचक हैं। तद्कालीन भ्रष्ट व्यवस्था पर यथा–

जात वाला ब्राह्मण जात ले, जात टके सेर जात।
एक टका दो, हम अभी जात बेचते हैं।
जैसी कहो वैसी व्यवस्था कर दें...
टके के वास्ते झूठ को सच कर दे,
टके के वास्ते ब्राह्मण को मुसलमान,
टके के वास्ते हिंदु को क्रिस्तान,
टके के वास्ते पाप को पुण्य माने।
'अंधेर नगरी चौपट राजा'

भारतेन्द्र हरिश्चन्द

द्विवेदी युग में भी, देवकीनंदन खत्री, ब्रजेन्द्रनाथ पाण्डे एवं बालकृष्ण भट्ट जी आदि साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं में तद्कालीन देश की राजनैतिक परिस्थितियों के प्रति क्षोभ व्यक्त किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब स्वदेशी शासक भी मनमानी शासन व्यवस्था लागू करने लगे, अंगरेजों की ''फूट डालो राज्य करो'' वाली नीति का प्रयोग करने लगे। विदेशी शासन की बुराईयाँ का स्वदेशी शासकों में भी आ गई तो साहित्यकारों का मोह भंग हुआ और अब इनके लिए मौन रहकर अन्याय सहना कठिन हो गया। जिन राष्ट्रवादी कवियों ने देश की आजादी के लिए देश के

गौरव के लिए अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति दी, जेल में यातनायें सहीं, आजादी की प्राप्ति के बाद अपने ही साथियों से धोखा खाया, जो अब शासक बन चुके थे तो उनका मन कराह उठा। अपनी पीड़ा मैथिलीशरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, उन्होंने भी 'भारत भारती' की अधोगति पर ध्यान आकर्षित कराया है–

''हम कौन थे क्या हो गये और क्या होंगे अभी
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्यायें सभी।''

(भारत–भारती)

अपनों की धोखाधड़ी से माखनलाल जी ने द्रवित होकर 'उलाहना' दी, क्योंकि 'उलाहना' तो 'सगों' को ही दी जाती है शिकायत का भाव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना में दृष्टव्य है–

भुला दी सूलियों जैसे जमाने में
सभी कुछ तालियों में पा लिया तुमने।
न तुम बहले, न युग बहला, भले साथी,
बताओ तो किसे बहला लिया तुमने,
तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं वे
उन्हें भी देखने का तुम समय पाओ
तुम्हारी आन पर कुरबान जाते हैं,
अमीरी से जरा, नीचे उतर आओ।
तुम्हारी बाँहों में बल है जमाने का
तुम्हारे बोल में जादू जगत का है,
कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो,
कि दलिया न्योतता, रमलू भगत का है।

'उलाहना' (माखनलाल चतुर्वेदी)

छायावादी युग में अधिकतर सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य है– जैसे निराला की रचना 'कुकुरमुत्ता' में गुलाब को धनी वर्ग का प्रतीक स्वार्थी और शोषक की संज्ञा जबकि 'कुकुरमुत्ता' को शोषित वर्ग का प्रतीक माना गया है। इसे सत्ताधारी वर्ग एवं शासक वर्ग का प्रतीक भी समझा जा सकता है क्योंकि जिसके पास सत्ता है शासन है वो अमीर ही होगा और जो शोषित है वो शासित आम व्यक्ति आम जनता ही होगी।

''सुन बे! गुलाब
भूल मत जो पाई खुशबू रंग ... ओ ... आब
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट,
डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट।''

'कुकुरमुत्ता' निराला

पंत जी ने यह कहा– देशकाल और स्थिति से ऊपर मानवता को करो प्रतिष्ठित।

इसी प्रकार 'पंत' जी ने अपनी कविता 'ताज' में मृत्यु के अमर और 'अपार्थिव' पूजन पर गहरा व्यंग्य किया है। यथा–

हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन,
जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन।
संग–सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन,
नग्न क्षुधा तुर, वास विहीन रहें जीवित जन।
''शव को दें हम रंग रूप आदर मानव का
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का।''

ऐसा दिखावा है हमारे देश का गाँव देहात, नगर–महानगर की जनता बेहाल है तंगहाल है रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यक प्राथमिकताओं के लिए मृतप्राय हो रही है, वहीं नेताओं, सत्ताधारियों की 'शवयात्रा' पर भरपूर राशि खर्च की जा रही है। इनकी मूर्तियों का आकार बढ़ रहा है मानव का मूल्य घट रहा है।

पंत जी ने यह भी कहा– देशकाल और परिस्थिति से ऊपर 'मानवता' को करो प्रतिष्ठित प्रगतिवादी युग से ही साहित्यिकों को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिली। और राजनैतिक सामाजिक विसंगतियों के कारण साहित्यकारों की रचनाओं में व्यंग्य उभरकर आया।

बंगाल के अकाल के समय एक ओर तो कलकत्ता के गोदामों में भरा अनाज सड़ता रहा और दूसरी ओर अन्न के अभाव में दम तोड़ती हुई लाखों का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। बंगाल के अकाल पर लिखी गई 'नागार्जुन' की कविता –

''कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतियो, सोई उसके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।''

'अकाल और उसके बाद' नागार्जुन

अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक माने गए हैं इनकी रचनाओं में भी राजनीतिक व्यंग्य व्यक्त हुआ है, इनकी रचनायें शोषक मैया, 'बावरा अहेरी', 'हरा भरा है देश' आदि।

राजनीतिक व्यंग्य .....

प्रयोगवाद, 1943 तारसप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। 'धूमिल' का काव्य संग्रह– 'संसद से सड़क तक' में इन्होंने बड़ी तल्खी से कहा है–

''क्या आजादी सिर्फ तीन थके रंगों का नाम है?
जिन्हें एक पहिया ढोता है या इसका कोई खास मतलब होता है?
और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं चुपचाप।''

'संसद से सड़क तक'

वर्तमान व्यवस्था की तरह आम आदमी को पाला मार गया है दुष्यंत कुमार त्यागी की गजलों में इस व्यवस्था के प्रति असहायता निराश कुंठा है, 'आजाद' के बाद के वादे आज तक अधूरे हैं–

''कहाँ तो तय था चिरागें हरेक घर के लिए,
कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।
यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है,
चलो यहां से चलें दूर उम्र भर के लिए।

'साये में धूप'

भवानी प्रसाद मिश्र जी रचना 'गीतफरोश' में कवि का अवसादपूर्ण व्यंग्य है–

''जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं .....

स्वतंत्रतापूर्व अंगरेज शासन यह जानता था कि यदि भारत नामक इस उपमहाद्वीप की प्रमुख जातियां हिन्दु एवं मुसलमान में एकता रहे तो, उनके लिए यहां शासन करना बहुत मुश्किल हो जायेगा इसलिये उन्होंने हमेशा यह प्रयास बनाये रखा कि दोनों जातियां आपस में लड़ती रहें एवं कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित न हो सके, इसका जीता जागता उदाहरण भारत–पाक विभाजन है, जो आज भी नासूर बना हुआ है। किंतु आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सत्ताधारी वर्ग इसी नीति को अपनाए हुए है और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। यह राजनीति की चालों का ही परिणाम है। साहित्य में सांप्रदायिकता के प्रति गहरा क्षोम पैदा हुआ एवं प्रत्येक युगवेत्ता एवं सत्यद्रष्टा रचनाकार ने इसका विरोध करते हुये इस पर 'झंडा ऊँचा रहे हमारा' की लोकधुन पर व्यंग्य लिखा–

''कोठी कार दिलाने वाला
खुरचन खीर खिलाने वाला
घर भर को हर्षाने वाला
भरता रहे रोज भण्डारा
चन्दा–बन्दा रहे हमारा''
'शर्मा जी'

इन कवियों ने महंगाई, टैक्स, पुलिस के अत्याचार, शिक्षितों की बेकारी आदि विषयों पर तथा दलबदलू नेताओं, भ्रष्टाचार एवं अन्य राजनीतिक विसंगतियों पर अपनी लेखनी चलाई है–

स्वातंत्र्योत्तर युग में आजादी के सत्तर वर्षों के बावजूद जो आज देश की स्थिति है उससे कवि मन चीत्कार कर उठता है। यथा–

''निःशक्त हमारे ही परिजन हैं
उनका हम कल्याण करें
अपने जीवन के जैसा ही
हम उनका भी उत्थान करें''

गिरीश पंकज

इसी प्रकार रिश्वत लेना–देना भी आम बात हो गई है। इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है जैसे दस्तूर हो–

''न्यायालय में तेरा तप है
धर्मालय में तेरा जप है
दुनिया भर में तेरी खप है
दशदिशि तेरा पुष्प उदय हो
रिश्वत रानी तेरी जय हो।''

गिरीश पंकज

इसी प्रकार 'नेता' को लक्ष्य बनाकर ब्रजभाषा में भी 'पैरोडी' की है–

''नेताजी मेरे औगुन चित्त न धरो।
सेवा सों सूनों हिय–सर हैं, स्वास्थ्य नीर भरो।।
परमारथ को नाम सुनत ही हां बिन मौत मरो।
रिसबत को रुपया चट चाट्यौ, चन्दा चुप चरो।।

जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी एक भारतीय आत्मा की उपाधि प्राप्त कवि ने अंगरेजी शासन के विरोध में जेलखाने में सजा भुगते वक्त लिखा था–

''काली तू रजनी भी काली
शासन की करनी भी काली
'कैदी और कोकिला'

यह उक्ति वर्तमान में भी स्पष्ट एवं सटीक है। आज भी अवसरवादी बहुरूपिए नेताओं पर यही व्यंग्य किया जा सकता है। साथ ही ऐसे साहित्यकारों पर भी व्यंग्य किया, जिन पर राजनीति का रंग चढ़ने लगा था, वे भी तिकड़म से प्राप्त भौतिक उपलब्धियों का रस पीने को लालायित होते हैं, किस तरह लोकतंत्र में राजनीतिक विसंगतियां अपने नग्न रूप में प्रकट होती हैं। हर पाँचवें साल में होने वाले चुनाव, विधानसभाएं, संसद, नेताओं के भाषण, अवसरवादिता, सिद्धांतहीन, उद्देश्यहीन, स्वार्थपरख, दलबदलने वाले समस्त राजनीति स्टंट और राजनीति के व्यक्तियों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। राजनेता उनके (जनता के) दुःख– दर्द दूर करने का आश्वासन देते हैं और फिर स्वयं ही उनके दुःख–दर्द का कारण बन जाते हैं। अपने किये वादों को तुरंत भूल जाते हैं। व्यंग्यकार गिरीश पंकज जी ने जनता को सावधान किया है–

काजू, व्हिसकी, सुंदरी रिश्वत, जिनका कर्म।
राजनीति में हैं सफल, तन मन से बेशर्म।।

गिरीश पंकज

इसी प्रकार इन्होंने आगे लिखा है–

''आया फिर गणतंत्र दिवस
भाषणबाजी, नारेबाजी फिर हो गया, जस का तस।
न निकला कुछ भी निष्कर्ष
आया फिर गणतंत्र दिवस''
'ट्यूशन शरण गच्छामि'

काका हाथरसी ने फिल्मी गीतों से लेकर साहित्यिक रचनाओं की पैरोडियों लिखी हैं। गिरीश पंकज जी ने भी सूरदास के पद ''प्रभु मोरे अवगुन चित्त न धरों....'' की पैराडी समसामयिक विसंगतियों का संदर्भ देते हुए लिखी, जो हास्ययुक्त व्यंग्य की सृष्टि करती है और आज के नेता के व्यक्तित्व को दर्शाती है–

''प्रभु मोरे अवगुन चित्त न धरौ।
समदरसी है नाम तिहारो, इनकम टैक्स हरौ।
दान–पुण्य का नाम सुनत, ही हृदय कमल पजरो।
गोदरेज की सुघर तिजोरी, जामे नोट धरौ।
यह जनता मर जाये भूखी, मेरौ उदर भरौ।।''

इसी प्रकार 'मंत्री को जुकाम' एवं 'रावण का सिर' आज की व्यवस्था तो दर्शाती है इस शासन व्यवस्था का 'रावण ऐसा है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि यह सत्ताधारी बौद्धिकवर्ग प्रतिदिन ताकतवर, हो रहा है। परंतु इसको मारने वाला पराजित करने वाला 'राम' कहीं नहीं दिखाई देता। बहु राष्ट्रीय कम्पनियां, जो यहां के उद्योग धंधों को उजाड़ रहे हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, संप्रदायिकता, घोटाले, अंगरेजियत, नैतिक पतन के साथ–साथ रक्षक 'पुलिस भी रावण है।' मंत्रियों को 'जुकाम' होता है तो वे स्वास्थ्य लाभ के लिये विदेश जाता है, गरीब जनता को सामान्य चिकित्सा लाभ भी प्राप्त नहीं होता।

वर्तमान काल में 'राजनीति' जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्त्व है। और इस राजनीति को धारण करने वाले राजनीतिज्ञ और नेता हैं इनके क्रियाकलाप छलकपट से इतने भरे हुए हैं कि इन पर विश्वास करना असंभव हो गया है। आज हमारे भारत देश में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की, राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। साहित्यकारों ने जैसे– यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत त्यागी, भीष्म साहनी, आदि–अनादि देश के नेताओं और राजनीति के प्रति असंतोष प्रकट किया है। संवेदनशील साहित्यकार शोषण और अत्याचार भ्रष्ट व्यवस्था के घोर विरोधी रहे हैं। और वर्तमान में हमारे देश की सबसे जटिल राष्ट्रीय समस्या है। इस चुनौती भरे जीवन का मूल्य व्यक्ति के साथ–साथ हमारा प्यारा वतन कई बार चुकाता आया है। अतः इसका समाधान कर, इसे जड़ से समाप्त करना होगा तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा।

''हिंद देश के निवासी सभी जन एक है
रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है।''

हम कह कह सकते हैं कि बहुलतावादी देश होते हुए भी हमारी चुनौतियां बड़ी हैं। इसलिए हममें अनेकता में एकता का अहसास हमेशा बना रहता है। साहित्य और साहित्यकारों दार्शनिकों और कला प्रेमी शासकों ने अपने–अपने काल में अपने–अपने ढंग से सम्प्रदायों के बीच सौहार्द कायम करने का प्रयास किया। मानवता की आवाज बुलंद की और हमारी संस्कृति को समृद्ध किया।

''मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिंदी हैं हम वतन हैं

हिन्दोस्तां हमारा ..... सारे जहाँ से अच्छा .....''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. रामस्वरूप चतुर्वेदी, बोली और लोक–साहित्य का अन्तःसम्बन्ध पृ0 15
2. सत्येन्द्र, लोक साहित्य विज्ञान, पृ0 03
3. कृष्णदेव उपाध्याय, लोक साहित्य की भूमिका, पृ0 271
4. धर्म निरपेक्ष प्रजातंत्र को साम्प्रदायिक खतरा, राम पुनियानी, (अनुवादक–अमरीशहर देनिया) अगोरा प्रकाशन वाराणसी – 2019, पष्ठ 209
5. रामस्वरूप चतुर्वेदी, बोली और लोक–साहित्य का अन्तःसम्बन्ध पृ0 14
6. मिश्र श्रीधर, भोजपुरी लोकगीतों के विविध रूप, पृ0 65
7. हिंदी साहित्य का इतिहास : डॉ. नगेन्द्र मयूर पेपरबैक प्रकाशन, इलाहाबाद
8. भारतीय साहित्य– नागेन्द्र, प्रभात प्रकाशन 1988। पृष्ठ क्रं. 608।
9. मानव मूल्य और साहित्य (भूमिका), धर्मवीर भारती, पृ. 10–11.
10. हिंदी उपन्यास उपलब्धियाँ, डॉ. लक्ष्मी सागर, पृ. 26.

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

जनजातीय क्षेत्र मे कृषि उपज मण्डी का अध्ययन (मनावर तहसील के संदर्भ में)

प्रो. आनन्दसिंह ठाकुर
सहायक प्राध्यापक–भूगोल, शास. महा. खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र)

परिचय :– विज्ञान के इस युग मे विकासशील भारत जहाँ प्रगति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है वही आज भी जंगलों मे एसे व्यक्ति निवास करते है जो अधुनिकता से अछूते है संस्कृति के वर्तमान स्वरूप से सर्वदा अपरिचत है कृषि, उद्योग, शिक्षा, आदि से अनभिज्ञ तथा आदिमानव से कुछ ही अधिक विकसित है।

जनजाति व्यक्तियों का एक वह समुह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास करता है और जो किसी आदिपूर्वज को ही अपना उद्गम मानता है तथा एक सामान्य संस्कृति होती है और जो आज भी अधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे है।

अधिकांश जनजातिय ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है जहाँ 75 प्रतिशत से अधिक जनजातिय जनसंख्या कृषि में संलग्न है। कृषि जीविका अर्थोपार्जन का प्रमुख साधन है।

वर्तमान मे कृषक कृषि उपजों के उत्पादन को कृषि उपज मण्डी में विक्रय करता है। प्रदेश में कृषि उपजों का बेहतर नियमन एवं नियंत्रण स्थापित करने तथा कृषकों को बिचोलियों के शोषण से बचाने एवं समयावधी में कृषको की कृषि उपज का उचित मुल्य दिलाने एवं उनकों विपणन की सुविधाए उपलब्ध कराने में कृषि उपज मण्डी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में प्रदेश में 246 मंडिया एवं 273 उपमंडिया कार्यरत है।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समीतियों में भू–खण्ड, दुकान, गोदाम केण्टीन आदि के आवंटन के लिये म. प्र. कृषि उपज मण्डी नियम 2009 बनाए गये जो वर्तमान में प्रभावशाली है। कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगिण विकास के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन का प्रावधान 1973 में मण्डी अधिनियम में किया गया।

वर्ष 1973 से सत्त रूप से प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों के लिए मण्डी बोर्ड विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रभावशाली है।

1 . कृषि मण्डियों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण साईट प्लान्स एवं मास्टर प्लान का संपादन करना।

2. कृषि उत्पादन के विक्रेता को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना सही तौल के लिये व्यवस्थायें करना एवं उत्पादक को उसी दिन का मूल्य भुगतान कराना।

3. वित्तिय रूप से कमजोर कृषि उपज मण्डियों को अनुदान देना।

अध्ययन क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र मनावर एक प्रमुख जनजातीय क्षेत्र है, जो धार जिले की तहसील है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।

अध्ययन क्षैत्र मनावर की भोगोलिक स्थिति 22. 23° N से 75.08°E के मध्य नर्मदा घाटी में है। मनावर का कुल क्षैत्रफल 1061 प्रतिवर्ग कि.मी. है एवं इसकी कुल जनसंख्या 30393 है, साक्षरता 63 प्रतिशत है।

अध्ययन का उद्देश्य :– अध्ययन क्षेत्र मनावर तहसील की कृषि उपज मण्डी में प्रमुख फसलों की आवक जावक का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :– विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया जिसमें आँकड़ो का संकलन द्वितीय समंको के आधार पर किया गया है।

तालिका क्र. 01
कृषि उपज मण्डी में प्रमुख फसलों की
आवक – जावक (क्विंटल) में वर्ष 2013–14 से 2017–18

प्रमुख फसल	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
	आवक	जवक	आवक	जावक	आवक	जावक	आवक	जावक	आवक	जावक
गेहूँ	433801	433801	206221	206291	544947	544947	416151	416151	557866	557866
मक्का	260893	260893	388432	388432	480410	480410	746099	746099	865402	865402
ज्वार	0	0	57	57	293	293	180	180	0	0
सोयाबिन	54810	54810	24318	24318	34411	34411	42659	42659	99704	99704
क्पास	218422	218422	322563	322563	185143	185143	207675	207675	219263	219263
मिर्च	41851	41851	18383	18383	0	0	0	0	0	0
चना	6368	6368	8657	8657	5221	5221	2170	2170	9815	9815

स्त्रोत :– कृषि उपज मण्डी मनावर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 के पांच वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन के दौरा सर्वाधिक आवक–जावक मक्का की उपज वर्ष 2017–18 में 865402 क्विंटल रही है। इसके पश्चात् गेहूँ की उपज की आवक 557866 क्विंटल, और कपास वर्ष 2014–15 में आवक 322563 क्विंटल रही है। एवं उक्त पांच वर्षों के दौरान सबसे कम आवक ज्वार एवं मिर्च की रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. गुप्ता डॉ. मंजु (2017) ''जनजातियों का सामाजिक'' आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हॉउस, नई दिल्ली
2. कृषि उपज मण्डी मनावर (धार)
3. इन्टरनेट के आधार पर।

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

बाल यौन शोषण के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन (म.प्र. के सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र के संदभ में)

डॉ. चन्द्रकांता जैन
सहायक प्राध्यापिका, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)
भारती यादव
' शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

शोध सारांश :– यह अध्ययन बाल यौन शोषण के प्रति अभिभावकों की जागरूकता से सम्बन्धित हैं। इस अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि बाल यौन शोषण से बचाव के प्रति स्वंय अभिभावक कितनी जागरूकता रखते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में **वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि** का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में कुल 100 न्यादर्श का चयन किया गया है। न्यादर्श चयन हेतु **स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि** का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण के रूप में ''बाल यौन शोषण'' **जागरूकता मापनी** का प्रयोग किया गया है, परिणाम के रूप में पाया गया कि बाल यौन शोषण पर अभिभावकों की जागरूकता के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है।

प्रस्तावना :– हमारे देश में बच्चों को आने वाले कल का भविष्य और भविष्य का राष्ट्रनिर्माता कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्थान के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं को सुरक्षा, संरक्षण, सहयोग और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं की महती आवश्यकता है, ताकि वह पूर्ण रूप से विकसित हो सके और देश के आने वाले भविष्य में अपना पूर्ण योगदान दे सकें परन्तु वर्तमान परिस्थिति इतनी विपरीत है कि बच्चों की सुरक्षा एक चिन्ता का विषय बन गई है। मासूम बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे कम उम्र के होते हैं और समाज के अन्य लोगो से कमजोर भी होते हैं। इसलिए वह दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं,[1] इसी वजह से बच्चे आसानी से यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं।[2] इस कठिन परिस्थिति में बच्चों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के प्रति बढ़ता यौन शोषण हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो क्या होगा हमारे देश के आने वाले कल का भविष्य और राष्ट्रनिर्माता कहे जाने वाले बच्चों का ? विडम्बना यह है कि मासूम बच्चे उस घृणित, शर्मनाक व गंभीर कुकृत्य का शिकार होते हैं, जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानते हैं। बच्चों के शब्द अस्पष्ट रहते हैं, इसलिए वह स्पष्ट रूप से कुछ बताना भी चाहते हैं तो उन्हें चुप रहने को बोल दिया जाता है, किन्हीं–किन्हीं परिस्थितियों में स्वयं माता–पिता भी नहीं समझ पाते कि उनके बच्चों के प्रति किन लोगों की मानसिकता अच्छी है या गंदी है। जिसके कारण बच्चा जान पहचान वाले लोगों के द्वारा ही बार–बार यौन शोषण का शिकार होता है। माता–पिता ध्यानपूर्वक बच्चों की बातों को सुनते ही नहीं है, इस वजह से बालमन कुण्ठा तथा अवसाद से ग्रसित हो जाता है। जिसके कारण उसके मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि बाल यौन शोषण से बचाव के लिए कारगर और सार्थक कदम उठाए जाँए। इस सामाजिक समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों में सकारात्मक चेतना एवं जागरूकता उत्पन्न की जाए।

बाल यौन शोषण से तात्पर्य – बाल यौन शोषण, शोषण का ही एक प्रकार है जिसमें एक वयस्क या बड़ा किशोर अपने आनंद के लिए एक बच्चे का यौन शोषण करता है। बाल यौन शोषण के मामले में भारत भी उन देशों में शामिल है जहाँ मासूम बच्चों के साथ यह घिनौना अपराध किया जाता है। बाल यौन शोषण को बच्चों के साथ छेड़छाड़ के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, इसके अन्तर्गत एक बच्चे को गलत तरीके से छूना, उसे दुलारना, भद्दी टिप्पणियाँ, ओरल सेक्स, संभोग आदि कुकृत्य शामिल है।[3]

बाल यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध भारत से लेकर वैश्विक स्तर तक होते हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है। बाल यौन शोषण से संबंधित वैश्विक स्तर से लेकर भारत तक कुछ विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला जा सकता है जो इस प्रकार है –

➢ वैश्विक स्तर पर बाल यौन शोषण की स्थिति

❖ इंग्लैंड में हुए एक अध्ययन के अनुसार यौन उत्पीड़न के शिकार हुए आठ बच्चों में से केवल एक बच्चे की जानकारी अधिकारियों को मिल पाती है।

पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने अप्रैल 2012 से अप्रैल 2014 के बीच दो साल में 50 हजार उत्पीड़न के मामले दर्ज किए हैं। लेकिन बाल उत्पीड़न की रिपोर्ट के मुताबिक सहीं आंकड़ा चार लाख पचास हजार तक है, 85 फीसदी मामलों में रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। इसमें खासकर परिवार के अन्दर के मामले शामिल हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बच्चों के यौन शोषण के दो–तिहाई मामले परिवार के अन्दर होते हैं या इनमें परिवार का ही कोई करीबी दोशी होता है। इनमें से 75 फीसदी मामलों में लड़कियों पर अत्याचार हुआ।

बाल आयुक्त एनी लोंग्फील्ड का कहना है, ''हमें अब जागना होगा और बच्चों के यौन शोषण के सबसे आम तरीके पर ध्यान देना होगा, जिसमें उनके घर के भीतर या कोई भरोसेमंद व्यक्ति ही यौन शोषण का दोशी होता है।[4]

❖ अमेरिका में बच्चों का यौन शोषण करने के दोशी लोगों के पासपोर्ट पर उनके अपराध का जिक्र लिखा होगा, देश के बाहर जाने पर उनके बारे में लोगों को भी पता होगा कि उन्होंनें पहले कभी बच्चों का यौन शोषण किया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह जानकारी दी कि मंत्रालय उन लोगों के पासपोर्ट वापस ले रहा है जिन्हें बच्चों के यौन शोषण अपराध का दोशी करार दिया गया है। इन सभी लोगों को पासपोर्ट के लिए नया आवेदन करना होगा जिसमें एक ''विशिष्ट पहचान'' कालम होगा और वहां उनके बारे में यह जानकारी दर्ज होगी। जो लोग पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहें हैं उन्हें बिना इस पहचान के पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट में इस जानकारी को एक नोटिस की तरह पिछले कवर के भीतरी हिस्से पर छापा जाएगा इसमें लिखा होगा कि ''धारक को नाबालिग के खिलाफ यौन शोषण अपराध का दोशी माना गया है और वह अमेरिकी कानून में यौन अपराधी है।''

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जो लोग बच्चों के साथ यौन अपराध के दोशी हैं, उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किये जाएगें। इन्हें अमेरिका में पासपोर्ट कार्ड कहा जाता है। इनमें इतनी जगह नहीं होती कि नोटिस को डाला जा सके। यह बदलाव ''इन्टरनेशनल मेगान्स लॉ'' के कारण आए हैं। जिन्हें पिछले साल (2016) बच्चों का यौन शोषण और बच्चों के सेक्स टूरिस्म को रोकने के मकसद से लागू किया गया है। इस कानून का यह नाम **मेगान कांका** के नाम पर दिया गया है। न्यू जर्सी की 7 साल की इस लड़की की 1994 में एक यौन अपराधी ने हत्या कर दी थी। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बच्चों के यौन शोषण करने वालों की पहचान करने का जिम्मा सौंपा गया हैं इस सूची में किसी का नाम डालने या फिर निकालने का अधिकार सिर्फ इसी विभाग को है।[5]

अमेरिका/अल्बामा में बच्चों का यौन शोषण करने वाले नपुंसक बनाए जाएंगे, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। गर्वनर ने बाल यौन शोषण के खिलाफ नए विधेयक पर दस्तखत किए। गर्वनर बोली ''ऐसी सजा देने से ही अपराधियों के मन मे डर पैदा होगा।'' इस विधेयक में अल्बामा में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के दोशियों को नपुंसक बनाने का प्रावधान है। अल्बामा इस तरह का कानून लागू करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। नपुंसक बनाने वाले इंजेक्शन का खर्च भी आरोपी वहन करेगा।

बाल यौन शोषण के केस में नपुंसक बनाने की सजा 2011 से दक्षिण कोरिया में और 2016 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडों ने कहा था कि हम बाल यौन हिंसा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते।[6]

❖ सिंगापुर में Ministry of Social and Family Development (MSF) ने बाल शोषण और परिवारिक हिंसा के मुद्दे को लेकर उन्होनें सार्वजनिक शिक्षा के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया और जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 2018 में बाल शोषण का रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुचां, मतलब 2018 में पारिवारिक हिंसा के मामले ज्यादा मिले जो कि 2017 में 894 थे और 2018 में 1163 मामले बढ़े यानि इन में 30% की वृद्धि हुई। जिसमें शारीरिक शोषण और यौन शोषण की घटनांए अधिक पाई गई। [7]

Total Enquiries Recived by MSF Child Protoective Service (2015-2018)

Year	2015	2016	2017	2018
Enquiries Recived	2,022	3,035	3,344	3,232

Child Abuse Investigated by Abuse Type (2009-2018)

पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और पारिवारिक विकास मंत्रालय ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे लोगो को अधिक कठोर स्क्रीनिंग टूल और ट्रायनिंग की शुरूआत की है। इस तरह के उपाय करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि बच्चों की असुरक्षा को लेकर तुरंत निवारण करने में मदद करना। और उचित हस्तक्षेप तलाश करना है। इनमें सामुदायिक सेवा केन्द्रों या बाल

संरक्षण विशेषज्ञ केन्द्रों के साथ बच्चों और परिवारों का समर्थन करना, या हस्तक्षेप के लिए मंत्रालय को गंभीर मामलों से होने वाले नुकसान का उल्लेख करना शामिल है। मंत्रालय ने वर्षों से बाल संरक्षण और पारिवारिक हिंसा पर सार्वजनिक शिक्षा के प्रयासों को भी आगे बढ़ाया है, जिससे अधिक मामलों को उजागर करने में मदद मिली है। जो हस्तक्षेप के लिए मंत्रालय को सही तरीके से चिन्हित किये गये थे। इन चल रहे प्रयासों से 2015 में अशिक्षित मामलों की उच्च संख्या में योगदान दिया है।[8]

Types of Abuse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Physical Abuse	124	188	138	177	148	161	263	444	373	584
Sexual Abuse	45	58	72	70	60	56	82	107	181	248
Neglect	103	144	205	136	135	164	206	322	340	331
Total	**272**	**390**	**415**	**383**	**343**	**381**	**551**	**873**	**894**	**1163**

❖ **इस्लामाबाद** :– पाकिस्तान (2018 में बाल यौन शोषण मामलों में वृद्धि) रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि बाल यौन शोषण से सम्बन्धित मामले वर्ष 2017 मे जो प्रतिदिन 9 मामले आए जो अब बढ़कर वर्ष 2018 में प्रतिदिन 12 मामले सामने आते हैं। इस साल जनवरी से जून तक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटिरी (ICT), आजाद जम्मू और कश्मीर (AJK) और गिलकित बाल्टिस्तान (GB) सहित सभी चार प्रांतों के अखबारों में कुल 2322 बाल यौन शोषण के मामले दर्ज किये गए। छह महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रिपोर्ट किए गए मामलों में 1298 (56%) पीड़ित लड़कियां थी और 1024 (44%) लड़के थें।[9]

❖ बाल दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी के आधार पर वर्ष 2015 में **संयुक्त राज्य अमेरिका** में दुर्व्यवहार और उपेक्षा से अनुमानित 1670 बच्चों की मृत्यू हो गई। अमेरिका में सालाना लगभग 7 लाख बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जिन बच्चों ने दुर्व्यवहार का अनुभव किया उनमें से तीन चौथाई बच्चों को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। 17.2% बच्चों को शारिरिक शोषण तथा 8.4% बच्चों को यौन भोशण का सामना करना पड़ा।[10]

➢ **भारत में बाल यौन शोषण की स्थिति** :– विश्व के मुकाबले सर्वाधिक जनसंख्या बच्चों की भारत में हैं,[11] जो भारत की कुल आबादी का 39 फीसदी हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार – भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 47.2 करोड़ है जिसमें 22.5 करोड़ लड़कियाँ है तथा 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या करीब 16 करोड़ है।[12] 2006 की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर भारत में 53.22% बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का यौन शोषण होता है। इनमें 50% ऐसे व्यक्ति के द्वारा बच्चे का यौन शोषण किया जाता है, जिस पर बच्चा विश्वास करता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोश (यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड) के एक अध्ययन के आधार पर परिणाम बताते हैं कि भारत में हर 3 बलात्कार में से 1 बलात्कार बच्चे का होता है और लगभग हर वर्ष 7200 से अधिक शिशुओं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएँ होती है। वर्ष 2013 में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ''ब्रेकिंग द साइलेंस–चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया'' ने यह खुलासा किया कि 2001 ये 2011 के बीच बाल यौन शोषण के मामलों में 336% की बढ़ोत्तरी हुई।[13]

➢ **मध्यप्रदेश में बाल यौन शोषण की स्थिति** :– बाल यौन शोषण के मामलों में भारत देश के मध्यप्रदेश राज्य पर नजर डाली जाये तो स्थिति कुछ इस प्रकार है – बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। 17 जुलाई 2009 को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2005–2006 और 2007 में बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की संख्या क्रमशः 4026, 4721, और 5075 रही। उन्होनें बताया कि पिछले साल मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 1043 मामले दर्ज किए गये। इसके बाद महाराष्ट्र में 615, उत्तरप्रदेश में 471, राजस्थान में 406, दिल्ली में 398, छत्तीसगढ़ में 368, और आंध्रपदेश में 363 ऐसे मामले दर्ज किये गये।[14]

बाल यौन शोषण वर्तमान स्थिति – बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में देखा जाए तो घर और स्कूल माना जाता है लेकिन बच्चे न तो घर में सुरक्षित है और न स्कूल में सुरक्षित हैं।[15] गुरूग्राम के एक स्कूल में सात साल के बच्चे की यौन शोषण की कोशिश के बाद जघन्य हत्या कर दी गई। दिल्ली के एक निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से चपरासी की ओर से रेप की घटना हुई। नेशनल क्राइम रिकॉडस् ब्यूरो (एनसीआरबी)के मुताबिक साल 2015 में बच्चों के

खिलाफ हुए अपराधों में दर्ज 91,172 मामलों में से 42,520 यानी करीब 45.50% फीसदी उनके यौन शोषण से जुड़े हुए थे।[16] 19 मार्च 2019 में प्रकाशित दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश कक्षा 6वीं की छात्रा से उनके तीन सगे भाइयों व चाचा ने रेप किया, रिपोर्ट लिखाने की बात पर गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई।[17] इस तरह की कई घटनाएँ है जो मानवता को शर्मशार करती हैं। 13 जुलाई, 2019 (सुप्रीम कोर्ट संवाददाता) Patrika.com नई दिल्ली : देश भर में 2019 के शुरूआती छह महीनों में ही बच्चों से बलात्कार के 24,000 मामले सामने आने से आहत सीजेआई रंजन गोगोई ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों से जाहिर है कि ऐसे मामलों मे दोशियों को सजा दिलाने व कानून लागू करने में विफलता से कानून का डर गायब होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वर्ष के शुरूआती 6 माह में बच्चों से दुष्कर्म के 24,212 मामले सामने आए, इनमें से 11,981 में अभी भी जांच चल रही है। 12,231 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन 6,449 मामलों में ही सुनवाई शुरू हो सकी है। जबकि 4,871 मामलों में अभी सुनवाई शुरू होनी है। निचली अदालतों में मात्र 911 मामलों में ही फैसला हुआ है जो मात्र 4% है। बच्चों से रेप के संवेदनशील मामलों में पुलिस की लापरवाही को भी जिम्मेदार बताया गया है। बताया जाता है कि उत्तरप्रदेश के 50 फीसदी से ज्यादा यानि 1779 मुकदमों की जांच तक अभी पूरी नहीं हो सकी है। इस सूची में मध्यप्रदेश 2389 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है, लेकिन पुलिस 1841 मामलों में जांच पूरी कर चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। प्रदेश की निचली अदालतों ने 247 मामलों में तो ट्रायल भी पूरा कर लिया है। यूपी 3,457 (सबसे ज्यादा), मप्र 2,389, राजस्थान 1,992, महाराष्ट्र 1,940, पं. बंगाल 1,551, छग 1,285, कर्नाटक 1,113, गुजरात 1,124, तमिलनाडु 1,043, केरल 1,012, ओडिसा 1,005, तेलंगाना 928, असम 904, नगालैंड 9 सबसे कम है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 राज्यों में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन्हें स्थापित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होगी, ये अदालतें अगले साल तक काम करना शुरू कर देंगी। इनमें महिला के यौन उत्पीड़न और बाल अपराधों से जुड़े पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई होगी। फिलहाल देश में अभी 664 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही हैं।[18]

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :– बाल यौन शोषण भारत से लेकर वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गंभीर व शर्मनाक समस्या है जिसे किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस सामाजिक बुराई पर हम सभी के लिए चिन्तन मनन करने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे हमारे देश के आने वाले कल के भविष्य हैं और इनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बाल यौन शोषण जैसे दुर्व्यवहार के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण इनका विकास पूरी तरह से बाधित होता जाता है क्योंकि बाल मन कुण्ठा से घिरा रहता है सिर्फ कानून के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है स्वयं माता–पिता कितनी जागरूकता रखते हैं। क्या बाल यौन शोषण पर बने कानूनों की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते ? क्योंकि इन अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए माता पिता का जागरूक होना जरूरी है। बच्चे माता–पिता के हृदय के अधिक करीब होते हैं और बच्चे भी माता–पिता के बगैर स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। जहाँ तक हम सभी का मानना होता है कि माता–पिता से ज्यादा बच्चों को कोई और नहीं समझ सकता है। बच्चों के अभिभावक स्वयं सजग, सतर्क व सावधान रहेंगे तो जरूर इस उपेक्षित बुराई पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून बनाया है जिसे हम बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉस्को) कहते हैं।[11] इस तरह के कानूनों की सामान्यजन को कोई खास जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया में भी समय बहुत लगता है। बाल यौन शोषण से बचाव के प्रति तमाम सरकारी व गैरसरकारी प्रयासों के साथ–साथ स्वयं माता–पिता का जागरूक होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। यह अध्ययन बाल यौन शोषण के प्रति अभिभावकों की जागरूकता से संबंधित से है ताकि इस अपराध को रोकने हेतु यथासंभव प्रयास किये जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. शहरी क्षेत्र के अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :–

Ho_1 शहरी क्षेत्र के अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

Ho_2 ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षण विधि द्वारा बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

जनसंख्या :– प्रस्तुत शोध कार्य में मध्यप्रदेश के सागर जिले के अन्तर्गत मकरोनिया क्षेत्र के सभी शहरी अभिभावकों (माता–पिता) एवं ग्रामीण अभिभावकों (माता–पिता) प्रस्तुत शोध कार्य की जनसंख्या है।

शोध में प्रयुक्त चर :– प्रस्तुत शोध में शहरी अभिभावकों (माता–पिता) एवं ग्रामीण अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता आदि चरों को निर्धारित किया गया है।

न्यादर्श :– प्रस्तुत शोध में मध्यप्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र के 100 न्यादर्शों का चयन किया गया है।

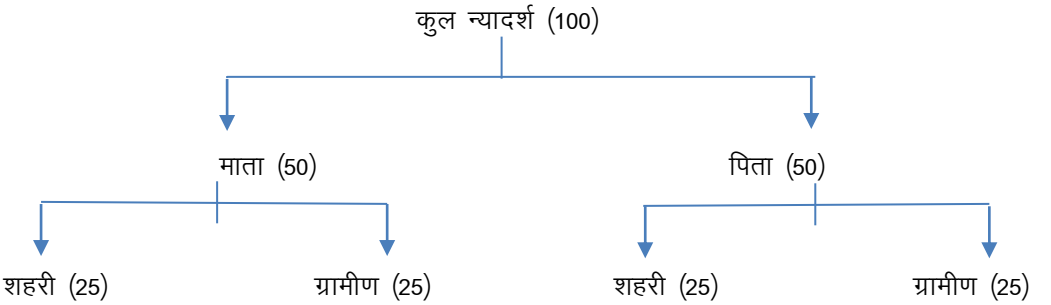

न्यादर्श चयन विधि :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण के रूप में बाल यौन शोषण जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विधियाँ :– प्रस्तुत अध्ययन में मध्यमान मानक विचलन एवं टी टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

परिणाम एवं व्याख्या :– **Ho_1** शहरी क्षेत्र के अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	प्रमाणिक त्रुटि (SED)	मुक्तांश (DF)	टी–मूल्य	सार्थकता का स्तर
माता	25	19.76	5.109	1.022	48	2.98	सार्थक अंतर है
पिता	25	24.24	5.487	1.097			

(0.005 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर) परिणाम अस्वीकृत हुई।

उपरोक्त तालिका कमांक 1 से स्पष्ट होता है कि दोनों चरों के बीच T –परीक्षण द्वारा T –मूल्य 2. 988, 48DF पर 0.05 स्तर पर प्राप्त मान 2.01 तथा 0. 01 स्तर पर प्राप्त मान 2.68 से अधिक है जो कि दोनों चरों के मध्य जागरूकता के स्तर में अंतर को दर्शाता है। अतः कहा जा सकता है कि भाहरी अभिभावकों माता और पिता की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अन्तर पाया गया है। इस प्रकार निर्मित शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाता है।

Ho_2 ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों (माता–पिता) की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	प्रमाणिक त्रुटि (SED)	मुक्तांश (DF)	टी–मूल्य	सार्थकता का स्तर
माता	25	15.60	4.795	0.959	48	3.675	सार्थक अंतर है
पिता	25	20.76	5.125	1.025			

(0.005 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर) परिणाम अस्वीकृत हुई।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि दोनों चरों के बीच T –परीक्षण द्वारा T –मूल्य 3.675, 48DF पर 0.05 स्तर पर प्राप्त मान 2.01 तथा 0.01 स्तर पर प्राप्त मान 2.68 से अधिक है जो कि दोनों चरों के मध्य जागरूकता के स्तर में अंतर को दर्शाता है। अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण अभिभावकों माता और पिता की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अन्तर पाया गया है। इस प्रकार निर्मित शून्य परिकल्पना को निरस्त किया जाता है।

निष्कर्ष :–

- शहरी क्षेत्र के अभिभावकों माता और पिता की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने से उनके द्वारा अर्जित अंकों के माध्य से ज्ञात होता है कि पिता अभिभावकों में माता अभिभावकों की तुलना में जागरूकता का स्तर अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों माता और पिता की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने से उनके द्वारा अर्जित अंकों के माध्य से ज्ञात होता है कि पिता अभिभावकों में माता अभिभावकों की तुलना में जागरूकता का स्तर अधिक है।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों माता और पिता की बाल यौन शाषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि माता अभिभावकों की तुलना में पिता अभिभावकों की जागरूकता का स्तर अधिक है।

सुझाव :–

- शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा बाल यौन शोषण की दर को कम किया जा सकता है। इसे प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- प्रस्तुत अध्ययन प्रत्येक वर्ग उच्च, मध्यम, और निम्न के लोगों की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
- विभिन्न व्यवसायों के शहरी एवं ग्रामीण लोगों के मध्य बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया जा सकता है।
- बाल यौन शोषण की दर को कम करने के लिए सबसे पहले घर, पास–पड़ोस, कालोनियाँ, स्कूल, प्रत्येक मोहल्ले में खुली आंगनबाड़ियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
- प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर पर यौन शोषण की रोकथाम हेतु अनेक कार्यक्रम चलाकर बाल यौन शोषण की दर को कम किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं जिसमें अभिभावकों को बाल यौन शोषण की स्थिति से अवगत कराते हुए उससे होने वाली हानियों से उन्हें परिचित कराना चाहिए। यह बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु सार्थक प्रयास है।
- भारत सरकार द्वारा बने कानून बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉस्को) के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जन–जन तक पहुँचाना।
- बाल यौन शोषण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराकर लोगों को जागरूक किया जा सकता हैं
- यह शोध आगामी शोध हेतु नवीन योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायक हो सकता हैं।

संदर्भ सूची :–

1 हिंसा और कानून : बाल यौन शोषण पर कानून राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) 1'' पृष्ठ संख्या –3
2 वही पृष्ठ सं– vi
3 बाल यौन शोषण Child Sexual Abuse, https://www.hindikiduniya.com>
4 बाल यौन शोषण के हजारों केस रिपोर्ट नहीं होते https://www.bbc.com>2015/11>1 BBC News Hindi
5 बच्चों का यौन शोषण किया है तो पासपोर्ट पर

लिखा जायेगा (dw) https://www.dw.com>

6 अल्बामा में बच्चों का यौन शोषण करने वाले को नपुंसक बनाया जायेगा https://www.bhaskar.com>news

7 Child abuse cases jumped 30% to record high in 2018 https://www.straitstimes.com/singapore/child-abuse-cases-jumped-30-to-record-high-in-2018

8 Child Abuse Investigations https://www.mdg.gov.sg/research-and-data-/research-and-statistics/pages/child-abuse-investigations.aspx

9 Child Abuse in Pakistan https://tribune.com.pk/story/1791931/1-child-sexual-abuse-cases-surge-2018-report/

10 बाल दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी https://www.nationalchildrensallaince.org/media-room/nca-digital-media-kit/national-statistics-on-child-abuse/

11 हिंसा और कानून : बाल यौन शोषण पर कानून राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग (NCPCR) पृष्ठ संख्या – vi

12 ''वही पृष्ठ सं– v

13 ''वही पृष्ठ सं– 2

14 बाल यौन शोषण के मामले बढ़े – https://m-hindi.webdunia.com>

15 https://feminisminindia.com/2018/03/05/symptoms-preventions-child-abuse-hindi

16 भारत में सुरक्षित जगहों पर भी क्यों खतरे में हैं बच्चे–https://www.bbc.com.eduamproject.org

17 दैनिक भास्कर समाचार पत्र, 19–03–2019,

18. पत्रिका समाचार पत्र, सुप्रीमकोर्ट संवाददाता : छह माह में 24,000 बच्चों से रेप, सख्त दिशा–निर्देश की तैयारी में सुप्रीमकोर्ट https://www.patrika.com

19. खेत्रपाल बी०एस, खेत्रपाल पूजा (2017) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 प्रकाशक : खेत्रपाज लॉ पब्लिकेशन्स, इन्दौर

20. सेनी वर्षा (2013–14) बालकों के विरूद्ध अपराधों का एक विश्लेषणत्म्क अध्ययन, लघु शोध प्रबंध डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म०प्र०)

21. खान श्रीमति मीरा (2014–15) बाल संरक्षण – एक सामाजिक विधिक शोध समर्पित डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म०प्र०) पंडित मोतीलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)

22. बाल यौन शोषण के मामले बढ़े – https://m-hindi.webdunia.com

23. भारत में सुरक्षित जगहों पर भी क्यों खतरे में है बच्चे – https://www.bbc.com>hindi>

24. बाल यौन शोषण के बारे में बच्चों से कैसे करे बात ? https://hindi.speakingfree.m7blog

25. बाल शोषण – विकासपीडिया https://hi.vikaspedia.in>education>child-right

26. बाल शोषण और उपेक्षा htpps://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child/-abuse-and-neglect

27- Child Abuse, https://hindi.news18.com/leg/child-abuse

28. प्रभा साक्षी : बाल यौन शोषण समाज की सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है www.prabhasakshi.com/currentaffairs/child-sexual-abuse-is-becoming-the-most-serious-problem-of-society

29. बाल यौन शोषण – कैसे पहचाने https://enwikipedia.org/wiki/child-abuse

31. बाल शोषण : बच्चों को कैसे दे शिक्षा बाल यौन शोषण के बारे में। https://hindi.careguru.in/artical/child-abuse-find-out-what-is-child-abuse-and-how-to-save-your-children-from-child-abuse-/1332

32. लड़कियों की तुलना में लड़कों का यौन उत्पीड़न ज्यादा https://www.dw.com

33. लड़के का यौन शोषण की ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज https://khabar.ndtv.com>

34. बाल यौन शोषण पर चुप न रहें। https://www.prabhatkhabar.com

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

रामायण और महाभारत काल में स्त्री की स्थिति आर वर्तमान स्त्री विमर्श के साथ ममता कालिया

दिव्य पूजा कुमारी
सहायक प्राध्यापक (Contract) विषय–हिंदी, संताल परगना महाविद्यालय दुमका
सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका झारखंड

रामायण महाभारत काल से ही हमारा भारतीय समाज अत्यंत संवेदनशील रहा है। क्रौंच पक्षी के वध के बाद क्रौंची के विरह एवं विलाप से आर्द्र होकर महर्षि वाल्मीकि द्रवित हो जाते हैं और नारद की सलाह से वह रामायण रच डालते हैं। उस युग में हमारा समाज इतना संवेदनशील था कि एक पक्षी के विलाप से वाल्मीकि जी अभिभूत हो जाते है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वे स्त्री को देवी के रूप में देखते हैं ना कि भोग्या के रूप में। कैकेयी जो उनकी सौतेली माता है लेकिन उसके द्वारा मांगे गए वरदान के कारण भी वह उनका सम्मान करते हैं और वन गमन कर जाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अहिल्या का अहिल्या होने में उसका कोई दोष नहीं है वह तो षड्यंत्र था। श्री राम अपनी पत्नी सीता के प्रति इतने समर्पित भी हैं कि वह किसी अन्य स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते प्रजा के लिए वह इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि अपनी प्रिया को त्यागने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इतना आदर्श, इतना अपनापन हमारे साहित्य एवं समाज में उपलब्ध होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। महाभारत काल में एक स्त्री के द्वारा भी एक स्त्री का सम्मान देखने को मिलता है। द्रौपदी जिसे सिर्फ अर्जुन जीतकर लाता है किंतु माता कुंती के वचनानुसार सब ' मिल बांट कर ले लो' से वह पांच पतियों की पत्नी बन जाती है किंतु कुंती के वचन की अवहेलना नहीं करती। फिर पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री को भोग्या के रूप में भी देखा। हिंदी साहित्य के आदिकालीन तथा रीतिकालीन कवि राज्याश्रित होने के कारण राजा की प्रशंसा करना उनका परम कर्तव्य था। अतः राजा एवं रानी के विलास का वर्णन इन कवियों ने जमकर किया। राजाओं के शासन काल में विलासिता का जीवन था।फिर समय ने करवट बदली, समाज में अराजकता फैलने लगी मनुष्य मनुष्य से घृणा–द्वेष ,मारपीट करने लगे ।मंदिर –मस्जिद तोड़े जाने लगे ऐसी परिस्थिति में आम जनता के पास ईश्वर की शरण के अलावा और कोई उपाय न था। तब भक्तिकालीन कवियों ने भक्ति–संबंधी रचनाएं की। तुलसी सूर जायसी कबीर आदि साहित्यकारों ने समाज के एकता को पुनः पाटने का प्रयास किया। पुनः तुलसीदास रामायण को रामचरितमानस में दोहराते हैं और एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। वर्तमान समय में समाज में संवेदनहीनता व्याप्त हो रही है पति–पत्नी में टकराव, पिता–पुत्र में उलझनें हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं। सामाजिक एकता का ह्रास हो रहा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत जहां नदियों को भी माता के समान पूजा जाता है वही पशु–पक्षी भी असुरक्षित हो रहे हैं ।जिस स्त्री को वैदिक काल से पूज्य समझा जाता था, कहा जाता है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता''। आज उसी स्त्री के उत्थान के लिए ,उसके अधिकारों के लिए स्त्री विमर्श किया जा रहा है। स्त्री को कहना पड़ रहा है कि मैं स्त्री हूं मैं भी मनुष्य हूं मुझे भी समझो मुझे भी जीने का अधिकार है मुझे भी समता का अधिकार है। समाज में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बलात्कार आदि की उत्पीड़न से स्त्रियां ग्रसित हो रही हैं। आज गर्भ की बिटिया को पुकार लगानी पड़ रही है कि' मेरी मैया मुझे न मार'। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी ममता कालिया आदि संवेदनशील रचनाकार हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं और अपने साहित्य के माध्यम से स्त्री– पुरुष संबंधों को पुनः मजबूत करने का प्रयास कर रहे प्राचीन काल में से ही जिस स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता था वही स्त्री को समाज ने लिंग के रूप में दोयम दर्जा दिया है ।किसी फॉर्म आदि में भी यदि लैंगिक पहचान के लिए विकल्प दिए जाते हैं तो विकल्प एक में 'मेल' या 'पुरुष' तथा विकल्प दो में 'फीमेल' या 'स्त्री' के लिए स्त्री के लिए इंगित किया जाता है। रामायण एवं महाभारत काल में की स्थिति वर्तमान समय से अत्यधिक अच्छी नहीं थी या थी दोनों ही बात है हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों को पढ़ने लिखने जैसी आजादी नहीं थी। स्त्री सिर्फ चारदीवारी में बंद रहकर भोग्या मात्र बनकर रह गई थी पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा स्त्रियों के लिए बच्चे पैदा करना उनका लालन–पालन करना घर के सभी सदस्यों की सेवा करना और इन कार्यों में गलती से भी गलती करने पर अत्याचार एवं प्रताड़ना को स्वीकार करना श्री रामचंद्र स्त्री को समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं किंतु दे नहीं पाते। पुरुष के समान स्त्री भी सारे सामाजिक अधिकारों को, सारे पारिवारिक कर्तव्यों को

करने की पूर्ण अधिकारीणी है। ऐसी क्या विडंबना आ पड़ी जिसके कारण आज स्त्री– विमर्श किया जा रहा है। स्त्री के उत्थान के लिए, उसके आरक्षण के लिए,वह भी एक इंसान है इस बात के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देश में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का अभियान चलाया जा रहा है, आखिर क्यों ? क्यों नहीं 'बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ' अभियान चलाया जा रहा इसलिए कि प्राचीन काल से ही बेटे पढ़ने लिखने शस्त्र चलाने हेतु स्वतंत्र है। रामायण– महाभारत आदि काल में देखते हैं तो ज्ञात होता है कि श्री राम– लक्ष्मण भाई गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश करते हैं किंतु किसी भी गुरुकुल में यह दिखाई नहीं पड़ता कि सीता –उर्मिला आदि बहनें भी शिक्षा ग्रहण हेतु जाती है। महाभारत काल में भी हमें यह विडंबना देखने को मिलती है श्रीकृष्ण सुदामा आदि को शिक्षा ग्रहण हेतु स्वतंत्रता मिलती है किंतु वहीं राधा रुक्मिणी आदि स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती है। इसी परंपरा का विधान आगे के समाज में भी होता चला जाता है, जिसके कारण स्त्रियों को पढ़ने–लिखने की आजादी नहीं मिलती। यही कारण है कि आज सरकार को बेटियों के पढ़ने हेतु योजनाएं चलाई जाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज यह बताना पड़ रहा है कि स्त्रियां भी समाज में सर उठा कर जीने की अधिकारी हैं। फिर भी कुछ महानुभावों को स्त्रियों की यह आजादी बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण स्त्रियों को दहेज की अग्नि की वेदी, बलात्कार आदि का दंश देते हैं। दूसरी विडंबना यह भी है कि यदि स्त्री अधिक पढ़– लिख ले तो उसे दूसरी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। पढ़ने लिखने में उम्र अधिक निकल जाती है जिसके कारण उसे विवाह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। लड़के चाहे 40 के हो जाए या 45 के उसकी उम्र से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता किंतु उसकी यदि 30 वर्ष तक कुमारी रहे तो समाज को समस्या दिखती है। 30 वर्ष की आयु को समाज स्त्री के लिए अत्यधिक आयु मान लेते हैं और कहते हैं कि अब यह विवाह के योग्य नहीं है। यदि एक बेटी अपने मां– बाप की एक पुत्र के समान देखभाल करती है तो वहां भी उसे अपने अनेक अरमानों की तिलांजलि देनी पड़ जाती है। उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यास 'पचपन खंभे लाल दीवारें लाल दीवारें' में दिखाया है कि सुषमा जो इकलौती कमाऊ पुत्री हैं उसकी उम्र निकल चुकी है उसे अपने भाइयों एवं बहनों की देखभाल करनी है बहनों की शादी करवानी है इस बीच उसे अपने हर अरमानों की बलि चढ़ानी पड़ रही है। किंतु उसके मां–बाप को भी यह नहीं दिखता कि अन्य बेटियों के साथ सुषमा का विवाह होना चाहिए क्योंकि वह भी उसकी संतान है। बल्कि उस पिता को वह दिखता है कि यदि वह विवाह कर लेती है तो जितनी स्वतंत्रता से घर की देखभाल अभी कर रही है बाद में नहीं कर पाएगी। क्योंकि तब उसके अपने पति, अपने बच्चे, अपना घर– परिवार भी हो जाएगा इसलिए देखरेख में भी बंटवारा हो जाएगा। एक पिता के लिए अपने संतानों में इतना विभेद शोचनीय है।

स्त्री पुरुष–संबंध एवं स्त्री पुरुष समानता की आवाज के रूप में ममता कालिया प्रस्तुत हैं। ममता कालिया एक सधी हुई लेखिका हैं।वह अपने साहित्य के माध्यम से चाहती हैं कि समाज में स्त्री–पुरुष संबंध सामंजस्य बनाकर चले वह नहीं चाहती कि यदि स्त्री–पुरुष दोनों कामकाजी हो तो घर में किसी प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो बल्कि वह चाहती है कि स्त्री–पुरुष दोनों परिवार एवं समाज के दो पहिए हैं और दोनों समान रूप से चले सभी परिवार, समाज एवं राष्ट्र का विकास हो सकता है। ममता कालिया यह दर्शाती है कि लड़की के जन्म पर वह बधाइयां नहीं बजती जो एक लड़का होने पर, एक बेटे को जन्म देने पर बजती है। दुक्खम–सुक्खम उपन्यास में वह दर्शाती हैं कि स्त्री के लगातार दो–बार बेटियों के जन्म देने पर उसकी सासू मां खुश नहीं होती ''जिस दिन वह पैदा हुई, घर में कोई उत्सव नहीं मना, लड्डू नहीं बंटे, बधावा नहीं वजह उल्टे घर की मनहूसियत ही बढ़ी। दादी ने चूल्हा तक नहीं जलाया''।1 प्रसूता को अस्पताल में छोड़कर परिवार के सभी सदस्य घर लौट जाते हैं ।कई दिनों तक कोई प्रसूता को देखने एवं दूसरी पुत्री को देखने नहीं जाता। कुछ दिनों बाद सासू मां एक पड़ोसन को अस्पताल भेज देती है'' दसवें दिन सास ने मथुरा से, पड़ोस की रामू को वृंदावन भेज दिया कि वह बांके बिहारी जी के दर्शन कर आए और इंदु को भी लिवा लाए है''।2 बहू को घर में दूसरी पुत्री को जन्म देने के बाद प्रवेश करने पर वह खुशियां नहीं मिलती जितनी कि यदि एक पुत्र का जन्म होता तो उसे मिलती। आखिर पुत्री के जन्म पर स्त्री की क्या गलती है ? क्या उसने पुत्री की आकृति स्वयं बनाकर अपने गर्भ में डाल लिया था। घर की मुखिया को लगता है कि उसकी पहले से 2 बेटियां थी जो अब तक अविवाहित हैं एक पोती भी है उसके बाद दूसरी भी पोती ही आ गई। ममता कालिया यह बताना चाहती है कि पुत्रियों के जन्म पर यदि परिवार के सदस्यों के आक्रोश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा कारण दहेज की समस्या है। एक मध्यमवर्गीय परिवार में पहले से दो बेटियां हैं जो अब

तक दहेज के कारण अविवाहित है इसके लिए जब लाला नथमल अपनी पत्नी को ताने देते हैं तो वह भी स्त्री सुलभ जवाब देती है ''हां मैं तो दहेज में लाई थी यह छोरियां तुम्हारी कछु ना लगैं''।3 उसके बाद भी जब दो पोतियां भी आ गई तो वह इन्दु के लिए नाक भौं सिकोड़ती है।

स्त्री–पुरुष संबंधों को लेकर ममता कालिया 'एक पति के नोट्स' लिखती हैं। 'एक पत्नी के नोट्स' का संदीप आईएएस ऑफिसर है। उसका और कविता का प्रेम विवाह होता है। कविता दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। वह साहित्य की छात्र है इसलिए साहित्यिक संगोष्ठीयों में उसका जाना होता है, संदीप इस बात से चिढ़ता है। ममता कालिया यह दिखाना चाहती हैं कि एक स्त्री आज 21वीं सदी में जागरूक हो रही है और एक पुरुष को सारे अधिकार प्राचीन काल से ही मिलता चला रहा है। प्राचीनकाल से ही उसकी अंतरात्मा में भर दिया जाता है कि वह पुरुष है और उसका सारा कार्य स्त्री करें। वह एक गिलास पानी भी स्वयं लेकर पीना नहीं चाहता। हमेशा से पुरुष के सारे कार्य उसके घर की स्त्रियां कभी मां के रूप में कभी बहन के रूप में भाभी पत्नी या पुत्री के रूप में करती है। संधि पर कविता में जब भी टकराव होता है तब कविता के मां बाप कविता से ही झुकने को कहते हैं उसे ही समझौता करने की सलाह देते हैं क्योंकि वह स्त्री है कविता की मां कहती हैं ''हमें देख, तेरे पिता सिर्फ टीचर थे। किस तरह से गृहस्थी चलाई मैं ही जानती हूं''।4 संदीप पढ़ लिख जाने के बावजूद, आधुनिकता से भरे होने के बावजूद वह चाहता है कि कविता उससे दब कर रहे। कविता को साहित्यिक संगोष्ठी में बुलावा आता है इस पर संदीप को चिढ़ होती है। दोनों के बीच टकराव होता है, अनबन होती है और परिवार टूटने–टूटने जैसा महसूस होने लगता है। पाठक को लगता है कि अब परिवार टूटेगा तब टूटेगा। किंतु ममता कालिया अपनी सूझ–बूझ और होशियारी के साथ परिवार को बचा लेती है और यह बता देती हैं कि है कि यदि पति–पत्नी में प्रेम हो तो दोनों को कोई भी टकराव दूर नहीं कर सकता। कविता घर छोड़कर चली जाती है पीछे–पीछे जाता है संदीप उसे रोकता है और दोनों ट्रेन में चढ़ जाता है दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं और तब दोनों को महसूस होता है कि इससे अच्छा जीवनसाथी दोनों में से कोई दूसरा नहीं पा सकेगा। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ''गिट्टी ऊपर पड़ी कविता सोच रही थी कि क्या ऐसे पागल प्रेमी को छोड़कर जिंदा रहा जा सकता है?''।5 संदीप को भी चोटें आई थी किंतु अपने जख्मों पर ध्यान ना देकर इस वक्त वह यही सोच रहा था कि ''क्या कविता से बेहतर जीवन साथी इस जन्म में दूसरा पा सकेगा''।6

फिर हम देखते हैं कि ममता कालिया जी ऐसी भी स्त्री का चित्रण करती है जो ना तो अविवाहित है ना कुमारी और ना विधवा ना ही परित्यक्ता। फिर समाज उसे किस नाम से पुकारे क्योंकि 'सपनों की होम डिलीवरी' की रुचि को उसके पति ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसने ही अपने पति को छोड़ दिया है। इस उपन्यास में ममता जी यह भी दर्शाती है क्या 40 वर्ष की उम्र में कोई स्त्री अपने आप को लड़की कह सकती है क्या 40 वर्ष की स्त्री किसी से प्रेम कर सकती है। एक स्त्री मन की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में 'सपनों की होम डिलीवरी' की प्रस्तुति है–''रुचि के मन में सवाल उठा, क्या चालीस की उम्र में कोई महिला अपने को लड़की कह सकती है। साथ ही यह भी कि क्या चालीस साल की लड़की प्रेम कर सकती है। इसका उदाहरण तो और भी विचित्र था क्योंकि ना वह अविवाहित थी ना विवाहित। वह परित्यक्ता भी नहीं थी क्योंकि पति ने उसे नहीं छोड़ा था वही पति को छोड़ आई थी''।7

ममता कालिया कामकाजी स्त्रियों की विडंबना का, महानगरों में रहने वाली स्त्रियों की समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से उभारना चाहती है। कामकाजी स्त्रियों को दोहोरी जिंदगी जीना पड़ता है। पुरुष यदि नौकरी करता है तो उसे सिर्फ अपने ऑफिस संभालने है। किंतु एक स्त्री यदि नौकरी करती है तो उसे अपने पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करते हुए अपने कामकाजी जिंदगी को भी संवारना होता है। यदि वह किसी दिन कार्य के अतिभार से थक कर यदि कुछ कह दे तो उसे परिवार के सदस्यों के ताने भी सुनने को मिलते हैं। कभी कोई कहेगा अच्छा ज्यादा पढ़–लिख ली है, इसलिए जुबान चलाती है तो कोई कहेगा कहता है नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, इसलिए गर्मी है। आदि–आदि बातों का उसे सामना करना पड़ता है। कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि पुरुष के साथ यदि स्त्री भी काम कर रही है तो पारिवारिक दायित्व में भी दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। ममता कालिया सदैव नगरों एवं महानगरों में रही अतः महानगरीय समस्याओं को उन्होंने पैनी नजर से देखा और उसे साहित्य का प्रतिरूप दिया। ममता कालिया का स्त्री –विमर्श घर तोड़ विमर्श नहीं है, वह यह नहीं चाहती कि हम अपने साहित्य के माध्यम से समाज की एकता को भंग करें बल्कि वह टूटते हुए

परिवार को पुनः जोड़ने का प्रयास करती हैं। महानगरों में स्त्री–पुरुष दोनों कामकाजी हैं किंतु स्त्री 21वीं सदी में जागरूक हो रही है, और पुरुष प्राचीन काल से ही स्त्री को अपनी जागीर समझता रहा है। उसे यह स्वीकार नहीं हो पा रहा है कि स्त्री भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अधिकारिणी है।

संदर्भ– सूची :–

1. कालिया ममता–दुक्खम–सुक्खम, भारतीय ज्ञानपीठ, लोधी रोड नई दिल्ली, पृष्ठ–7
2. वही, पृष्ठ–11
3. वही, पृष्ठ–9
4. कालिया ममता– तीन लघु उपन्यास, एक पत्नी के नोट्स किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–47
5. वही दृ 69
6. वही दृ 69
7. कालिया ममता– सपनो की होम डिलिवरी, लोकभारती प्रकाशन, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद, पृष्ठ–33
8. प्रियंवदा उषा – पचपन खंभे लाल दीवारें
9. पत्र एवं पत्रिकाएं (स्त्री– विमर्श से संबंधित)

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

जबलपुर में ब्रिटिश कालीन स्थापत्य के प्रमुख निर्माण

डॉ. अलकेश चतुर्वेदी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर
हरचन्दी अहिरवार
शोधार्थी (इतिहास) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर के स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति में निहित हैं। यहाँ की स्थापत्य कला परम्परागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। जबलपुर में ब्रिटिश कालीन भवनों के स्थापत्य की विशेषता दीवारों के उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण में है। भित्तिचित्रों और मूर्तियों की योजना, जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त होते हैं, भवन को बाहर से कभी कभी पूर्णतया आत्मसात लेती है। इनमें स्थापत्य का जीवन से संबंध अंकित है। प्रस्तुत शोध–पत्र में संभाग के कुछ महत्वपूर्ण ब्रिटिश कालीन भवनों का विवरण दिया गया है, जो निम्नानुसार प्रस्तुत है –

घंटाघर :– जबलपुर का घंटाघर शहर की सबसे पुरानी संपत्ति में से एक है। यह शहर के मध्य में स्थित है। क्लॉक टॉवर में चार क्लॉक फेस हैं। शुरुआती दिनों में यह एक सार्वजनिक घड़ी के रूप में काम करता था क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आज की तरह घर में कलाई घड़ी या घड़ी नहीं थी।

म.प्र. उच्च न्यायालय :– मध्यप्रदेश की स्थापना के साथ ही जबलपुर में स्थापित किया गया मप्र हाईकोर्ट जिस इमारत में है, वह भवन आज भी किराए पर है। 63 साल बाद भी हाईकोर्ट प्रशासन इस भवन का सांकेतिक किराया एक रुपए प्रतिमाह भवन के मालिक को चुकाता है। न्याय प्रशासन की स्थापना व जनमानस के लिए सुलभ न्याय के पावन उद्देश्य के लिए दी गई इमारत के इस सांकेतिक किराए को मूल भवन मालिक के वंशजों ने भी नहीं बदला।

पहले संचालित होता था कलेक्ट्रेट :– जबलपुर के सेठ गोकुलदास ने यह भवन बनवाया था। बाद में इसका स्वामित्व उनके पुत्र दीवान बहादुर सेठ के नाम हो गया। 1956 में मप्र हाईकोर्ट की स्थापना जबलपुर में की गई। लेकिन इसके लिए भवन की आवश्यकता थी। अतः तत्कालीन कलेक्ट्रेट की चर्चा हुई, जो उस समय इस इमारत में ही संचालित थी। भवन को एक रुपए किराए पर कलेक्ट्रेट सहित अन्य दफ्तरों को चलाने के लिए दिया गया था। हाईकोर्ट के लिए इतना बड़ा और सर्वसुविधायुक्त स्थान और कोई नहीं था। तत्कालीन राज्य सरकार के आग्रह पर सेठ जीवनदास इसके लिए आगे आए। उन्होंने अपने मालिकाना हक के इस भवन को एक रुपए के सांकेतिक किराए पर हाईकोर्ट के लिए देने का निर्णय ले लिया।

राजा गोकुलदास धर्मशाला :– राजा गोकुलदास धर्मशाला का निर्माण ई. सन् 1839 से 1908 के मध्य राजा गोकुलदास ने करवाया था। यह राजप्रसाद पद्धति पर आधारित है जो मुख्य रूप से दो तलों में निर्मित है। दीवार के फलकित बुर्जों पर स्तम्भों पर आधारित गुम्बद युक्त अष्ट फलकीय छतरियां हैं। प्रकाश एवं वायु संरचण हेतु चापाकार अलंकरण सहित गावाक्षों का नियोजन सर्वत्र दिखाई देता है। बीच में स्थित मुख्य द्वार के दोनों ओर छतरी से मंडित फलकित मीनार, कटे हुए वृत्तों के गवाक्ष द्वार के दोनों ओर के त्रिस्तम्भों की योजना इस भवन को विशिष्टता एवं भव्यता प्रदान करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में आयताकार अथवा वर्गाकार कक्ष एवं स्तम्भित चापों से निर्मित लम्बे–लम्बे बरामदे हैं जो इस भवन को आवागमन हेतु सुविधायुक्त बनाते हैं। दूरस्थ प्रदेशों से भ्रमण पर निकले लोगों के ठहरने हेतु यह उत्तम भवन है।

अंजुमन इस्लामिया विद्यालय :– मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था अंजुमन इस्लामिया ने अपनी शैक्षिक और सामाजिक सेवा के 125 वर्ष पूरे किए। इस संस्था की स्थापना 1876 में खान बहादुर सय्यद अली अहमद ने की थी। स्कूल की 125 वीं वर्षगांठ नवंबर 2001 में मनाई गई थी।

केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित अनेक संस्थानों और कारखानों के कारण यहाँ सब प्रांतों के लोग अच्छी संख्या में आ गए। देश–विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में सम्मिलित हुए प्रभागों से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी बंधु यहाँ आ पहुँचे और यहाँ के स्थायी निवासी बन गए। जबलपुर के निकट खमरिया के पास ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री व सेन्ट्रल डिपो की स्थापना हुई, तब से इस क्षेत्र की आबादी भी बढ़ी। नगर व खमरिया के बीच का क्षेत्र भी अब आबाद हो गया है जिससे

खमरिया क्षेत्र अब जबलपुर से संलग्न हुआ दिखता है।

गन कैरिज फैक्टरी :– गन कैरिज फैक्ट्री की शुरुआत 1904 में भारत में अंग्रेजों ने की थी। यह कारखाना पूरे मध्य भारत का सबसे पुराना आयुध कारखाना है, जीसीएफ के अलावा जबलपुर में स्थित आयुध निर्माणी खमरिया, वाहन कारखाना, जबलपुर और ग्रे आयरन फाउंड्री हैं।

विक्टोरिया अस्पताल :– विक्टोरिया अस्पताल को आज सेठ गोविंददास अस्पताल कहा जाता है। स्थापत्य का यह उत्कृष्ट उदाहरण 1876 में राजा साहिब के पोते की याद में बनाया गया था। जब इसका निर्माण किया गया था तो अस्पताल को यूरोपीय और भारतीय रोगियों के लिए एक आरामदायक आवास और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। इस अस्पताल की स्थापना 1876 ई. में की गई थी। 1916 तक यहाँ केवल वर्तमान मंजिल आवास के साथ दो तरफ वाली इमारत के साथ वर्तमान शल्य चिकित्सा वार्ड था। 1916 में दोनों इमारतों की पहली मंजिल उठाई गई थी और परिवार वार्ड का निर्माण किया गया था। इस अवधि के दौरान एक्स–रे सुविधाओं के लिए अस्पताल के लिए इलेक्ट्रिक पावर हाउस भी प्रदान किया गया था।

नगर निगम :– मध्यप्रदेश के प्रथम नगरपालिका की स्थापना जबलपुर में सन् 1864 में हुई थी। स्वाधीनता के पश्चात् सन् 1948 में जबलपुर नगरपालिका अधिनियम 1948 (क्र. 3) पारित किया गया और 1 जून, सन् 1950 को इसे 'नगर निगम' का दर्जा प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के अनुसार नगर निगम जबलपुर को 30 वार्डों में विभाजित किया गया जिसकी अधिसूचना 18 जनवरी, 1949 को प्रकाशित हुई। निगम परिषद् में 43 पार्षदों का प्रावधान किया गया जिसमें 34 निर्वाचित, 6 प्रत्यक्ष से चुने हुए एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था। नगर निगम की सीमा 7 वर्गमील से बढ़ाकर 12 वर्गमील कर दी गई। निगम का प्रथम निर्वाचन सन् 1952 में हुआ जिसमें 30 पार्षदों को जनता द्वारा चुना गया और प्रथम महापौर बनने का गौरव प्राप्त हुआ श्री भवानी प्रसाद तिवारी को।

वर्तमान में नगर निगम जबलपुर जिस भवन में संचालित है, वह ब्रिटिश स्थापत्य का उदाहरण है। पुराने बस स्टैंड के पास स्थित इस भवन का निर्माण 1929 में हुआ था। 90 हजार रुपये की लागत से बने इस भवन को ब्रिटिश शासन ने बनवाया था।

संदर्भ :–

- चौबे डॉ. महेश चन्द्र एवं मदनमोहन मालवीय, 'जबलपुर अतीत दर्शन', इन्टेक, जबलपुर अध्याय, तृतीय संस्करण, 2016
- चौबे डॉ. महेश चन्द्र, जबलपुर अतीत के झरोखे से, इन्टेक, 2005
- शेकटकर सच्चिदानंद, नगर निगम जबलपुर, का आठवां निर्वाचन, विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2009
- http//www.heritageinindia.com/architectural-heritage/indo-european

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण नीतियों का अध्ययन

डॉ. तरुण कुमार बाजपेयी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) डी.एन. जैन महाविद्यालय, जबलपुर
श्रीमती माया यादव
शोधार्थी, (व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रशासन) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन उपरान्त एवं सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के तहत वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के बाद ग्रामीण बैंको के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपनी लाभप्रदता को बढ़ाएं जिससे भविष्य में वे स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकापूर्ण लेखा विधि एवं पूँजी पर्याप्तता मानदंड लागू करने के बाद बैंको हेतु यह भी आवश्यक हो गया है कि वे बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में अस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखें। समय के साथ ही बैंकों ने नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ऋण पोर्टफोलियो को शामिल करते हुए ऋण नीति को अद्यतन किया है जिसका अनुपालन परिचालनात्मक मैनुअल/अनुदेशो के माध्यम से किया जा सकता है।

ऋण प्रदान करना बैंक का मुख्य कार्य है, जिसमें जोखिम सम्मिलित है। यह संभावना रहती है कि लिये गये निर्णयों में से कतिपय निर्णयों से बैंक को हानि उठानी पड़े। बैंक का यह लक्ष्य होना चाहिये कि वह जोखिम का प्रबंधन इस तरह से करे कि सुदृढ़ ऋण प्रवाह निर्मित हो एवं प्राप्तियों को बढ़ाया जा सके। ऋण नीति समग्र रूप में ऋण स्वीकृति, ऋण जोखिम प्रबंधन एवं पद्धति एवं नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु बैंक के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

बजार की वास्तविकताओं, व्यापार प्राथमिकताओं, शासकीय नीतियों एवं नियंत्रण आवश्यकताओं से सामंजस्य स्थापित करने हेतु ऋण नीति की प्रतिवर्ष समीक्ष की जाती है। बैंक द्वारा द्वितीय समामेलन के पश्चात् पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जारी ऋण नीति की समीक्षा की है जिससे कि वित्तीय क्षेत्र में हो रहे विकास एंव शासन तथा नियंत्रको की नीतियों से तालमेल बैठाया जा सके साथ ही समामेलन पश्चात् बैंक के समस्त कार्यालयों में पारदर्शी रूप से एक समान नीति के तहत ऋण प्रवाह को संचालित किया जा सके। ऋण नीति का यह संशोधित संस्करण निरंतर एवं सुदृढ़ व्यवसायिक वृद्धि प्राप्त करने हेतु बैंक को सक्षम बनाता है।

ऋण नीति के मुख्य उद्देश्य :–

- ऋण कार्यो से संबधित मुख्य मापदण्डों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करना।
- अग्रिम प्रस्तावों का उचित रूप में मूल्यांकन करना व निपटना।
- प्रस्ताव शीघ्रता से निपटाने व प्रभावी रूप से विनियोजन, निगरानी एवं बैंक की निधियों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु उचित रूप से प्राधिकारों को प्रत्यायोजित करना।
- उत्पादकता बढ़ाने हेतु निधियों के प्रवाह का बनाये रखना।
- अधिकतम लाभप्रदता बढ़ाना।
- प्राधिकृत अधिकारी के ऋण स्वीकृति के अधिकार का प्रत्यायोजन।

ऋण नीति का विस्तार :– बैंक की ऋण नीति, बैंक की सम्पतियों की तरलता, लाभप्रदता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मानदंडो पर प्रकाश डालती है। ऋण नीति को मुख्य रूप से निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) ऋण का अभिनियोजन – (अ) निर्देशित ऋण (ब) महत्वपूर्ण क्षेत्र/थ्रस्ट ऐरिया (स) अन्य क्षेत्र

(2) उधारकताओं का वर्गीकरण – (अ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (ब) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

(3) ऋण स्वीकृतियाँ – (अ) विवेकपूर्ण ऋण सीमाएँ (ब) मूल्य निर्धारण तकनीक (स) प्रक्रिया

(4) प्रतिभूति – (अ) अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ब) प्रतिभूतियों की निषेधात्मक सूची (सी) उधारकर्ताओं को निषेधात्मक सूची में सम्मिलित करने के लिए मानदण्ड (द) प्रतिभूति के रूप में गारंटियों को प्राप्त करने के लिए मानदण्ड।

(5) प्राधिकारों का प्रत्यायोजन – (अ) सामान्य नियम (ब) ऋण प्रदाता अधिकारी (स) ऋण प्रदत्त अधिकार (द) तदर्थ सुविधाएँ। (इ) निषिद्धियाँ (फ) विविध

(6) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी – (अ) व्यक्तिगत कार्यपालक/अधिकारी (ब) प्रबंधन समिति (स) निदेशक मण्डल

(7) निगरानी एवं नियंत्रण – (अ) प्रक्रिया का पुनरीक्षण (ब) नियंत्रक विवरणी (स) निगरानी (द) गुणावत्ता नियंत्रण

(8) नीति विषयक निगरानी/पुनरीक्षण

ऋण नीति में परिवर्तन एवं समीक्षा/संसोधन :– भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों को सम्मिलित करने हेतु ऋण नीति को निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात् परिवर्तित किया जा सकेगा। मंडल द्वारा समय–समय पर ऋण नीति के संशोधनों को कार्यालयीन परिपत्रों के द्वारा जारी किया जायेगा जिनकी अद्यतन स्थिति आगामी नीति में शामिल की जायेगी।

ऋण नीतियाँ अनुपालन :– सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नीति दस्तावेज में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी विषय पर शंका होने की स्थिति में प्रधान कार्यालय के ऋण विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें ऋण नीति से किसी भी स्तर पर विचलन (डेवियेशन) की स्थिति में संबधित कर्मी की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र :– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण देने के लिए बैंक की भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। समय– समय पर नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा –निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे लघु एवं सूक्ष्म (एस.एम.ई) इकाईयों आवास वित्त, कृषि इत्यादि के लिए ऋण देना जारी रखेगी। बैंक यह प्रयास करेगा कि कुल बकाया अग्रिमों का 60 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिय। कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में से 25 प्रतिशत (अर्थात् कुल बकाया अग्रिम का 15 प्रतिशत) समाज के कमजोर वर्ग को दिया जाना चाहिये।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषिगत वित्त नीति :– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिये वित्तीय सहायताा प्रदान करना है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में हो सकता है जो इस प्रकार है :

- अलग–अलग किसानों (स्वंय सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह अर्थात अलग–अलग किसानों के समूहों सहित बशर्ते बैंक ऐसे वित्त का अलग से ब्यौरा रखते हों) को कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेयरी उद्योग, मतस्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिये वित्त प्रदान करना।
- फसल उगाने के लिये अर्थात फसल ऋण। इसमें पारम्परिक/गैर पारम्परिक बागान एवं फलोद्यान शामिल होंगे।
- 12 माह से अधिक अवधि के लिये कृषि उपज(गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर रू. 10.00 लाख तक के अग्रिम प्रदान करना भले ही किसानों की फसल उगाने के लिये फसल ऋण दिये गये हों अथवा नहीं।
- कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित उत्पादन और निवेश आवश्यकताओं हेतु वित्त पोषण के लिये कार्यशील पूँजी और मियादी ऋण प्रदान करना।
- कृषि प्रयोजन हेतु भूमि क्रय के लिये छोटे, सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना।
- गैर संस्थागत उधार दाताओं के प्रति ऋणाग्रस्त, आपदाग्रस्त किसानों को उचित सम्पार्श्विक अथवा सामूहिक जमानत पर ऋण प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों, स्वंय सहायता समूहों और सहकारिता द्वारा फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किये गये कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निंदाई, फसल कटाई, श्रेणीकरण, छटाई, प्रसंस्करण तथा परिवहन के लिये ऋणा प्रदान करना।
- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु ऋण भले ही उधारकर्ता इकाई निर्यात कार्यो में सक्रिय है या नहीं।
- अन्य संस्थाओं (जैसे कंपनियों, भागीदारी फर्मो

तथा संस्थानों) को कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेयरी उद्योग, मतस्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि) के लिये ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।

- फसल काटने से पूर्व और कटाई के बाद किये गये कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निंदाई, फसल कटाई, श्रेणीकरण, छटाई, प्रसंस्करण तथा परिवहन के लिये ऋण प्रदान करना।
- कृषि एवं उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिये प्रति उधारकर्ता रू. 1.00 करोड़ की कुल राशि के अलावा कम्पनियाँ, भागीदार तथा अन्य संस्थाओं को दो तिहाई ऋणं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों, स्व–सहायता समूहों और सहकारिता के अलावा संयंत्र और मशीनरी में रू. 10.00 करोड़ तक के निवेश वाली खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाईयों को ऋण डेयरी खंड के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण जिससे प्रमुख रूप से छोटे/सीमांत/कृषकों/अंत्यंत लघु इकाईयों को लाभ मिल सकता है, जिससे डेयरी कारोबार का विकास हो पायेगा।
- उर्वरक कीटनाशक दवाईयों, बीजों आदि की खरीद और वितरण हेतु उधार।
- पशु खाद्य, मुर्गी आहार आदि जैसे संबद्ध कार्यकलापों के लिये निविष्टियों की खरीद एवं संवितरण के लिये रू 40.00 लाख तक के ऋण।
- एग्रीक्लीनिक एग्रीबिजनेस की स्थापना के लिये वित्त।
- कृषि मशीनरी और औजारों के वितरण हेतु किराया खरीद योजना के लिये वित्त।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों तथा बड़े आकार वाली आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण।
- सदस्यों के उत्पादनों का निपटान करने के लिये किसानों की सहकारी समितियों का ऋण।
- सहकारिता प्रणाली के माध्यम से किसानों को अप्रत्यक्ष ऋण (ब्रांडो और डिवेन्चरों के निर्गमों में अभिदान से भिन्न)
- भंडारण सुविधाओं का निर्माण और उन्हे चलाने कृषि उत्पाद/उत्पादनों के भडांरण के लिये बनाई गयी कोल्ड स्टोरेज इकाईयों (भंडारघर, बाजार प्रांगण, गोदाम और साइलों) चाहे वे कहीं भी स्थित हों, सहित के लिये ऋण। यदि स्टोरेज इकाई को लघु उद्योग इकाई/व्यष्टि या लघु उद्यम के रूप में पंजीकृत किया गया हो, तो ऐसी इकाईयों को दिये गये ऋण को लघु उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा।
- ड्रिप सिंचाई, मशीन सिंचाई प्रणाली, कृषि मशीन के विक्रेताओं को निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया वित्त चाहे वे कहीं भी कार्यरत हों।
- किसानों को ऋण देने, निविष्टियों की आपूर्ति करने तथा अलग–अलग किसानों, स्वंय सहायता समूह, संयुक्त देयता समूहों से उत्पादन खरीदने हेतु आढ़तियों (ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों के बाजारों/मंडियों में कार्यरत् कमीशन एजेन्ट) को ऋण।
- सामान्य क्रेडिट कार्ड (जी.सी.सी) के तहत सामान्य प्रयोजनों के लिये ऋण के अंतर्गत क्रेडिट काड का बकाया ऋण।
- एन.जी.ओ/एम.एफ.आई को आगे अलग–अलग किसानों जहाँ उनके एस.एच.जी/जे.एल.जी को उधार देने के लिए ऋण प्रदान करना।
- ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में नो फ्रिल खातों की जमानत पर उधार रू. 25000 /– (प्रति खाता) तक के ओव्हरड्राफ्ट प्रदान करना।
- किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दिये गये क्रेडिट को क्रषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त के रूप में माना जावेगा।
- स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर व्यक्तियों को, या अन्य संस्थाओं को आगे ऋण देने के प्रयोजन हेतु एन.बी.एफ.सी. को मंजूर किया गया ऋण एन.बी.एफ.सी द्वारा आरंभ की गई जमानती अस्तियों में बैंको द्वारा किये गये निवेश जहाँ अंतर निहित अस्तियां स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण।

अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण सम्बंधी नीतियाँ हितग्राहियों एवं ऋण प्राप्तकर्ताओं के हित में सदैव कार्य करने हेतु प्रयासरत हैं। इसलिए लाभ प्राप्त करने वालों का भी कर्तव्य है कि वे नीतियों और नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास के मार्ग के सहभागी बनें जिससे न केवल उन्हें भविष्य में भी लाभ प्राप्त हों अपितु क्षेत्र, जिले, राज्य एवं देश के विकास में भी वे सहयोगी सिद्ध हों।

संदर्भ :–

- माथुर डॉ. रीता, बैंकिंग प्रणाली, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- मिश्र डॉ. जेपी, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियाँ, साहत्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा
- सिंघटवाड़िया प्रो. टी.एम., बैंकिंग एवं राजस्व, सुमित पब्लिकेशन्स, जबलपुर
- Sonara C.K. (2008), Regional Rural Banks in India –Anmol Publications, New Delhi
- Tomar A.K. and Prakash Jai (1996), Role of Regional Rural Bank in Economic Development, Mohit Publication, Delhi.

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

भारतीय प्रशासन में सुशासन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

ज्योति नामदेव
शोधार्थी

प्रस्तावना :– प्राचीन काल कौटिल्य, चाणक्य के समय में ही सुशासन के तत्वों को देखा गया है जो कि वर्तमान समय में समस्त विश्व के प्रशासनों सरकारों में लक्षित होता है।

सुशासन का सामान्य अर्थ है ''अच्छे तरीके से शासन करना अर्थात् किसी सामाजिक राजनैतिक इकाई को इस प्रकार संचालित किया जाये कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। सुशासन शब्द का प्रचलन 1990 के दशक में तेजी से देखा गया इस दशक में विश्व की अनेक संस्थानों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस शब्द का व्यापक प्रयोग किया गया है, भारतीय परम्परा में रामराज्य की कल्पना सुशासन को ही इँगित करती है।

वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुये यह स्पष्ट किया कि सुशासन का मूल्य सापेक्ष अवधारणा है क्योंकि प्रत्येक शासन सुशासन नहीं होता बल्कि कुछ निर्धारित विशेषताओं से सम्पन्न शासन को ही सुशासन कहा जा सकता है।

वर्तमान समय में सुशासन का महत्व इस बात से समझा जा रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें विकासशील देशों को आर्थिक सहायत देते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशासन की शर्त रखती है और यह जानने का प्रयास करती है कि कितने प्रभावी रूप में किया गया है।

सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया रूप में लिया गया है जिसमें शासन के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सँसाधनों का उपयोग राष्ट्र की उन्नति एवँ विकास हेतु किया जाता है। अतः सुशासन विकास हेतु एक आवश्यक शर्त है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में भष्टाचार की समस्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस कारण से सरकार की विकास योजनाओं का पूर्ण लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पाया पाया। इसलिये भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुशासन को बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

सुशासन से विकेन्द्रीकृत शासन का लक्ष्य भी पूर्ण होता है और स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। इससे सीमित समय में गुणवतापूर्ण सेवा में प्रदान की जा सकेगी और आम जनता में सुधार आयेगा।

सुशासन के लिये आवश्यक तत्व :– संयुक्त राष्ट्र सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के पूर्व महासचिव अन्नान कोफी के अनुसार सुशासन मानवाअधिकारों तथा विधि के शासन के लिये सम्मान सुनिश्चित कर रहा है, लोकतन्त्र को सशक्त बना रहा है तथा लोक प्रशासन में पारदर्शिता तथा क्षमता को प्रोत्साहन दे रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सँयुक्त राष्ट्र में सुशासन के 8 सिद्धान्त निर्धारित किये है

1. सहभागिता
2. विधि का शासन
3. सर्वसम्मति उन्मुख
4. समानता एवँ समावेशन समाज
5. प्रभावकारिता एवं कार्यकुशलता
6. उत्तरादायित्व
7. पारदर्शिता
8. अनुक्रिया शीलता

भारतीय संविधान में सुशासन की झलक :– सुशासन के लिये जो मापदण स्थापित किये गये है यदि उन मापदण्डों के आधार पर भारत में सुशासन की स्थिति का विश्लेषण किया जाये, तो भारत में सुशासन की स्थिति ना तो बहुत उच्च दिखाई पड़ती है ना ही बहुत निम्न। विधि के शासन आदि क्षेत्रों में भारत में बहुत प्रगति हुई है लेकिन सामाजिक न्याय, राजनैतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा प्रशासन की प्रभावशीलता के क्षेत्रों ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

भारत में सुशासन को प्रोत्साहन एवँ सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर निम्न कदम उठाये गये

73 व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लोकताँत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता।

समतामूलक एवं समावेशी विकास के विभिन्न वैधानिक निकायों का गठन किया गया

जैसे– राष्ट्रीय महिला आयोग 1952.
राष्ट्रीय अल्पसँख्यक आयोग 1992.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993.

प्रशासनिक कार्यो में सुधार हेतु 1968 व 2005 में क्रमशः प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया।

सुशासन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है इस रिपोर्ट में सूचना का अधिकार, शासन में नैतिकता, स्थानीय स्वशासन तथा ई–गर्वेनेंस के विषय ठोस कदम उठाये गये है।

वर्ष 2001 में एक कम्प्यूटरीकृत लोक प्रशासन शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।

संविधान के प्रारम्भ में केवल अनुसूचित जाति के लिये एक आयोग का प्रावधान किया गया था, जो अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामलों की भी देख–रेख करता था। परन्तु 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सँविधान में अनुच्छेद – 338 (क) जोड़ा गया है, जो अनुसूचित जनजाति आयोग से सम्बन्धित है।

26 जुलाई 2014 को सुशासन के लिये जन–भागीदारी बढ़ाने हेतु ''मेरी सरकार'' नामक एक पहल की शुरूआत की गई।

भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियाँ :– भारत में सुशासन के समक्ष अनेक चुनौती विद्यमान है, जो प्रशासन में जनभागीदारी की व उसकी प्रभावकारिता को सीमित करती है। कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है–

– लोक शिकायत का प्रभावी समाधान।
– नौकरशाही में लाल फीता शाही की प्रवृत्ति।
– प्रशासन में राजनैतिक नकारात्मक हस्तक्षेप।
– महिलाओं की शिकायत का निवारण।
– प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा सदस्यों की भूमिका।
– स्वच्छ भारत के लिये व्यवहार परिवर्तन।
– भारत में नागरिक घोषणा पत्र का विकास।
– त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक विलम्ब।
– निर्भरता, अशिक्षा, जातिवाद एवं सम्प्रदाय जैसी सामाजिक–आर्थिक बाधायें[1]।

प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार के निवारण हेतु किये गये महत्वपूर्ण प्रयास :– भ्रष्टाचार, समाज एवं राष्ट्र के नैतिक पतन का परिणाम एवं कारण दोनों है।

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। सामान्य रूप से वे कार्य या व्यापार जो फरेब धोखा एवं बेईमानी पर आधारित होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं।

परिभाषित दृष्टि से भ्रष्टाचार की भारतीय दण्ड सँहिता की धारा 161 में व्यक्त की गई है।[2]

भारत में भ्रष्टाचार रोधी कार्य तन्त्र

1. लोक सेवक जाँच अधिनियम 1850.
2. भारतीय दण्ड सँहिता – 1860.
3. विशेष पुलिस अवस्थापन – 1941.
4. भष्टाचार निरोध अधिनियम – 1947.
5. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम–1954.
6. केन्द्रीय लोक सेवा (आचरण) नियम–1955.
7. रेलवे सेवा (आचरण) नियम–1956.
8. केन्द्रीय जाँच ब्यूरों – 1963.
9. केन्द्रीय सतर्कता आयोग–1964.
10. राज्य सतर्कता आयोग–1964.
11. राज्यों में लोकायुक्त।
12. जिला सतर्कता अधिकारी।
13. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल।
14. संसद और उसकी समितियाँ।[3]

पारदर्शिता जबाव देहो एवं सूचना का अधिकार :– जबावदेही एवं पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधार–शिला होती है। प्रशासन में जबाव देही एवं पारदर्शिता व्यवस्था में जनता के विश्वास को सबलता प्रदान करती है तथा साथ ही व्यवस्था में भी सकारात्मक गति–शीलता बनी रहती है। साथ ही एक सभ्य समाज के दृष्टिकोण से ही भी यह आवश्यक है कि प्रशासनिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाये। इसी परिवेश में वर्ष 1992 में विश्व बैंक से अपना दस्तावेज ''अभिशासन और विकास'' में जबाव देहिता को अच्छे अभिशासन के लिये अति आवश्यक माना है भारतीय प्रशासन इस सन्दर्भ में वचनबद्ध है।[4]

भारतीय सुशासन की दिशा में सूचना का अधिकार :–

– 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर

सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है।[5]

- भारत सरकार ने सदैव अपने नागरिकों के जीवन को सुचारू व सुद्धढ़ बनाने पर बल दिया है।
- आर.टी.आई का अर्थ है सूचना का अधिकार इसे संविधान की धारा 19 (1)के अन्तर्गत एक भूल–भूत अधिकार बना दिया गया है।
- धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को बोलने, विचार अभिव्यक्ति, शासकीय कार्यो के सार्वजनिक सूचना प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।
- प्रत्येक नागरिक को भुगतान के रूप में दी गई राशि के बारे में जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा दी गई राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।
- ये सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की माँग की जाती है।
- प्रशासन नागरिकों द्वारा माँगे जाने वाली सूचना देने के लिये विलम्ब या मना करती है तो नागरिकों इसका जबाव माँगने का अधिकार है।[6]

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य :–

- लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना तथा उनके उत्तरदायित्व में संवर्धन करना।
- लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करना।
- केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करना।
- भ्रष्टाचार उन्नमूलन का प्रयास।
- शासन तथा उसके उपक्रमों को उत्तरदायी करना।
- संस्कारों का दक्ष प्रचालन सुनिश्चत करना।
- सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।
- संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखना।
- विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।[7]

नागरिकों के अधिकार पत्र के माध्यम से सुशासन की स्थापना :–

- आर्थिक एवं सामाजिक सतत् विकास के लिये सुशासन आवश्यक है सुशासन के लिये तीन आवश्यक घटक है प्रशासन में पारदर्शिता, जबाव देही और उत्तरदायित्व। सर्वप्रथम ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र का प्रारम्भ 1991 में जारी एक भवेत पत्र के माध्यम हुआ जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर के विचारों की उपज थी।
- 1991 में जारी भवेत पत्र के अनुसार इस में सार्वजनिक सेवा के 06 सिद्धांत सम्मिलित थे। मापदण्ड का खुलापन, पारदर्शिता, सूचना, विकल्प या स्वैच्छिक चुनाव, निष्पक्षता एवं सुलभता। ये सभी तत्व भारतीय प्रशासन में लक्षित होते हैं।
- नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों के प्रति संगठन के प्रतिबद्धता पर केन्द्रित एवं व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो सेवाओं की गुणवत्ता, सूचनाओं विकल्प और परामर्श गैर भेदभाव और पहुँच शिकायत, निवारण, शिष्टाचार से सम्बन्धित है।
- भारतीय प्रशासन में नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से जन जागरूकता और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित किया गया है।
- 1996 में नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में पहली बार प्रशासन को पारदर्शिता एवं जबावदेही बनाने का निर्णय लिया गया इसके कुछ समय अन्तराल में 24 मई 1997 को मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन ''प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन'' विषय पर आयोजित किया था।[8]

सरकार द्वारा सुशासन लाने के लिये नागरिकों के नौ सूत्रीय कार्यक्रम :–

1. नागरिों के लिये अधिकार पत्र एवं जबावदेही प्रशासन बनाया गया।
2. ग्रामीण एवं शहरी निकायों को अधिक से अधिक सत्ता विकेन्द्रित की गई।
3. प्रवर्तित कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और सरलीकरण किया गया।
4. प्रशासन में पारदर्शिता को अपनाने का पूर्ण प्रयास किया गया।
5. लोक सेवकों के लिये आचार संहिता का प्रावधान किया गया है।
6. कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्वकरण किया गया है।
7. सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया गया।
8. प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत निवारण का प्रभावी प्रावधान।
9. लोक सेवा पाने का अधिकार।

सुझाव :–

1. मंत्रियों, अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों के द्वारा आचार संहिता पालन में नैतिक मूल्यों का संचार किया जाये।
2. गरीबी, बेरोजगारी, विषमता को दूर करने की परम आवश्यकता है।
3. भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर, संस्कारों के विकास एवं आदर्शो की स्थापना कर दैनिक जीवन में अपना कर सुशासन का विकास की पहल की जा सकती है।
4. प्रशासनिक पद्धतियों का सरलीकरण किया जाये ताकि भ्रष्टाचार, अधिकारों का रूखा व्यवहार का निवारण सम्भव हो सके।
5. भ्रष्टाचार विरोधी कानून में विनिर्धारित कठोरात्मक दण्ड की व्यवस्था का ईमानदारी से पालन किया जाये।
6. न्याय प्रक्रिया को विलम्बकरण से बचाया जाये।
7. भ्रष्टाचारी नेताओं व अधिकारियों के साथ कठोर दण्ड की व्यवस्था के साथ–साथ उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सद्भावना नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिये
8. नैतिकता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जायें।
9. प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का सद्ज्ञान होना चाहिये।

उपसंहार :– स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार क्रमशः 1964, 2005, राज्यों में लोकायुक्त जिला सतर्कता अधिकारी, सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम आदि अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है जिनकी प्रभाव की विफलता को भी देखा गया है किन्तु सुझावास्थास्वरूप अन्य जिन सुझावों में ध्यान दिलाया गया है आम नागरिक, अधिकारी वर्ग, नेता वर्ग उन सुझावों को अपनाकर सुशासनात्मक व्यवस्था को राज्यों और देश को अधिक सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है, साथ ही साथ प्रशासन को कठोर कानून बनाने चाहिए और इनके उत्लखंन करने वाले को दण्ड व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाये, पुनः जिससे देश में सुशासन फलीभूत हो सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक का देश में सुशासन स्थापन, भ्रष्टाचार निवारण, सामाजिक जीवन में आपराधिक प्रवृत्तियों की जगह नैतिक मूल्यों का संचार, शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सरकार का विकाकात्मक योजनाओं का अधिक प्रयोग करें।

सन्दर्भ सूची :–

1. महेश कुमार वर्णमाला ''भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था "NCERT" OSMOS प्रकाशन TM No. 01181859 दिल्ली – 110009
2. डॉ. बी.एल., फाडिया, ''राजनीति विज्ञान'' प्रश्नपत्र–02, प्रतियोगिता साहित्य सीरिज, प्रकाशन साहित्य भवन, आगरा–28007 उत्तरप्रदेश।
3. राजेश मिश्रा ''राजनीति शास्त्र'' एक समग्र अध्ययन प्रकाशन सरस्वती IAS दिल्ली – 110009.
4. अरूण दत्त शर्मा, कुमार आशुतोष व नवीन विनीत, ''राजनीति विज्ञान'' प्रश्न पत्र II व III प्रकाशन अरिहंत पब्लिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, 110002
5. श्वेता मिश्रा, नागरिक नीति और प्रशासन, मनोज सिंह (सम्पादक), ''प्रशासन एवं लोक नीति, पृष्ठ 274.
6. ''सामान्य ज्ञान'', किरण प्रकाशन दिल्ली–110034.
7. डॉ. जे.सी.जौहरी, ''राजनीति विज्ञान'' नवीन संस्करण, प्रकाशक – एस बी पी डी पब्लिकेशन, आगरा – 282002.
9. Net RAS MAINS, Chenal नागरिक अधिकार पत्र Smart Student.
10. डॉ. बी.एल. फड़िया, ''लोक प्रशासन'' प्रकाशन साहित्य भवन, 2015, 22वाँ संस्करण आगरा–282007.

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

वृहत्तर भारतीय संस्कृति में दशावतार

विनीता मण्डलोई, शोधार्थी
प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

प्राचीन भारतीय इतिहास का रोचक पक्ष भारत की सीमाओं के परे के देशों के जीवन और संस्कृति पर उसका प्रभाव है। इन देशों में भारतीय दर्शन और विचार–पद्धति का प्रवेश हुआ, जिसके फलस्वरूप वहाँ भारतीय शैली की संस्कृति पल्लवित हुई और एक प्रकार का वृहत्तर भातर बन गया। पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी यूरोप के साथ तो भारत को व्यापारिक संबंध अति प्राचीन काल से चला आ रहा था, किन्तु इससे भी अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध अफगारिस्तान मध्य एशिया, चीन, बर्मा, और दक्षिणी–पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ था। इन देशों के जीवन और वहाँ की सभ्यता पर हमारे पूर्वजों ने इतनी गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक छाप डाली थी कि सैकड़ों शताब्दियों के बाद भी आज उसके जीवित चिन्ह हमें प्रचुर संख्या में उपलब्ध होते हैं। इतिहासकार डॉ. भार्गव के शब्दों में "एशिया के दक्षिण पूर्व के अनेक देशों में तो भारत की सांस्कृतिक विजय इतनी पूर्ण और राजनीति राजनीतिक प्रभुता इतनी दीर्घकालीन थी कि उन देशों के लिये 'वृहत्तर भारत' शब्द का प्रयोग सर्वथा उपयुक्त था।"[2]

डॉ.विमलचन्द पाण्डेय ने लिखा है कि "आज जो साक्ष्य प्राप्त है उनके आधार पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि प्राची भारतीयों में अदम्य साहस, शौर्य, अध्यवसाय, संगठन और प्रचार क्षमता का परिचय देते हुए दूरस्थ प्रदेशों में अपने व्यापारिक प्रभाव में आए हुए इन प्रदेशों का सामूहिक नाम 'वृहत्तर भारत' है। इसकी स्थापना स्थलीय मार्गों से विशेषतया मध्य एशिया और सामुद्रिक मार्गों से दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई है।[3]

भारतीय इतिहास में और टॉलेमी आदि विदेशी लेखकों के विवरणों से इस सम्बध में अनेक उल्लेख मिलते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व के द्वीपों और देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। पुराणों के अनुसार भारत में मुख्य भूमि के अतिरिक्त आठ दक्षिण पूर्वी समुद्र में स्थित द्वीप भी सम्मिलित थे–इन्द्रीय, कशेरू, ताम्रपूर्ण, नागद्वीप, दर्यास्तमान, कराह, सिंहल और वरूण, इन द्वीपों में क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे के अतिरिक्त सभी द्वीपों की विद्वानों द्वारा पहचान कर ली गई है। इन्द्रद्वीप आधुनिक अण्डमान का नागद्वीप आधुनिक निकोबार का, कराह मलय प्रायद्वीप में स्थित केडा का, सिंहल आधुनिक श्रीलंका का अथवा सीलोन का और वरूण आधुनिक बोर्नियो का प्राचीन नाम है। इस प्रकार आधुनिक अण्डमान से बोर्नियो तक के द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की पताका प्राचीन समय से फहरा रही है। इनद्वीपों के अतिरिक्त सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) यमद्वीप (जावा) और बलिद्वीप (बाली) में भी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का साम्राज्य फैला हुआ था। बर्मा के दीक्षणी चीन सागर के भू–भाग में किसी समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार व प्रसार था।[4]

ऐतिहासिक काल, विशेषकर ईसा की प्रारम्भिक सदियों में तो निःसन्देह भारतीय स्थल और जल मार्ग से विदेशों में सहज रूप से जायें और वहाँ अपने उपनिवेश बसाने लगे थे, जहाँ हिन्दू और बौद्ध राजबुल राज करने लगे थे। भारतीय संस्कृति की पौधें वहाँ लगाकर अश्वस्थ बन गयी थी गान्धार, वामियान, काशगर, खुत्रन, तुर्फान तक चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, तथा स्थल जल मार्गों से अभियान होने लगे थे। भारत से चीन तक का समूचा 'रेशन मार्ग' अभियान बस्तियों से भर गया। समूचे मध्य एशिया में समरकंद तक बौद्धधर्म का विशेषतः बोलबाला हुआ। इन बस्तियों में बौद्ध मूर्तियों, शिव, विष्णु, कृष्ण, राधा एवं दशावतार विषयक हिन्दू प्रतिमाएँ पूजी जाने लगी। भारतीय भाषा, साहित्य, लिपि, आदि का वहाँ प्रचार हुआ। कला की अतुलनीलय सामग्री वहाँ की मरूभूमि में विकसित हुई और वह समूचा भू–भाग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

बर्मा, मलय, स्याय, कम्बुज, चंपा, जावा, सुमात्रा, बाली बोर्नियो और दक्षिणी चीन तक भारतीय हिन्दू पंडितों और बौद्धाचार्यों का प्रवेश हुआ सुवर्णद्वीप में पहले हिन्दू (शैव, शाक्त, और वैष्णव) पीछे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। कौटिल्य, ब्राह्मण आदि कम्बुज चम्पा पहुँचे और वहाँ हिन्दू राजवुलों की नींव डाली, फलस्वरूप संस्कृत भाषा और साहित्य का, काव्य तथा नाटकों का विस्तार तथा प्रणयन हुआ। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, पुराणों की कथाएँ, दशावतार एवं भारतीय कलाओं की परम्पराएँ वहाँ व्यवहत हुई और कही–सुनी जाने लगी भारतीय कला एवं संस्कृति का

वहाँ विस्तार हुआ। पहले गुप्त, पाल एवं पल्लव आदि कला विद्याओं से प्रमाणित वहाँ की कला स्थानीय रूप से विकसित हुई। अनन्त हिन्दू तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण कम्बुज के अंकोरथान और अकोरवाट में, मध्य जावा के प्रबन्ध में खड़े हुए जो आज भी वहाँ दर्शनीय है। भारतीय संस्कृति इन द्वीपों प्रायद्वीपों में खूब विकसित और फली फूली। भारतीय संस्कृति इन निःशस्त्र तथा स्नेहार्द्र विस्तार ने पश्चिमी देशों को, मध्य एशिया को, चीन, कोरिया, जापान को, नेपाल तिब्बत, मंगोलिया को, सिक्किम–भूटान को, लंका को, बर्मा, मलय, कम्बुज, चंपा को जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो को अपने परिवेश में समेट लिया है।[5]

दशावतारों अंकनों में रामावतार एवं कृष्णावतार का विस्तार विदेशों में अधिक हुआ लेकिन कृष्णावतार का प्रसार रामावतार की तुलना में विदेशों में कम हो पाया। इसका कारण यही रहा होगा कि लोगों की दृटि राम के मर्यादा स्वरूप की ओर अधिक रही और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल राम का 'आदर्श चरित्र' जन सामान्य को अधिक ग्राह्य रहा। भारत के बाहर विदेशों में जहाँ प्राचीनकाल में भारतीयों के उपनिवेश थे, वहाँ के कलाकारों ने विष्णु के दशावतार के दृश्य उत्कीर्ण किये थे और विष्णु के दशावतार विषयक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। कृष्णावतार के सन्दर्भ में जो भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं, वे इस बात का सत्यापन करते हैं कि कृष्ण लीला का निरन्तर विकास हुआ और राधा–कृष्ण केवल भारत के ही नहीं, सम्पूर्ण मानवजाति के आदर्श बने।

ग्रीक आदि भाषाओं में उपलब्ध देने वाला 'हरिकुलम' (हरिकुल) नाम विष्णु के कृष्णावतार का पर्याय माना जाता है। मेगस्थनीज (ईसा पूर्व तीसरा शताब्दी) के विवरण में कृष्णावतार के सम्बन्ध में संकेत मिलते हैं। उस समय श्रीकृष्ण को 'हरक्यूलिस' कहा जाता था तथा सिकन्दर से युद्ध करने के लिये जाने वाले युद्ध की सीमा के अग्रिम पंक्ति के सैनिक अपने पास 'हरक्यूलस' की मूर्ति लेकर चलते थे। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) अपने को 'भागवत' कहता था।[6] मंगोलिया में कृष्णावतार के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। वहाँ पर कृष्ण को 'गिसन–खान' कहा जाता है। 'गिसन' कृष्ण का भ्रष्ट उच्चारण है तथा 'खान' बहादुर के लिये मंगोल उपाधि है। इस प्रकार से वहाँ कृष्ण 'बहादुर कृष्ण' के रूप में जाने जाते हैं।[7]

दक्षिण पूर्वी एशिया के प्राचीन देश चम्पा और कम्बुज में रामवतार एवं कृष्णावतार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वैष्णव धर्म का कम्बुज (वर्तमान कम्बोडिया) में प्रमुख स्थान था। कम्बुज की छठी शती की कलाकृतियों में गोवर्धनधारी कृष्ण की एक मूर्ति विशेष रूप से दर्शनीय है, इसमें श्रीकृष्ण के सिर पर घुँघराले केश हैं और वे घुटनों तक लटकता हुआ अधोवस्त्र धारण किये हुए है। गोवर्धनधारी कृष्णावतार की एक मूर्ति यूरोपीय देश हॉलेण्ड के एक कला प्रेमी सज्जन के व्यक्तिगत संग्रह में सुरक्षित हैं।[8]

मध्य एशिया के सभी नगर खोतान से मिट्टी के प्रचलित भांडों (बर्तनों) के कुछ खण्ड मिले हैं। इनमें से छठी शती के दो टुकड़ों पर कृष्णावतार अपनी शक्ति के साथ अंकित है। ये कलात्मक भांडावशेष लेनिनग्राड स्थित हर्मिताज संग्रहालय में सुरक्षित हैं।[9]

पुराणों में भगवान के अनेक अवतारों–पूर्णावतार, अंगावतार, पुरूषावतार, गुणावतार, व्यूहावतार, सत्यावतार, लीलावतार एवं अर्चावतार आदि की कल्पनाएँ हुई हैं। विष्णु के अवतारों को पूर्ण (रामकृष्ण) आवेश (परशुराम) और आंशिक (आयुधपुरूष) इन तीनों श्रेणियों में विभाजित किया गया है वायु एवं रूपमण्डन में विष्णु के दस अवतारों, भागवतपुराण में बाईस, तेईस और सोलह तथा सात्वसंसहिता में 39 अवतारों का उल्लेख हुआ है। किन्तु सामान्यतः ग्रन्थों में विष्णु के निम्नलिखित दस अवतार बताये गये हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कल्कि।

इनकी सर्वस्वीकृत अभिधा 'दशावतार है। (जबकि कृष्ण और बलराम को अलग–अलग दो अवतार मानने पर संख्या ग्यारह होती है) वैदिक साहित्य, पुराण, रामायण, जैन एवं बौद्ध साहित्य तथा परवर्ती साहित्य में अवतारवाद का विस्तृत विवरण मिलता है साथ ही सभी अवतारों के क्रमिक विकास से सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम का भी परिचय इन्हीं ग्रन्थों से प्राप्त होता है।

दशावतारों का विवरण कुषाणकाल से मिलना प्रारम्भ हो जाता है। एवं गुप्तकाल में विष्णु के अवतार स्वरूप के प्रतिमालाक्षणिक विवरण मूर्तियों में मिलने लगते हैं। मध्यकालीन साहित्यिक, पुरातात्विक, अभिलेखीय एवं मूर्ति–शिल्प के उद्धरणों में दशावतारों के चित्रण का प्रचलन अधिक व्यापक हो गया था।

भारत में विविध अँचलों से प्राप्त कला के रूप दशावतार विषयक चित्रों का विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को अच्छी प्रकार समझने के लिये उस क्षेत्र का सांस्कृतिक मूल्यों को समझना जरूरी है।

भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथाओं एवं दशावतार अंकनों, व्रत, उत्सव एवं पर्वों की जो प्रणाली चली आ रही है, उसी से लोक संस्कृति का विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति में दशावतार विषयक प्रभाव चित्रों का सर्वत्र एक जैसा रूप विद्यमान है। वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ–साथ भारत के प्रायः प्रत्येक अंचलों से कृष्णावतार एवं रामावतार विषयक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान विष्णु का दाशविद्य रूप भारतीय जन–जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण भारत के प्रत्येक अँचलों में विष्णु एवं उनके दशावतार विषयक चित्र लोक चित्रकारों द्वारा प्रमुखता से अंकित किये गये हैं। इनका आध्यात्मिक पक्ष भी है। आध्यात्मिक पक्ष के कारण ही भारतीय संस्कृति में पूजित हैं।

न केवल भारत में वरन् अवतारवाद की भावना की झलक वृहत्तर भारतीय संस्कृति में भी दिखाई पड़ती है। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें चीन, तिब्बत, जावा, फिजी, मॉरीशस,रोम, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, मलेशिया, इण्डोनेशिया, जावद्वीप, एवं बर्मा की जन संस्कृति धर्म, साहित्य एव। कला में विष्णु एवं उनसे सम्बन्धित अवतारों के उदाहरण एवं उल्लेख प्राप्त होते यद्यपि भारत में न केवल वैष्णव धर्म की लोकप्रियता बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट है।

थाईलैण्ड में रामवतार का काफी प्रचलन है। 1807 ई. में यहाँ का रामायण नरेश राय प्रथम ने लिखी। बैंकाक के एक प्रसिद्ध मंदिर की दीवालों पर रामावतार की घटनाओं का अंकन है यहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय में रामवतार की अनेक मूर्तियाँ देखी जा सकती है कम्बुज के प्रसिद्ध अंकोरधाम मंदिरों की दीवारों पर रामावतार का दृश्य उत्कीर्ण है। एक दृश्य में कूर्मावतार का चित्रण उल्लेखनीय है, जिसमें एक ओर देवों की और दूसरी ओर असुरों की चौवन–चौवन मूर्तियाँ कतार में बनी हुई है, जो वासुकी नाग को थामे हुए है जो अनेक फणों वाला है। यह दृश्य मंदर पर्वत को मधानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत प्राप्ति के लिये समुद्र मंथन करते देवासुरों का है। कंबोडिया की तरह लाओस के कुछ मंदिरो में भी रामावतार एवं कृष्णावतार के दृष्य उत्कीर्ण हैं। रामावतार एवं कृष्णावतार का विसतर मलेशिया, बर्मा, तिब्बत, तथा इण्डोनेशिया की कला एवं संस्कृति में यत्र–तत्र मिलता है।

भगवान विष्णु के दशावतार स्वरूप की अपील भारतीय ख्याति रही अवतार तत्व पुराणों के प्रधान विषयों में अन्यतम है। यद्यपि अवतार तत्व का बीज वैदिक ग्रंथों में स्पष्टतः मिलता है। अवतारवाद में ऋग्वेदसंहिता में दिये गये तत्व ब्राह्मण ग्रन्थों में विकसित दिखाई पड़ते हैं। उस भावना का स्पष्ट रूप शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।

अवतारों की यह अद्‌भुत एवं रहस्यमयी कथा महाभारत, श्रीमद्‌भागवत, वायुपुराण, गरूड़ पुराण, वराहपुराण, अग्निपुराण, मत्स्यपुराण एवं शिल्प ग्रंथों में वर्णित प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों के साथ मूर्ति कला में कुषाण काल से मध्यकाल तक भारत के विभिन्न अँचलों से प्राप्त मूर्ति अवशेषों के रूप में देखने को मिलती है। भारतीय चित्रकला में दशावतारों का चित्रण 15 वीं शताब्दी ई. से 20 वीं शती ई. तक अनवरत देखने को मिलता है।

उपरोक्त विषय विवेचन से स्पष्ट है कि विष्णु के दशावतार स्वरूप का विस्तार भारत में ही नहीं जावा, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, बालीद्वीप, बर्मा, चीन, तिब्बत, थाईलैण्ड, मलेशिया एवं दुरतम प्रदेश साईबेरिया के जन संस्कृति में जनप्रिय था। दुनिया की ऐसी कौन सी प्रमुख भाषा है जिसमें विष्णु के दशावतार रूप का अंकन न हो साहित्यिक गरिमा और आध्यात्मिक विराटता के कारण दशावतार लीला का विस्तार विदेशों में प्रचलित रहा। धर्म, जाति, भाषा और वर्ग उनकी श्रेष्ठता के मार्ग में नहीं आवे। सभी देशों के निवासियों को विष्णु के दशावतार रूप एवं उनका दिव्य चरित्र एवं गुण प्रिय वंदनीय है। चाहे बौद्ध देश थाईलैण्ड का बौद्ध हो, चाहे मलयदेश अथवा जावा द्वीप का मुसलमान हो। चाहे बालीद्वीप का हिन्द हो सभी के लिये श्री विष्णु के दशावतार रूप समान रूप से महान एवं श्रेष्ठ है।

सन्दर्भ :–

1. डॉ.वी.एस.भार्गव–प्राचीन भारतीय इतिहास, पृ. 482
2. डॉ.पाण्डेय विमलचन्द्र–प्राचीन भाषा का इतिहास, पृ. 23
3. डॉ. भार्गव वी.एस.–प्राचीन भारतीय इतिहास, पृ. 450
4. डॉ.उपाध्याय भगवतशरण–वृहत्तर भारत पृ. 311, 312

5. गौड़ रामशरण–भारतीय वाङ्मय में कृष्ण कथा– पृ. 164, 165
6. धर्मयुग– अंक, 5 मई से 15 मई –1985 ई
7. डॉ.अग्रवाल रतनचन्द्र का लेख–विस्तृत विवरण के लिये साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिनांक 7/9/69 के अंक में प्रकाशित।
8. मित्तल प्रभुदयाल–ब्रज की कलाओं का इतिहास
9. बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, गीता 4, 5
10. धर्मसंस्थापनार्धाय सम्भवामि युगे–युगे, गीता, 4, 7, 4, 8
11. डॉ.मागध कृष्ण नारायण प्रसाद–श्री विष्णु और अनेक अवतार, पृ. 213
12. महाभारत– 6, 66, 8, 12, 339, 36, 12, 349, 36
13. गीता –4,7,
14. महाभारत– 6, 66, 11
15. डॉ. द्विवेदी मनीष–भारतीय साहित्य एवं कला में दशावतार, पृ.153, 159

ओउम् आचार्ययास्कप्रणीतं निरूक्तम्

कोमल
सहायक प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा

1. आचार्यः यास्क :– निरूत्कचार्याणां कस्यापि स्थानकालादिकस्य निर्धारणम् इदमित्थमेव इति न वक्तुं शक्यते। वेदव्यासः– **स्तुत्वां मां शिपिविष्टेति यासक ऋषिरूदारधीः। मत् प्रसादात् अधोनष्टं निरूत्कमधिजग्मिवान्।।** इत्युवाच महाभारते। एतेन् इदं सिद्धयति यत् महाभारतकाल एव यास्को जातः। तथा च अन्येऽपि निरूत्कर्तारा आसात्रिति महाभारतचनासमय" य कलि – व्यतीताब्द – वर्षाणि द्विषंत विद्यते। अत एव विक्रमादित्यस्य राज्यात् सप्तषत–अष्ट शतवर्षाणि पूर्वम् एवं सिद्धयति। शंगरूशिष्य–कथानुसारं पाणिनि–कात्यायनौ सम्राज : महापद्यानन्दस्य समकालिकौ आसतामञ्झझ। तस्य समयो विक्रमात् पूर्वं चतुः शतकं निर्धार्यते। निरूक्ते अन्येशाम् अपि निरूत्कर्तृणां यथा – औपमन्यवः, औदुम्बरायणः, वार्श्यायणिः, गागर्यः, आग्रायणः, शाकपूणिः, और्णवाभः, जैटिकिः, गालवः, स्थालाष्ठीविः, क्रोष्टुकिः, काथक्यः, चर्मशिरा एशां नामानि निरूत्क्कर्त्रा स्वीकृन लिखितानि। एशां निरूत्काचार्याणां निरूत्कानि वेदागंत्वेन न स्वीकृतानि। कश्चियत् औपमन्यवकृतं निरूक्तं वेदागंत्वेन स्वीकर्तुं सांग्रहः अन्यच्च शाकपूणिकृतस्य वेदागंगत्व स्यात् इति वदति। एवं सति अप्रामाणिक–असंख्यपदार्थकल्पनाप्रयुक्तनिष्टप्रसगंगति अन्वस्थादोषः सम्पद्येत। एवम् अपि अन्य निरूत्कापेक्षया यास्कस्य निरूत्कस्यैव प्राधान्यम् एतच्च तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्ञयं स्वार्थ–साधकण।

2. को निघण्टु :–

समानानां वैदिक–शब्दानां = पर्यायवाचिनां समूहो य उपदिष्टाः स समूह एवं निघण्टु–पदवाच्य अयमेव वैदिक : शब्दकोश इति ज्ञेयम्। यत्र गौ–शब्दात् आरभ्य देवपत्री शब्दपर्यन्तं वैदिक शब्दाः संगृहीताः सन्ति यत एते निगमयन्ति मंत्रार्थान् शब्दार्थन् वा अतो निघण्टव उच्यन्ते। अथवा निगमा इमे भवन्ति तेन अपि निघण्टवः कथ्यन्ते। अपि च समाहता भवन्ति। तत्श्चय छन्दोभ्यः समाहन्तवः सन्तो निघण्टव उच्यन्ते। अपि वा छन्दोभ्य : समाहत्य समाहत्य समाम्नातः सन्ति तस्मात् समाहर्तवः सन्तो निघण्टव उच्यन्ते। निघण्औ अध्याय पण्कं वर्तते। तत्राध्यायत्रंय नैघण्टुकं काण्डम्। यस्मादत्र गौणानि नामानि समाग्रातानि। तस्मात् नैघण्टुकम् इति नाम पातम्। अस्मिन् 1641 शब्दाः सन्ति। गो" शब्दात् आरभ्य आपाद–पर्यन्तम् आद्यं नैघण्टुकं मतम्। द्वितीयं नैगमं काण्डं यत्र 272 शब्दानाम् उपदेशो विद्यते। चतुर्थ–पश्चयमाध्यायात्मकं तृतीयं दैवतकाण्डं वर्तते। अत्र अग्नि शब्दात् आरभ्य देवपत्नी–पर्यन्ताः 151 शब्दाः सन्ति। अत्र प्राधान्येन स्तूयमानानां देवानां नाम्रां समाख्यानं वर्तते अत दैवतकाण्डम् इदम्। अयं समाम्नाय आदौ कश्यपेन प्रजापतिना समाम्रातः। माभारते व्यासशह – कपिर्वराहः श्रेष्ठ" चय धर्म" य वृष उच्यते। तस्माद् वृषाकपिः प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः।। वृषाकपिरित्येतत्राम च निघण्टो : पश्चयमाध्याये मिलति।

3. निरूक्तं तस्य प्रयोजनानि च :– एकैकस्य पदस्य संभाविता अवयवार्थाः यत्र निः" शेषेण उच्यन्ते तत् निरूक्तम्। निरूक्तम् इदं द्वादश–अध्यायात्मकं परं परिशिष्टम् अध्याय–युगलं संयोज्य चतुर्द" शाध्यायात्मको निघण्टु–व्याख्यानभूतो ग्रन्थ : निरूक्तमिति।

निरूक्तस्य प्रयोजनानि :–

क. मंत्रार्थ प्रत्यय :– अथापि इदम् अन्तरेण मन्त्रेशु अर्थ – प्रत्ययो न विद्यते। अर्थवि" वासं बिना न स्वर–संसकार–उद्देश भवति। एवम् इंद शास्त्र विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्र्यं स्वार्थ साधकणं।

ख. पदविभागज्ञानम् :– निरूक्तं बिना पदविभागो न विद्यते। यथा अवसाय पद्वते रूद्रमृड अत्र निरूक्तेन एवं जज्ञायते यद् अत्र अब + असु (अस्) = अवस् तस्य चतुर्थ्याम् अवसाय पदम्, अत असमस्तत्वात् न पदच्छेदः। तथा च – अवसाया" वासन् अत्र शो अन्तकर्मणि। अब उपसर्गः अवसृष्टोऽयं तस्मात् पदच्छेदो भवति। एवमेव दूतो निर्ऋत्या इदम् आजगाम निर्ऋत्या इत्यत्र पश्चमी शष्ठी वा इति जज्ञानं निरूत्केन एव तथा परो निर्ऋत्या आचक्ष्व अत्र निर्ऋत्यै इति चतुर्थी।

ग. देवता ज्ञानम् :– निरूत्केकन एव देवता परिज्ञानं भवति। इदं देवता ज्ञानं न लिगेंन भवितुम् अर्हति। इन्द्रं न त्वा भावसा देवता वायु पृणन्ति – अयं मन्त्र अग्निदैवतः परमत्र वायुलिगंम् इन्द्रलिंग च वर्तते।

घ. अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निन्दा च :– अधीत्यापि वेदं तदर्थं ज्ञानतम् अतीवावश्यकम्। अर्थज्ञानेन प्रशंसन्ति लोकाः, अनर्थज्ञं च निन्दन्ति।

एवम् इमानि प्रयोजनानि। निरूत्कस्य वेदागंत्वं च निरूत्कस्य एवं वर्तते न तु निघण्टोः निरूत्कं श्रोत्रमुच्यते इति दिशा।

4. निर्वचनविधि :– अयं विषयः द्वितीये अध्याये आचार्येण व्याख्यातः। पूर्वम् एकपदानां निर्वचनं ततः समास – तद्धितानाम्।

क. येशु पदेशु स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादिशिकेन गुणेन अन्वितौ स्यातां तान् निर्ब्रूयात्। अयं भावः– समर्थस्वरसांस्कारानाम् असमर्थस्वरसंस्कारानां चेति द्विविधाः शब्दाः स्वराः त्र उदात्तादि, संस्कारा : त्र प्रकृतिप्रत्पयय – विभाग;, उभयं यत्र संगतं स्यात्, धातुनां च तयोः सम्बन्धः स्यात् तदनुसारं तेशां निर्वचनं कुर्यात्। यथा–कारकः, हारक इत्यादि पदम्।

ख. ये शब्दाः स्वरसंसकारसामर्थ्यरहिताः तेशां निर्वचनं कथं क्रियते अत्र आचार्य : कथयति – अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद् वृत्तिसामान्येन। अयं भावः– यत्र स्वरसंस्कारौ धातुगुण" य कल्पयितुं न शक्यते अर्थभेदात् शब्दभेदात् च। तत्र अर्थप्रधानं मत्वा निर्वचनं कुर्यात् तस्य उपायः वृत्तिसामान्यं क्रियागुणसामान्यम्। कस्य धातो अत्र अर्थसामान्यम् अस्ति इति तर्कयित्वा निर्वचनं कुर्यात्। यत अर्थप्रधानं शब्द" य गुणीभूतः। शब्दसामान्यात् अर्थसामान्यं बलवत्तरम् इति नियमः।

ग. यहत्र अर्थसामान्यम् अ पि नास्ति तत्र कः निर्वचनप्रकारः? इति जिज्ञासायाम् आचार्यः कथयित – अविद्यमाने सामान्ये अपि अक्षरवर्णसामान्यात् निर्ब्रूयात् न त्वेव न निर्ब्रूयात्। न संसकारमाद्रियेत विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति।

घ. यथार्थविभक्तीः सत्रमयेत्। अयं भावः– यत्र अर्थसामान्यं नास्ति तत्र अक्षराणां वर्णानां वा सामान्यतया निर्वचनं कुर्यात्। तसिमन् धातौ अयं स्वरः वर्णो वा मया दृष्टः स एव अयम् अस्मिन् शब्दे ज्ञायते इति तर्कयित्वा स एव धात्वर्थः तस्मिन् शब्दवि" शेषे प्रकायित्व्यः। निर्वचनं कदापि न त्याज्यम्। अवश्यं करणीयम्। इदमेव निरूत्क" शास्त्रस्य प्रयोजनम्। लक्षणहीनेशु शब्देशु संसकारप्रकृतिप्रत्ययं न चिन्तयेत्। यथा–प्रवीणः, उदार;, निस्त्रिंश इति पदानि एवं वाच्यम् अर्थं प्रकाशयन्ति। शब्दानाम् अर्थेशु वृत्तयः संशययुक्ताः। सुपगिंविभक्तियां विपरिणाम व्यत्सयः यथोचितः कार्यः। सुपां सुलुक्. इति पाणिनीयं सूत्रम् अत्र प्रमाणम्। व्यत्ययो बहुलं च इत्यपि निर्वचनं व्यत्ययो बहुलं भवति। यथा – प्रत्तम्। अवत्तम् इत्यत्र धातोरादिः विभागः शिष्येत गत्वा, गतम् इत्यत्र अनतलोपः।

ड. यत्र स्वरात् अनन्तरा अनतस्थान्तर्धातुः भवति। तत्र द्विप्रकृतीनां स्थानमर्थात् यस्मिन् धाताज्ञै स्वरात् अनन्तरा = समीपे एव अन्त–स्थवर्णः स्यात् तत्र द्विस्वभावात् शब्दानां स्थानं भवति। एकं सम्प्रसारणरूपं, यथा – यज् धातोः सम्प्रसारणपपक्षे – यष्टा, यष्टुम्, यष्टयति। तत्र यदि एकप्रकारेण सम्प्रसारणरूपेण निर्वचनं सिद्धं न स्यात् तर्हि अन्येन प्रकारेण असम्प्रसारणरूपेण शब्दनिर्वचनं कुर्यात्।

च. शाशिकेभ्य अर्थात् लौकिकेभ्यः नैगमा अर्थात् छन्दोविषया : कृत्यप्रत्ययान्ताः शब्दाः साध्यन्ते, यथा – दमूनाः, क्षेत्रसाधाः। तथैव वैदिकेभ्यो धातुभ्य : लौकिकाः शब्दाः सिध्यन्ति। यथा – उष दाहे इत्यस्य उष्णम्। घृ क्षरणदीप्त्यो इत्यस्मात् घृंत च लौकिकं रूपम्।

छ. तद्धितानां निर्वचनं कथं स्यात्? सामसयुक्ताना" य निर्वचनं कथं स्यात्? तस्य अयं प्रकारः– पूर्वं तद्धितार्थ निर्वचनं कुर्यात् पश्चात् पदार्थनिर्वचनम्, यथा – दण्डयः पुरूषः दण्डमर्हति इति दण्डेन सम्पद्येत इति तद्धितार्थनिर्वचनतम्। राज्ञः पुरूषः राजपुरूष इति समासार्थनिर्वचनम्। राजा राजतेः, पुरूषः पुरिषादः पुरिशयः पुरिशेते वा पूरयतेर्वा इति पदार्थनिर्वचनं। कल्याणवर्णरूप इति समासस्य द्वितीयम् उदाहरणं कल्यावर्णस्य इव अस्य रूपमिति समासार्थः। कल्यांण कमनीयं भवति। वर्णाः रूपं रोचते इति पदार्थनिर्वचनम्। एवम् अयं प्रकारः आचार्येण स्व" शास्त्रे सर्वत्र अनुश्यिते।

5. निरूक्तशास्त्रे वार्ष्यायणि : मतानुसारं भावविकार :– शड् भावविकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणि :– जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। जायत इति पूर्वभावस्य आदिम् आचष्टे न अपरभावम् आचष्टे न प्रतिशेधति। अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम्। विपरिणमत इति अप्रच्यवमानस्य तत्वात् विकारम्। वर्णत इति स्वागंभ्युच्चयं, सांयोगिकानां वा अर्थानां, वर्धते विजयेन इति वा, वर्धते शरीरेण इति वा। अपक्षीयते इति एतेन एव व्याख्यातः प्रतिलोमम्। विनष्यति इति अपरभावस्य आदिम् आचष्टे, न पूर्वभावम् आचष्टे, न पूर्वभावम् आचष्टे न प्रतिशेधति। अतोऽन्ये भावविकारा एतेशाम् एव विकारा भवन्ति इति ह स्म आह। ते यथावचनम् अभ्यूहितव्याः। एवमेव अस्ति इति अस्य स्थाने भवति, विते तथा वर्तते। विपरिणमत इति अस्य स्थाने जीर्यति। वृद्धिरित्यस्य स्थ्ज्ञाने पुष्यति, उपचीयते, अर्थायते। अपक्षय इति अस्य स्थाने ध्वस्यति, भ्रष्यति। विनष्यति इति अस्य स्थाने म्रियते, विलीयते।

6. शब्दो नित्यो अनित्यो वा –

इन्द्रिय – नित्यं वचनम् औदुम्बरायण अर्थात् वचनं शब्दः इन्द्रिये वाचि, यावत् तिष्ठन्ति तावदेव नित्यं न तु ततः– ततः वचनात्। अर्थाद् शब्दो यावत् कालं वाचि तिष्ठति

तावदेव तिष्ठति। एतेन तिस्त्रो हानयो जायन्ते।
क. तत्र चतुश्अवं नोपपद्यते अर्थाद् अनित्यानां शब्दानां नाम – आख्यात – उपसर्ग – निपता इति एवं रूपेण कृता भेदा आनित्यत्वे सति न संभवन्ति।
ख. अयुगपत् उत्पत्रानां शब्दानाम् इतरेतर–उपदेश–निरूक्ताचार्यैः शब्दानां गौणप्रधानभावो यो वर्णितः सोऽपि न संभवति। अनित्यत्वात् शब्दस्य।
ग. शास्त्रकृति योग्श्य– शास्त्रेण उपसर्गस्य धातुना, धातोः प्रत्ययेन, प्रत्ययस्य च लोप–आगम–वर्ण–विकारैः यो योगः प्रदर्शितः सोऽपि शब्दानाम् अनित्यत्वे न संभवति।

उत्तरपक्ष :– परं न एतद् उचितम्। यतः शब्दो नित्यः। तत्र कारणं वर्तते याप्तिमत्वं शब्दस्य, अर्थाद् उच्चारणक्रियायां तु शब्द उद्रूय विनष्ट इव प्रतिभाति। परं शब्दस्य व्याप्तिः न नश्यति। यदि सा अपि विनष्टा स्यात् तदा कथं लोकव्यवहारः चलेत्? एतेन व्याप्तिमत्वात् तस्य नित्यत्वं वर्तते। ततश्चय वर्णिता हानयो न प्राप्नुवन्ति।

7. उपसर्गाः वाचका : द्योतकाः वा –

शाकटायनमतेन – न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थात्रिराहु इति अर्थाद् निर्बद्धा–निष्कृत्य नामाख्याताभ्यां पृथक् पृथक् कृत्य बद्धाः, पद–वाक्यरूपेण विरचिताः, न अर्थान् निराहु अर्थात् न एशां कश्चिदपि स्वतत्र अर्थः नापि च प्रयोग इति एवं शाकटायनाचार्यो मन्यते। एते तु नामाख्यातयोः कर्मण अर्थस्य उपसंयुज्य द्योतका। भवन्ति। धातुभ्यः पृथक् कृतानामृ एशां न कश्चिदपि अर्थः। यथा– पदात् पृथक् कृतानाम् वर्णानां न कश्चित् अर्थः। उपसर्गाः धतुना उपसंयुज्य तस्यैवार्थ– विशेष वा द्योतयन्ति प्रकटीकुर्वन्ति वा। यथा प्रदीपः द्रव्यस्य गुणविशेषम् अभिव्यनक्ति सच गुणविशेषो वा धातौ एव इति शाकटायनरहस्यम्। आचार्यो गार्ग्यस्तु – उपसर्गाः वाचका इव इति समर्थयति। धातोः पृथक् कृतानाम् अपि एशां प्र–परा आदीनाम् उपसर्गोणां प्रकर्शादयो विविधा अर्थाः। यत् च उक्तं पदात् पृथक् कृतानां यथा – वर्णानां न कोऽपि अर्थ इत्यादि तदपि नवर्णानर्थक्ये वाक्याप्रसाद। वाक्यानर्थक्येन च मत्राणाम् अपि अनर्थकता स्यात्। या न नेष्टा। यतः वेदानाम् अप्रामाण्यतापत्तिः। यत् च उक्तं प्रदीपवदिति तदपि न प्रदीपोऽपि स्वेन प्रका" शरूपेण सार्थः। अपरं च यदुपसर्गेण प्रकटीकृतोऽथेः धातोरेव स्यात्त्दा किमिति विशेषार्थं प्रतिपत्तये धातुभि उपसर्गा अपेक्ष्यन्ते। दृश्यते हि लोके कश्चिदपि समर्थः परापेक्षी न भवति। तस्माद् उपसर्गाणाम् एव सोऽर्थः यथा प्रयोग हरतेः प्रहारोऽर्थः तदयोगे च न प्रहाररूपोऽर्थ उपसर्गस्य एव न हरते इति दिक् एश एव सिद्धान्तः।

8. सर्वाणि नामानि आख्यातजानि शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च। न सर्वागीति गार्ग्यः वैयाकरणानां च एके :– गार्ग्यमते नामनि तावत् त्रिविधानि प्रत्यक्ष–क्रियाणि, प्रकल्प्य–क्रियाणि, अविद्यमान–क्रियाणि च। यानि नामानि प्रत्यक्ष–क्रियाणि यथा – धावकः, पाचकः, लावकादीनि तानि निःसंशयम् आख्यातजानि। न अस्मिन् कस्य अपि विमतिः। कानिचित् प्रकल्प्य–क्रियाणि यथा – गौ अश्यो हस्ति इत्यादीनि। कानिचित् च अविद्यमान–क्रियाणि यथा – कपित्थो डित्थ इति। तदेवं येशु पदेशु स्वरसंसकारौ लक्षणशास्त्रानुसारिणौ स्याताम् अपि च प्रादेशिकेन (प्रदि" यन्ते शब्दानां लक्षणानि अत्र सः प्रदेशः व्याकरण" शास्त्रम्) धातुरूपेण गुणेन अन्वितौ स्यातां तानि सर्वाणि नामानि सर्वे आचार्ये एकमत्येन आख्यातजानि स्वीकृतानि। परं प्रकल्प्य–क्रियाणि अविद्यमान–क्रियाणि च आख्यातजानि इति गार्ग्यस्य पूर्वः पक्षः। तत्र गार्ग्यः निम्रस्थान् हेतून् उपन्यस्तवान्।

क. तद् यत्र स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकने गुणेन अन्वितौ स्याताम्। संविज्ञानानि तानि, याथा गौ अश्यः पुरूषो हस्ति इति।
ख. यदि नाम सर्वाणि नामानि आख्यातजानि तदा अनेकेशां तत्कर्मकारिणाम् अनेनामता स्यात्। यः कोऽपि अध्वानम् अ" तुवीत सः सर्वोऽपि अश्य इति अभिधीयेत।
ग. अपि च एकस्य अनेक क्रियायोगात् अनेकनामता प्रतिलभ्यः स्यात् स्थूणा दरे गर्ते शेते इति सश्यते वंश अस्यामिति सणनी इति उच्यते।
घ. अपि च सर्वाणि नामानि आख्यातजानि स्युः यथा च व्याकरणनुसारिणि प्रतीतार्थानि स्युः तथैव एतानि उच्येरन् पुरूषं पुरिशय इति, तृणं च तर्दनम् इति।
ड. अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति। अथ च प्रथनात् पृथिवीत्याहुः? स्थितेन केन प्रथिता।
च. अथ अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पतेतरार्धान् सश्यस्कार शाकटायनः। अपि च सत्य शब्द अस्तेः सकारम् आपयतेश्य। यकारम् आदाय हठात् व्युत्पादितः तत् न समीचीनं वर्णानामडभड –प्रसडापत्तेः।
छ. अथ्ज्ञापि सत्वपूर्वो भाव इत्याहुः। अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते। तस्मात् न सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति पूर्वपक्षं गार्ग्यमतम्।

अन्यच्च शाकटायन समाधत्ते – सर्वाणि नामानि आख्यातजानि। अथ यदुक्तं गार्ग्येण – (क) तद् यत्र स्वरसंस्कारौ .... इत्यादि तत्र – सर्वेशां नाम्रां प्रादेशिकत्वात् क्रियाजत्वाच्च प्रदेशवाचिन आख्यातान्

उत्प्रेक्ष्य तदाश्रयौ स्वरसंस्कारौ यावद् गम्यम् अनुसंविधेयो। कश्चिद् धातुः सौत्रः कश्चिदध्याधृतः। कचिद् योगविभागः कचिद् विधिः सर्वं चैतद् अनालोच्य को वक्तुं समर्थो भवेत् यः सर्वाणि नामानि आख्यातजानीति। अथ यदुक्तं – (ख) यः कश्चिद् तत्कर्म ..... इत्यादि तथापि न संगतम्। समानकर्मणाम् अपि एकेशां नामधेयलाभो अनेकेशां च न यथा – तक्षा परिव्राजकः जीवनः भूमिजः। तक्षत्रपि कश्चित् तक्षा वीच्यते अत्र मुख्यो हेतुः लोकव्यवहारः। प्रकृत्या नामानि आख्यातजानि कानिचिदेव क्रियां स्वीकृत्य नामधेयलाभः। अथवा क्रियातिकृतो नियमः स्यात्। यो हि तदतिशयेन करोति। तस्य अनेक क्रिया कारित्वेऽपि तया एव क्रियाया नामधेय–अवाप्तिः यः खलु नियमः तक्षति स एव तक्षा नान्यः। यच्चोक्तं– (ग) एकस्यानेक – क्रियायोगात् अनेकनामता ..... लोकप्रसिद्धि प्रसङ च तदपि न – अनेकेशाम् एकक्रियायोगे एकस्य च अनेकक्रियायोगे सति अपि लोके स्वभावतो व्यवस्थितः शब्द–नियमः। अथ च तदुक्तम्– (घ) यत् यथा प्रतीतार्थानि स्युः तथैतानि आचक्षीरन् – तदपि न शब्दस्ज्ञवभाव एशः। यथा प्रतीतार्थानि स्ज्ञयुः तथा न आख्यायन्ते न अत्र वयम् अपराधिनः नापि च शास्त्रम्। शास्ज्ञंत्र तु यथा अवस्थानां शब्दानाम् अन्वाख्यानमेव। न वयं शब्दानां निर्मातारः। य एतेशां प्रयोक्तारः तम् एव उपलम्भ–पात्राणि। अप्रतीतार्थानां प्रतीतार्थो करणमेव शास्त्रप्रयोजनम्। शास्त्रं रूढिम् अनुविधत्ते। तदपि च उक्तम् – (ड) यथो एतत् निश्पत्रे अभिव्याहारे अभिविचारयन्तीति, भवति हि निष्पन्ने अभिव्याहारे योगपरिष्टिः। केन किमाधारेण पृथिवी प्रथिता? न जानीमः केन किमाधारेण पृथिवी प्रथिता। दृ" यते हि पृथुः तस्मात् पृथिवी इति उच्यते। अथापि एवं सर्व एव दृष्टप्रवादा उपलभ्यन्ते। अपि च तदुक्तम् – (च) अनन्विते अर्थे सण्श्यस्कार ... तदपि च य एव अनन्वितेऽर्थे संस्करोति स एव निन्दापात्रं न शास्त्रम्। तथा च – (छ) यथो एतत् परस्मात् भावात् पूर्वस्य ... पश्चामः पूर्वोत्पत्रानां सत्वानाम् अपरस्मात् भावात् नामधेयप्रतिलम्भम् एकेशां न एकेशां यथा बिल्वादो लम्बचूड़क इति। तसमात् सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति सिद्धान्तितम् अवगन्तव्यम्।

9. मन्त्राः सार्थका अनर्थकाः वा :– पूर्वः पक्ष : वेदमन्त्राणाम् आनर्थक्ये कौत्समतस्य स्थापनम्–

क. नियतवाचो युक्तयों नियतानुपूर्व्या भवनित। शब्दनियमात् क्रमनियमात् च मन्त्रा अनर्थकाः। अर्थवत्सु शब्देशु नापि शब्दनियमः नापि च क्रमनियमः। यथा जलमानय इत्यस्य स्थाने पानीयम् आहर इत्यपि वक्तुं शक्नुमः परं मन्त्रेशु अग्रिम ईउे इति अस्य स्थाने वहिं स्तौमि इति एतद् वक्तुं न क्षमताः तदेशः शब्दनियमः। क्रमनियम" चापि अग्रिम् ईडे इत्यस्य स्थाने ईडे अग्रिम एवं वक्तुं नास्ति आज्ञा। तस्मात् मन्त्रा अनर्थकाः।

ख. ब्राह्मणेन रूपसम्पत्राः क्रियन्ते। उरू पथस्व इति प्रथयति। यदि मन्त्राः सार्थका अभविश्यन् तदा स्वेन एव लिगेंन आत्मानं विनियोक्तुं समर्था अभविश्यन्, तदा ब्राह्मणेन तत्तत्कर्मसु न व्यधास्यन्त विहिता" य तस्मात् मन्त्रा अनर्थकाः।

ग. अनुपपत्रार्थ अभिधानात्– औशधे त्रायस्व एनं तस्मात् मन्त्रा अनर्थकाः।

घ. अथापि विप्रतिशिद्धार्थः भवन्ति। एक एव रूद्र अवतस्थे न द्वितीयः, असंख्याताः सहस्त्राणि इत्यादिशु परस्परं विरूद्धार्थ – अभिधानात् मन्त्रा अनर्थकाः।

ड. अग्रये समिध्यामानाय अनुब्रूहि इति जानतः सम्प्रेशणात् मन्त्रा अनर्थकाः।

च. अथापि आह अदितिः सर्वम् इति। एकस्या अपि अदितेः विविधरूपेण वर्णनात् यथा – अदितिः द्यौ अदिति अन्तरिक्षम् इति मन्त्रा अनर्थकाः।

छ. अथापि अविस्पष्टार्थाः भवन्ति। जर्भरी तुर्फरी तु इत्यादिशु अविस्पष्टार्थतया अनर्थका मन्त्रा। इत्येवं कौत्सेन मतम्।

उत्तरपक्ष :– कौत्समतस्य खण्डनम् अत्र ब्रूमः (क) लौकिक–शब्द–साम्यात्। एतद्वै यज्ञस्य समृद्धं यद् रूपं समृद्धं यत्कर्म ऋग्–यजु–सामाभिवदति इति ब्राह्मणवचनात् च। यत् च शब्दक्रमनियमः तद् लोको अपि यथा इन्द्राग्री पितापुत्रौ। (ख) यथो एतत् ब्राह्मणेन पुनर्वचनम् उदितानुवादः सः। (ग) यत् च कौत्सेन मन्त्राणाम् अनुपपत्र – अर्थाभधायित्वम् उक्तं तदपि न औषध्यभिमानी देवता कर्तृत्राणस्य तत्र विवक्षितत्वात्। (घ) मन्त्राः परस्परं विरूद्ध – अर्थाभिधायिनोऽपि न लोकेश्वस्थ दर्शानात् यथा अग्रिमित्रो राजा। एकस्यापि रूद्रस्य महाभाग्यात् देवतायाः योग – महिम्रा सहस्त्रमूर्तित्वसंभवात् विरोधलेश अपि न।

(ड) यत् च जानतः सम्प्रेषणं तत् लोके अपि जानन्त गुरूं शिष्य अभिवादयते। प्रमादजनित– विस्मरणपरिहाराय जानत अपि सम्प्रेषणं चुक्तया सहम्। (च) यत् च अदितेः विविधरूपता सा लशेके अपि – त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादौ। (छ) या च मन्त्राणाम् अविस्पष्आर्थता सा अपि नि गम – निरूक्तादिभिः स्पष्टीकृता। ये तत् न परिचिन्वन्ति तेशाम् एव दोषः। न एशः स्थाणोरपराधो यत् एनम् अन्धो न पश्यति। तस्मात् सार्थकाः मन्त्राः।

8. पदानां प्रकृतित्वं संहिताश्य विकृतित्वं साधीय उत पदानां विकृतित्वं संहितायाश्य प्रकृतित्वं सोपपत्तिं निर्णेयम् :– पदविभागप्रसक्तं सन्धिं लक्ष्यन्

आचार्य आह – परः सन्निकर्षः संहिता : पद – प्रकृति :– संहिता पद प्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्शदानि वर्णानां स्वराणां स्वराधिरूढानां व्यञ्जानां च अतिशयितः सन्नि.धिः – सामीप्यमेव संहिता भवति। सा च ऋक्प्राति" शाख्यानुसारं पद–प्रकृतिः। अत्र पदप्रकृतिः शब्दो द्विविधा वर्णितः। पदानां प्रकृतिः = पदप्रकृति इति प्रथम : कल्प : युक्तं चैतत् संहितायै एव पदानि प्रक्रियन्ते तस्मात् संहिता एव प्रकृतिः, पदानि च विकृति इत्येवं केशाञ्चिचयत् आचार्याणां मतम्। अपरे पुन आचार्याः पदानि प्रकृतिः यस्या इति एवं विगृहन्ति। पदान्येव संहिता। तस्मात् पदानि प्रकृतिः संहिता च च विकृति इत्येव मन्यन्ते। सर्वाणि प्राति" शाख्यानि पदं संहितायाः प्रकृतिजातां परास्यन्ति न पुमांसम् इति ब्राह्मणवाक्याच्च। यत् पुनः पुंसोऽपि दानविक्रयादि तत्पुनः क्वाचित्कं कदाचित्कं च। कारणविशेषजनितं तत्। दुहितृणां तु तत् औत्सर्गिकम् अर्थो हि कन्या परकीय एव। अपरे पुन आचार्या अभ्रातृम् अतिवाद इति मन्यन्ते। पुत्रवतां पिण्डदातृत्वात् पुत्राः कन्यापितुः दौहित्राः पिण्डदानादि कार्यं सम्पादयन्ति। मातामहवंश च वर्धयन्ति। मातृवंशस्य वर्धनात् पितृवंशस्य च अवर्धनात् अभ्रातकेव पितृव्यं रिक्थमर्हति नान्या। यास्काचार्यस्य अपि एतत् एव मतम्।

सन्दर्भ सूची :–

आष्टाध्यायी महर्षि पाणिनी
निरूक्त आचार्य यास्क

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

नासिरा शर्मा कृत 'पारिजात' उपन्यास में सांस्कृतिक दृष्टि

गीता नायक, शोध निर्देशक
श्वेता पाण्डेय, शोधार्थी
हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

संस्कृति शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है, जिसका अभिप्राय मानव जाति के रहन–सहन, आचार–विचार, भावनाओं, विश्वास, विचारों तथा विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों के समग्र रूप से हैं। संस्कृति के दो विशिष्ट पहलू माने जाते है जो आपस में एक–दूसरे से जुड़े हुए है। एक ओर संस्कृति मनुष्य की क्षमता, कुशलता, जीवन के आदर्शों एवं प्रतिमानों को दर्शाती है, तो दूसरी ओर वह मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों से भी हमें अवगत कराती है। इससे ही मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हुआ है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य, विकास की प्रक्रिया में अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक सफल और विकसित प्राणी हैं।

संस्कृति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है – सम तथा कृति। 'सम' उपसर्ग का अर्थ है 'अच्छा' तथा 'कृति' शब्द का अर्थ है करना। हिन्दी में संस्कृति शब्द अंग्रेजी के 'कल्चर' शब्द लैटिन भाषा के 'Colere' शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोतना। 'आक्सफोर्ड डिक्शनरी' में 'कल्चर' शब्द की परिभाषा इस प्रकार है – "मन का शिक्षण तथा परीक्षण, जिनसे रुचि एवं व्यवहारिक आचरण का निर्माण होता है, संस्कृति के उपादान है। संस्कृति सभ्यता का बौद्धिक पाश्वर है, जिससे हम सर्वोत्तम के साथ अपना संसर्ग स्थापित करते है।"[1]

क्रोबर एवं क्लकहॉल के शब्दों में – "संस्कृति व्यवहार के प्रतिरूपों, स्पष्ट तथा अस्पष्ट के मिलने से बनती है जो मानवीय समूहों को विशिष्ट उपलब्धियों के रूप में प्रतीकों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और हस्तांतरित होता है।"[2]

किम्बाल यंग का मत है – "संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य की सम्पूर्ण सामाजिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाला समस्त आशाओं और अनुभवों की सम्पूर्णता का समावेश होता है।"[3]

अतः परिभाषाओं के विश्लेषण से ज्ञात हो जाता है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः हस्तांतरित होती है।

स्त्री रचनाकारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा पहली मुस्लिम महिला है जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। नासिरा शर्मा कृत उपन्यास 'पारिजात' को जीवन का महाआख्यान या जिंदगीनामा कहा जा सकता है। सन् 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उपन्यास में मानव कर्त्तव्य की गूँज आरम्भ से अंत तक व्याप्त है। 'पारिजात' उपन्यास एक ऐसी कृति है जो गंगा–जमुनी संस्कृति को परत–दर–परत खोलती है तथा मानवीय संबंधों एवं भावों को भाषा के माध्यम से पाठक के अन्दर जीवित रूप में उपस्थित करती है। लेखिका ने इस कृति के माध्यम से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है तथा अनेक तथ्यों, विवरणों, ज्ञात–अज्ञात जानकारियों के माध्यम से सच्चाइयों का उद्घाटन किया है यह हिन्दु–मुस्लिम की साझी संस्कृति का लम्बा इतिहास है साथ ही भारतीय एवं पाश्चात्य छवि तथा गुरु–शिष्य के संबंधों व समुदाय विशेष के लिए पाश्चात्य पूर्वाग्रह से चोट खाई हुई संवेदनाओं को एक नवीन आयाम देने वाली महत्वपूर्ण रचना है।

'पारिजात' (रोहन का पुत्र) यद्यपि उपन्यास की नजरों से ओझल हुआ प्रतीत होता है किन्तु यह प्रहलाद दत्त, नुसरत और जुफिकार तीनों प्रगाढ़ मित्र परिवारों का अकेला वारिस है। ये तीनों परिवार हिन्दू–मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के साक्षात् प्रतिबिम्ब है। तीनों परिवारों के मध्य अकेली लड़की रूही के जन्मोत्सव को ये सभी मिलकर मनाते है। रूही को तीनों परिवार अपनी ही बेटी मानते थे – "यह मेरी बेटी है।" प्रहलाद दत्त रूही को देख कहते – "यह चाँद तो मेरा है।" जुल्फिकार उसे गोद में ले उछालते – "लड़कियाँ घर की रौनक होती है।" ..... चारों बच्चे इस मोहब्बत के पालने में झूला झूलते हुए बड़े हुए, जहाँ सबके घर के दरवाजे इनके लिए खुले थे और सारे घर इनके अपने थे।"[4]

उपर्युक्त उदाहरण में लेखिका ने हिन्दू–मुस्लिम सांस्कृतिक एकता को दर्शाया है।

'पारिजात' उपन्यास के अंतर्गत कर्बला के युद्ध की घटना को केन्द्र में रखते हुए रोहन को पता चलता है कि वह हुसैनी ब्राह्मण समुदाय से है जिसका संबंध

हिन्दू और मुस्लिम दोनों से माना जाता है, जो मिली–जुली संस्कृतियों की मिसाल था। रोहन अपनी संस्कृति एवं सांस्कृतिक विविधता से परिचित होने के लिए तथा अपने बेटे 'पारिजात' के लिए वह हुसैनी ब्राह्मणों के मूल पर रिसर्च करके पता लगाता है कि हुसैनी ब्राह्मण – "न हिन्दू थे, न मुस्लिम।"[5] इन्हें न किसी मुसलमान ने चुनौती दी है, न ही किसी हिन्दू ने।

अतः लेखिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मिली–जुली संस्कृति का ही एक हिस्सा थे। यह भी सत्य है कि हमारी यह मिली–जुली संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता से तो बेहतर है।

नासिरा शर्मा ने 'पारिजात' उपन्यास में मुहर्रम को हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताकर उसका सुन्दर चित्रण प्रस्तुत तो किया ही है, साथ ही हुसैनी ब्राह्मण के माध्यम से अरब की धरती का संबंध बड़े कलात्मक ढंग से हिन्दुस्तान से जोड़ा है। हुसैन की दुआओं से साहिब सिंह दत्त को सात बेटे मिले थे, उन सातों बेटों को यज़ीद की लौटती फौज से हुसैन का सर नेज़े से लेने के लिए लड़ते हुए कुर्बान कर दिए थे। लोक विश्वास के अनुसार – "हुसैन ने जंग बंद करने और हिन्दुस्तान जाने की बात यज़ीद से कही थी।"[6]

कर्बला की घटने वाली घटना को लेकर हिन्दुस्तान में जो मर्सिये लिखे गए उनके लेखक मुसलमानों के साथ–साथ हिन्दू धर्म के भी लोग थे जैसे – सरदार किशनलाल और नथानीलाल! इसलिए हिन्दुस्तान के मर्सिया किशनलाल जी तमन्ना करते है –

"भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता।

चाँद बनि हाशिम का धोखे से न यूँ मारा जाता।"[7]

लेखिका ने किशनलाल जी की यह तमन्ना भारत की अनेकता में एकता की प्रवृत्ति और हृदय की विशालता को दर्शाती है।

उपर्युक्त उपन्यास का पात्र रोहन पाश्चात्य सभ्यता के आकर्षण में बंधकर अपने देश से पलायन कर गया था और वहीं एक विदेशी महिला से विवाह भी कर लिया था। अपने मार्ग से भटककर वह जीवन की उपयोगिता को भूल चुका था। तब उसकी सोच कुछ ऐसी थी – "मगर तब तक वह अपने देश, अपने समाज, अपने माँ–बाप, रिश्तेदारों को बहुत घटिया और दकियानूस समझता था ..... उसका बस चलता तो शायद वह अपने को 'गोरा' नस्ल बताने में फख्र महसूस करता। अब कम से कम बेटा तो अंग्रेजों की तरह परवरिश पाएगा।"[8]

प्रस्तुत उद्धरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि रोहन का पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित होना और फिर आगे चलकर उसके भ्रम का टूटना पश्चिमीकरण के खतरों से भी आगाह करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. समाजशास्त्र भाग–1, डॉ. वी. एन. सिंह, डॉ. जनमेजय सिंह, निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगर, सं. तृतीय, पृ. 170.
2. समाजशास्त्र अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त, डॉ. जे. पी. सिंह, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, सं. द्वितीय, पृ. 274.
3. समाजशास्त्र भाग–1, डॉ. बी. एन. सिंह, डॉ. जनमेजय सिंह, पृ. 171.
4. अनुसंधान शोध त्रैमासिक, डॉ. शगुफ्ता नियाज, अलीगढ़ (उ.प्र.) जनवरी–मार्च 2018, पृ. 31.
5. वही, पृ. 19.
6. वही, पृ. 25.
7. 'पारिजात', नासिरा शर्मा, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, प्र. सं. 2011, द्वितीय सं. 2012, पृ. 423.
8. अनुसंधान शोध त्रैमासिक, डॉ. शगुफ्ता नियाज, अलीगढ़, पृ. 22.

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

भारतीय समाचार पत्र में प्रबंधन की चुनौतियां (दैनिक हिंदी समाचार पत्र के सन्दर्भ में)

अनिल मालवीय
शोधार्थी, प्रबंध संकाय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
डॉ. विजय जैन
प्राध्यापक, आनंद इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भोपाल

पत्रकारिता व्यवसाय वर्तमान व्यवस्था के प्रतिबिम्ब के रूप में परिणित हुआ है। परंतु वर्तमान की व्यवस्था प्रणाली अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रसित है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता के प्रत्येक भाग पर स्पष्ट दिखाई देता है।

पत्रकारिता का किसी बाह्य कारक से प्रभावित होना उसकी मौलिकता को खण्डित करता है वर्तमान में पत्रकारिता को नैतिकता के आधार पर समायोजित करना पत्रकारिता व्यवसाय के प्रबंधन की सबसे जटिल चुनौती है।

प्रादुर्भाव :– पत्रकारिता के प्राचीन स्वरूप के साक्ष्य हिन्दू धर्म ग्रंथों में विद्यमान है। उदाहरण के लिए महर्षि नारद मुनि संभवता भारत के प्रथम सूचनावाहक थे। भारत में पत्रकारिता का वास्तविक एवं व्यवस्थित आरंभ राजा राममोहन राय द्वारा माना जाता है। जिन्होंने लोक कल्याण एवं जन जागृति के लिए सूचना तंत्र विकसित किया। भारत में "भारत में बंगला गजट" सबसे पहला समाचार पत्र परंतु भाषायी दैनिक के रूप में सर्वप्रथम "समाचार दर्पण" प्रकाशित हुआ।

भारत का प्रथम हिन्दी समाचार पत्र "उदंत मार्तड" था।

भारत का प्रथम हिन्दी समाचार पत्र "अखबार ग्वालियर" था जो 1840 से प्रकाशित हुआ था 6 मार्च 1849 को इंदौर से पण्डित प्रेमनारायण द्वारा "मालवा अखबार" का प्रकाशन किया गया। यह हिन्दी और उर्दू भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था।

समाचार को अंग्रेजी में NEWS कहते हैं, जो NEW का बहुवचन है। यह लेटिन के "नोवा" संस्कृत के 'नव' से बना है। तात्पर्य यह है कि जो नित्य एवं नूतन हो वही समाचार है।

हेडन के कोश के अनुसार सब दिशाओं की घटना को समाचार कहते है।

न्यूज के चार अक्षर चार दिशाओं के आधाक्षर है।
N-North (उत्तर)
E-East (पूर्व)
W- West (पश्चिम)
S-South (दक्षिण)

साहित्य की समीक्षा :–

पत्रकारिता को धर्म की भांति पावन समझने वाले श्री पराड़कर जी ने हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिए कई सराहनीय कार्य किये एवं सन् 1938 में पराड़कर जी अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सत्ताईसवें शिमला सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए।

सन् 1805 में श्री चार्ल्स विलकिंस ने देवनागरी लिपि के लिए उपयुक्त प्रकार के टाइप बनाए। इसके पश्चात् बंगला भाषा के लिए टाइप का निर्यात किया एवं मुद्रण को आरम्भ किया।

29 जून 1780 में बंगाल गजट एवं कलकत्ता एडवरटाइजर का आरंभ किया गया जिसका श्रेय भी जेम्स अगास्टस हिकी कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता के साहित्य का आरम्भ आधिकारिक रूप से यही से माना जाता है परन्तु भारत में सन् 1780 से आरम्भ लगभग 120 वर्ष के अत्याधिक महत्वपूर्ण

कालखण्ड को भारतीय पत्रकारिता साहित्य के उद्भव काल के रूप में माना जाता है।

प्रभाष जोशी जो कि ''जनसत्ता'' के प्रधान संपादक के अनुसार 1980 से पहले हिन्दी पत्रकारिता को अंग्रेजी पत्रकारिता का प्रतिबिम्ब समझा जाता था परंतु 1980 के बाद हिन्दी पत्रकारिता के एक नये युग का आरम्भ हुआ तथा सभी भ्रांतियों को पीछे छोड़ हिन्दी पत्रकारिता अल्प साधन होने पर भी अंग्रेजी पत्रकारिता को प्रत्यक्ष चुनौती देने लगी।

डॉ. अशोक कुमार शर्मा इस पुस्तक ''आधुनिक पत्रकारिता'' में उपलब्ध साहित्य विदेशी समाचार एजेन्सियों के विषय में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है। इस साहित्य के अनुसार भारतीय पत्रकारिता स्वतंत्रता के पश्चात् भी अधिकांश सूचनाओं के लिए विदेशी एजेन्सियों पर निर्भर है।

शोध प्राविधि

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य :–

1. पत्रकारिता व्यवसाय में सामान्य प्रबन्धन तथा कार्यात्मक प्रबन्धन का विश्लेषण।
2. पत्रकारिता व्यवसाय में प्रबन्धन को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु सुझाव देना।

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएँ :–

H_0 - पत्रकारिता व्यवसाय में संगठित व्यवसाय के विकास और उच्च गुणवत्ता के प्रबंधन के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H_1 - पत्रकारिता व्यवसाय में संगठित व्यवसाय के विकास और उच्च गुणवत्ता के प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

प्रबंधन :– जटिलताओं के साथ समय के दौरान एक व्यवसाय विकसित होता है। व्यवसाय का प्रबंधन करने की बढ़ती जटिलताएँ मुश्किल काम बन गया है। प्रबंधन के अस्तित्व की आवश्यकता काफी बढ़ गई है। न केवल व्यावसायिक चिंताओं के लिए, बल्कि बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों, धार्मिक निकायों, धर्मार्थ ट्रस्टों आदि के लिए भी प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को कई कर्मियों के समन्वित प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों के काम को ठीक से समन्वित किया जाता है, एक बटन दबाने, एक लीवर खींचने, आदेश जारी करने, लाभ और हानि के बयानों को स्कैन करने, नियमों और विनियमों को लागू करने का मामला नहीं है।

स्वॉट का परिचय :– SWOT विश्लेषण (या SWOT मैट्रिक्स) एक रणनीतिक योजना तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संगठन को व्यापार प्रतियोगिता या परियोजना नियोजन से संबंधित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के प्रारंभिक चरणों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग किसी शहर या संगठन की रणनीतिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक उद्यम या परियोजना के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल आंतरिक और बाहरी कारकों की पहचान करना है।

SWOT विश्लेषण :–

S - Strength शक्ति (भाव की शक्ति)
W - Weaknesses कमजोरियाँ
O - Opportunities अवसर
T - Threats जोखिम की आशंका

पत्रकारिता व्यवसाय में प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का SWOT विश्लेषण

- **S – Strengths – शक्ति (भाव की शक्ति)**

i. शक्ति की उपासना भारत की प्राचीन परंपरा रही है। क्योंकि भारतीयों को शक्ति का महत्व एवं उपयोग का ज्ञान था। वे जानते थे कि जड़ एवं चेतन में मौलिक अंतर केवल शक्ति का ही है।

ii. किसी निकाय का शक्ति से युक्त होना उसके अस्तित्व को उपयोगी एवं औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है।

iii. प्रबंधन शक्ति के प्रवाह को नियोजित एवं दिशा निर्देशित करता है। प्रबंधन को प्राप्त अधिकार वास्तव में शक्ति के स्त्रोत ही हैं।

iv. पत्रकारिता प्रबंधन का कार्य अत्याधिक चुनौतिपूर्ण एवं बहुआयामी है। एवं इसका प्रभाव इसे शक्ति सम्पन्न बनाता है। पत्रकारिता को प्राप्त प्रतिष्ठा उसकी असीमित एवं अपरिमित शक्ति के प्रति श्रद्धा स्वरूप है।

- **W - Weaknesses - कमजोरियाँ (विशेषकर आर्थिक दृष्टि से)**

1. **आर्थिक पहलू** :– पत्रकारिता शुद्ध रूप से एक व्यवसाय है एवं पत्रकारिता बाजार के नियम क़ायदे से स्वयं को प्रथक नहीं कर सकती है। पत्रकारिता के पूरे तंत्र के क्रियांवयन के लिए धन की नितान्त आवश्यकता होती है। धन के अभाव में पत्रकारिता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।
2. **पत्रकारिता के महत्व को न समझना** :– भारत में आज भी कई समुदाय पत्रकारिता के महत्व को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं। जिस कारण पत्रकारिता को अपने उद्देश्यों के लिए और अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं।
3. **पत्रकारिता के उपयोग के विषय में ज्ञान न होना** :– सामाजिक परिवेश के साथ जुड़ना पत्रकारिता की प्रथम अनिवार्यता है। परन्तु जब तक लोग इसके उपयोग की सही क्रिया विधि नहीं समझोगे तब तक वे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। लोग आज भी पत्रकारिता को केवल अखबार छापने वाली संस्था ही मानते हैं।

- **राजनैतिक दबाव** :– जून 2017 में अमरीका के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने भारत के समाचार पत्रों के राजनैतिक दबाव से पीड़ित बताया हैं अर्थात भारत की पत्रकारिता पर पड़ते दबाव की अनुभूति अब विदेशों में भी महसूस की जा रही है। सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत की पत्रकारिता के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं एवं भारत की पत्रकारिता की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को वे पूर्णरूप से अनुचित मानते हैं।

- **Opportunities – अवसर** :–

i. आज के इलेक्ट्रानिक युग ने पत्रकारिता के लिए कई अवसर उपलब्ध करा दिये हैं। अब पत्रकारिता Print Media की मोहताज नहीं है।

ii. Smart Phone की क्रांति ने सूचनाओं के प्रसार को बहुत ही सुगम बना दिया हैं अब पाठक स्वयं ही प्रसारक बन गए हैं। सूचना प्राप्ति के लिए अब सवेरे के अखबार या घर पर न्यूज चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। Smart phone के माध्यम से जानकारियाँ कहीं भी और कभी भी लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं।

iii. पत्रकारिता का इलेक्ट्रानिक मीडिया में रूपांतरण पर्यावरण के लिए अत्याधिक लाभप्रद है। क्योंकि कागज के कम उपयोग के कारण पेड़ों की कटाई को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

iv. इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना पाठकों को उस संदर्भ में त्वरित प्रतिक्रिया देने का अवसर भी प्रदान करती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण के लिए अलग से किसी नेटवर्क या मानव श्रृंखला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस कारण धन का अधिक व्यय भी नहीं होता है।

v. इलेक्ट्रानिक मीडिया में सूचनाओं को सीधे ही प्रिंट किया जा सकता है जो कि समय की बहुत बचत है। इसके विपरीत किसी अखबार में सूचना को अंकित करने के लिए एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो कि बहुत ही खर्चीली एवं श्रम प्रधान होती है।

- **T - Threats जोखिम की आशंका** :– पत्रकारिता वर्तमान में अपना संभावित आयतन ग्रहण करने की ओर अग्रसर है इस कारण जनता की अपेक्षाएँ पत्रकारिता से अत्यधिक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में अपेक्षाओं पर खरे उतरने की भीषण प्रतिस्पर्धा के कारण पत्रकारिता जगत भय का अनुभव कर रहा है।

i. पत्रकारिता द्वारा अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए नित नए प्रयोग एवं अधिक दक्षता की चेष्टा पत्रकारिता के भय को स्पष्ट करती है।

ii. पत्रकारिता के वास्तविक उद्देश्य एवं बाजार की अपेक्षाओं के मध्य संतुलन बनाना सदा से इस क्षेत्र के लिए जटिल चुनौती रहा है।

iii. पूर्ण रूप से व्यवसायिक पत्रकार समूह एवं वास्तविक पत्रकारिता में विश्वास करने वाले समूहों के मध्य एक अन्तहीन स्पर्धा स्पष्ट दिखाई दे रही है।

निष्कर्ष और सुझाव :– "जो आदमी कुछ भी नहीं पढ़ता है वह इससे बेहतर शिक्षित है आदमी जो कुछ भी नहीं, लेकिन समाचार पत्र पढ़ता है।"

थॉमस जेफरसन :– समाचार पत्रों का महत्व और तेजी से आगे बढ़ रहे जीवन में उनकी भूमिका महाद्वीपों के लोग एक प्रसिद्ध तथ्य हैं। बहुत पहले अखबार के मुद्दे के बाद से, समाजों ने कई प्रगतिशील परिवर्तन देखे

हैं जिन्होंने उन्हें प्रबुद्धता के नए स्तरों तक पहुँचाया है। दुनिया भर से समाचार लाकर, एक समाचार पत्र बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की का काम करता है।

पत्रकारिता व्यवसाय के प्रबंधन में सभी स्तरों पर सुधार एवं परिवर्तन आवश्यक्ता है। इस सुधार को विभिन्न स्तरो पर आवश्यकता अनुसार लागु किया जा सकता है।

1. संपादक स्तर पर सुधार।
2. सूचना एकत्रिकरण तंत्र स्तर पर सुधार।

पत्रकारिता व्यवसाय को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त करने के लिए निम्न उपाये किये जा सकते हैं :–

i. नियंत्रक बोर्ड का गठन।
ii. राजनैतिक अनुदानों पर प्रतिबन्ध।
iii. पत्रकारिता एवं राजनैतिक गठबंधनों पर पारदर्शिता।
iv. अलोचक, संपादकों की नियुक्ति।
v. किसी राजनैतिक विषय पर प्रकाशित लेख पर पृथक रूप से निष्पक्ष प्रतिक्रिया एवं विवेचना का निश्चित प्रावधान।

अनुशंसाएँ :–

1. प्रकाशकों को बेहतर प्रबंधन हेतु नए राजस्व मॉडल खोजने होंगे।वे अन्य सामग्री के साथ रणनीतिक साझेदारी में भी शामिल हो सकते हैं।
2. समाचार पत्रों के प्रकाशकों को और अधिक लचीला और अभिनव बनने की आवश्यकता है।
3. समाचार पत्र प्रकाशकों को प्रतिस्पर्धात्मक सामग्रीबनाने में लाभ होता है। अनुसंधान से पता चलता है कि वे इससे लाभान्वित होंगे।
4. जैसा कि विज्ञापन बाजार में बहुतायत का वर्चस्व है,समाचार पत्रों के प्रकाशकों को विपणन और बिक्री के प्रयास हेतु फिर से सोचने की आवश्यकता होगी।
5. कई अखबार प्रकाशकों को भविष्य के विकास के अवसर के रूप में स्थानीय बाजार हेतु आला दृष्टिकोण की पहचान करनी चाहिए।
6. हमारे शोध से पता चलता है कि पाठकों के साथ निरंतर संवाद महत्वपूर्ण है।
7. दर्शकों को लक्षित सामग्री वितरित करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, विज्ञापनदाताओं को अपने मीडिया क्षेत्र का विस्तार करना होगा।

निष्कर्ष :– समाचार मीडिया सार्वजनिक चर्चा के सामान्य वाहक हैं। यही कारण है कि उनके पास विशेष विशेषाधिकार हैं। उनके पास हमेशा सत्यापन का अनुशासन होना चाहिए, वे उन लोगों से स्वतंत्रता बनाए रखें, जिन्हें वे कवर करते हैं, सत्ता की एक स्वतंत्र निगरानी के रूप में काम करते हैं, और सार्वजनिक आलोचना और समझौता करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

ग्रंथसूची :–

पुस्तकें :–

1. अग्रवाल एल. एन. एण्ड दीवान, "रिसर्च मेथोलोजी एण्ड मैनेजमेन्ट डिविजन 1997.
2. अहूजा राम, "खोज पद्धतियाँ", रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2006.
3. Arya, P.P. & Yesh Pal (2005), Research methodology in Management Theory and Case studies, New Delhi, Deep & Deep Publications.
4. Bakker, P. (2002), Free daily newspapers – Business models and strategies, The International Journal on Media Management, Vol.4 No.30, pp 180 -187
5. Jeffery, R. (1994), 'Monitoring newspaper and understanding the Indian State', Asian Survey Vol.XXXIV, No.8, August.
6. http://www.pressacademy.org
7. http://www.thehindu.com
8. http://www.trai.gov.in
9. http://www.wan-ifra.com
10. http://www.cii.pwc.org

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

सामाजिक न्याय और भारतीय परिप्रेक्ष्य

डॉ. फूलसिंह गुर्जर
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़, (राज.)

सामाजिक न्याय को समझने से पूर्व न्याय का आशय जानना आवश्यक है। आम जीवन में न्याय को, जैसी करनी वैसी भरनी तथा पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के रूप में समझा जाता है। प्राचीन भारत में न्याय शब्द का प्रयोग सामान्यतः पवित्रता के समानार्थक रूप में प्रयुक्त होता था। न्याय में सर्वांगीण सद्‌गुण समाहित थे तथा यह स्वीकृत नैतिक आचरण की व्यवस्था के प्रति पूर्णतः अनुरूप था।[1] जबकि आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का तात्पर्य सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से है, जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो।[2] इस प्रकार, न्याय के अर्थ के अन्तर्गत विविध आदर्शों एवं मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। सामान्य जनजीवन में न्याय को नैतिक, उचित, निष्पक्ष तथा मूल्यपरक अवधारणा मानी गई है। अतः न्याय का आशय, सत्य नैतिक, सद्‌गुण तथा कर्त्तव्यपरायणता से भी माना जाता है।[3]

प्राचीन भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को सर्वप्रथम चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। यह समाज की वैदिक सामाजिक व्यवस्था थी। जिसमें चार वर्ण – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद के पुरूषसूक्त के दसवें मण्डल में मिलता है। इन चारों वर्णों की उत्पति आदिपुरूष के शारीरिक अंगों – मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरो से शूद्रों की हुई है।[4] इन वर्णो के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊँच नीच का व्यवहार नहीं था। वर्णों का आधार जन्म न होकर वृत्तिगत व्यवसाय था। वैदिक सामाजिक व्यवस्था में जाति का कोई अस्तित्व नहीं था। स्त्रीपुरूष को एक समान अधिकार प्राप्त थे। यज्ञ हवन में स्त्री की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं माना जाता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला जैसी विदुशी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने पुरूषों के साथ यज्ञ कर्म में सहभागिता ही नहीं निभाई, वरन् वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करते हुए यज्ञों में आहुतियाँ भी दी। स्त्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व था, परन्तु उन्हें पुरूषों के संरक्षण तथा नियंत्रण में रहना पड़ता था। विवाह के पूर्व कन्याओं को अपने पिता, पिता की मृत्यु होने पर भाई, विवाह उपरान्त पति तथा विधवा होने पर पुत्र के संरक्षण में रहना होता था। वैदिक समाज में बाल विवाह, पर्दाप्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं थी। स्त्रियों को व्यक्तित्व निर्माण तथा विकास की स्वतंत्रता प्राप्त थी। जो आदर्श सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है।

इस तरह वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में समाज के संगठनात्मक ढाँचे का मूल आधार थी। प्रारंभिक चरण के सुव्यवस्थित संचालन एवं सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली को अपनाना वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। समाज में ऊँच–नीच, छुआछूत जैसी दुर्भावना नहीं थी। मानवीय गुणों, स्वभाव व कर्मों के आधार पर वर्णों का कार्य–विभाजन करना समाजिक दृष्टि से नितान्त उचित था।

उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन में व्यापक बदलाव हुए। राज्यों के उदय तथा साम्राज्य विस्तार की भावना ने पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, तथा धार्मिक कर्मकाण्डों के कारण समाज में पूरोहितों का महत्व बढ़ने लगा था। समाज में व्यवसाय भी वंश आधारित होने लगे थे। शूद्र वर्ण पर धार्मिक व सामाजिक प्रतिबंधों की शुरूआत हो गई थी। जाति के उदय से समाज में ऊँच–नीच अस्पृश्यता तथा लिंगभेद प्रारम्भ हो गये थे। समाज वर्ण से वर्ग, वर्ग से जाति में बंटने लगा था। समाज में शूद्रों और स्त्रियों को हेय माना जाने लगा था। इस प्रकार सामाजिक न्याय की अवधारणा जो मानव मात्र के एक समान अधिकार, पद, प्रतिष्ठा तथा गरिमा पर आधारित थी, वो धीरे–धीरे क्षीण होने लगी थी। शूद्रों को अन्य के भृत्यों के रूप में जानने लगे थे। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर उन्हें यज्ञ तथा विद्यार्जन के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनको समाज में घृण्णा की दृष्टि से देखा जाने लगा था, लेकिन शूद्रों की महिलाओं को उच्च वर्णों द्वारा 'उपभोग्या' बनाने में ग्लानि और पाप का भय किंचित मात्र भी नहीं लगता था।

महाकाव्य युगीन समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। जहाँ शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। उन्हें न तो तपस्या का अधिकार था और ना विद्या अध्ययन के लिए गुरूकुलों में जाने का। रामायण में शम्बुक नामक एक शूद्र का उल्लेख हुआ है जो अनाधिकार तप के कारण राम के हाथों मारा गया। राम ने निशादराज तथा शबरी का आतिथ्य और केवट का अनुरोध स्वीकार करके सामाजिक समानता के सिद्धान्त को भी मजबूत किया है।

महाभारतकाल में शिक्षा एक समान नहीं दी जाती थी, परन्तु शांतिपर्व में बताया गया कि शूद्र–सेवकों का भरण पोशण करना ब्राह्मणों का दायित्व माना जाता था। राजा की मंत्रीपरिशद् तथा राजसूय यज्ञ के अवसर पर शूद्र प्रतिनिधि भी रखे जाते थे। महाभारत के शांतिपर्व में ही उल्लेख मिलता है कि चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार था। महाभारत में विदूर, मातंग, कायव्य आदि व्यक्तियों को, जन्मना शूद्र होते हुए भी एक समान माना जाता था।

महाकाव्यकाल में स्त्रियों की दशा हीन थी। समाज में बहुविवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन था। उच्च कुल के लोग अनेक पत्नियाँ रखते थे। उस समय नियोग व स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा जिसमें पति नपुंसक या बीमार होने पर पत्नि पर पुरूष के साथ संतानोत्पति के लिए सम्पर्क कर सकती थी। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को स्वनिर्णय का अधिकार था। इस तरह महाकाव्यकालीन व्यवस्था में मानवीय जीवन सत्य, तप, शील, मर्यादा तथा वचन पालन पर आधारित था। आमजन को विचार व्यक्त करने की आजादी थी। लोग अपने कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करते थे। गीता, महाभारत का अंग है। महाभारत का संदर्भ एवं युद्ध वस्तुतः सामाजिक न्याय का युद्ध है जिसे वहाँ धर्म युद्ध कहा गया है। वहाँ एक व्यक्ति, परिवार या वंश नहीं वरन् एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति अन्याय करता है और उसे मिटाने के लिए युद्ध होता है इसलिए यह धर्मयुद्ध न होकर सामाजिक युद्ध है।[5]

बौद्धकालीन सामाजिक व्यवस्था का आधार–स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व तथा सदाचार था। जिसमें मानव मात्र के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। मानव को उसके जन्म, वर्ण से नहीं अपितु उसके कर्मों से जाना जाता था। बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड तथा आडम्बर के खिलाफ था। सभी वर्ग को एक समान शिक्षा देने की बात करके सामाजिक न्याय की धारणा को ही मजबूत किया है।

जैन धर्म भी आडम्बर युक्त जीवनयापन के खिलाफ था। मानव को मोक्ष–प्रार्थनाओं, कर्मकाण्डों तथा बली देने से नहीं, वरन् नैतिक, आध्यात्मिक, अनुशासनपूर्ण जीवनयापन से मिलेगा। इसके लिए मानव को पाँच महान् व्रत–अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का पालन करके सामाजिक सद्भाव और शांति स्थापित की जा सकती है। जैन धर्म में न्याय का आधार वैयक्तिक आचरण तथा भाुद्धि है। जब तक मानव एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, दया नहीं रखेगा तब तक सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता। जैन–बौद्ध धर्म की दृष्टि में, तन, मन, वाक् की शुद्धि, शील, अहिंसा, मैत्री, बन्धुत्व तथा करूणा भाव सामाजिक न्याय की स्थापना के आधार सिद्ध होंगे।

गौतम बुद्ध ब्राह्मणवाद, जाति–व्यवस्था व दास प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए कई बातों पर बल दिया। वे हिंसा, निर्दयता, स्त्रियों पर अत्याचार, दुराचार, चुगलखोरी, कटु भाषा तथा प्रलाप के विरूद्ध थे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक गृहस्थ को माँ–बाप, गुरू, पत्नी, मित्र सेवक और संतों की सेवा करनी चाहिए। बैर को बैर से नहीं प्रेम से तथा क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। मनुष्य को अपने मन, वचन एवं कर्म को संतुलित रखकर जीवनयापन करना चाहिए।

स्मृतिकाल में स्मृतिकारों ने जब दण्डविधान बनाये तो कार्यों की उत्कृष्टता एवं निष्कृष्टता के आधार पर भेदभाव किया। ब्राह्मण को उत्कृष्ट मानकर दण्डविधान में छूट दी वहीं शूद्र को निकृष्ट मानकर उसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की, इससे ऊँच–नीच की भावना का जन्म हुआ। मनु के आदेशों का आधार भी प्रथाएँ व आचार ही है। वह यज्ञ तथा वर्ण को ईश्वर का आदेश मानते है।[6] इसलिए व्यक्ति को अपने वर्णानुसार निर्धारित सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वहन सर्वप्रथम और प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। उन्होंने वर्णों के मध्य ऊँच–नीच का भेद करके सामाजिक न्याय की धारणा का विरोध किया है। पवित्रता तथा अपवित्रा की धारणा हिन्दू धर्म की जड़ है।[7] इसके चलते हिन्दू धर्म में जातियों के बीच कई तरह की पाबंदियाँ–भोजन, विवाह, हुक्का पानी, यौन संबंध तथा अस्पृश्यता इत्यादि लग गई थी। अतः धर्म का काम समाज को वर्गों, जातियों, उपजातियों में बांटना न होकर सबको जोड़ना होना चाहिए।

कौटिल्य कालीन सामाजिक व्यवस्था का आधार भी वर्णाश्रम धर्म था। पर वह शूद्रों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करता है। धर्म राज्य का अदृश्य तथा सर्वोच्च कानून था। जिसके अन्तर्गत राजा सहित सभी नागरिकों को जीवनयापन और उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना होता था। नियमों के उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया जाता था।

शुक्र ने धर्म को सामाजिक जीवन में स्थिरता व उन्नति का मूल आधार माना है। जिस राज्य में सामाजिक जीवन, जन्मव्यवहार तथा राजकीय आचरण धर्म द्वारा नियंत्रित एवं नियमित होता हो, वहाँ सुख–समृद्धि, शांति तथा न्याय भावना का विस्तार होता है। शुक्र वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करता है, पर

कोई व्यक्ति रूचि व जीविकापार्जन हेतु कोई अन्य वृत्ति अपनाता है तो निंदनीय नहीं है। समाज में वर्गों के मध्य श्रेष्ठता तथा हीनता के आधार पर भेद करना उचित नहीं है।

मध्यकालीन भारतीय समाज, प्राचीनकाल में विकसित हुई सामाजिक संस्थाओं का ही विकसित रूप था। इस युग के जन–जीवन में जाति, कुटुम्ब, विवाह, सोलह संस्कार, दान–पुण्य, भजन–कीर्तन, तीर्थ जैसी परम्पराओं का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज में हिन्दू–मुस्लिम दो अलग–अलग समुदाय बन गये थे। दोनों के सामाजिक नियमों तथा व्यवहार में बहुत अंतर था। मुसलमानों में बराबरी और भाईचारे का सिद्धान्त था। जबकि हिन्दुओं में जाति–प्रथा और छुआछूत के कारण समाज में भारी असमानता थी।

भारत में सामन्तवाद के तत्व वर्णाश्रम व्यवस्था के ढाँचे के अन्तर्गत ही, उसे पूर्णतः नष्ट किये बिना विकसित हुए। और एक लम्बे अरसे तक वे दास प्रथा पर आधारित संबंधों से सम्बद्ध रहे, ठीक उसी तरह जैसे आदिम साम्यवाद के अवशेष वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर जारी रहे थे।

आरम्भ में हिन्दू–मुस्लिम धर्मों के अनुयायियों के मध्य टकराव व संघर्ष हुआ फिर धीरे–धीरे समन्वयवादी मार्ग अपनाते हुए एक–दूसरे के धर्म के रीति–रिवाज, पोशाकें, संगीत, पाक कला, विवाह संस्कार, तीज त्यौहार, दरबारी तहजीब को स्वीकारने लगे थे। हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने पर इस्लाम धर्म भी जातिवाद से ग्रसित होकर शरीफ जातों (उच्च जाति) और अजलाफ जातों (नीच जाति) में बंट गया।[8] भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आपसी टकराव, संघर्षों, कुरीतियों के चलते अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। गुलामी के दौरान भारतीय समाज संस्कृति तथा जीवन पद्धति में बदलाव का सूत्रपात होने लगा था। ईसाईयों का मानना था कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को एक समान रचा है तो फिर उनके साथ धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक न्याय का विरोध है।

मध्यकालीन भारत में सामाजिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक अन्याय अधिक हुआ। जाति, जन्म से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी थी। साम्प्रदायिक अलगाव, ऊँच–नीच, छुआछूत, अशिक्षा, राजनीतिक अधिकारों का अभाव, आर्थिक दरिद्रता ने सामाजिक वातावरण को दूषित कर दिया था। इन सब असमानताओं, अन्यायों पर मध्यकालीन चिन्तकों कबीर, नानक तथा भक्तिवाद, ने वेदों की पवित्रता व अकाट्यता का खण्डन किया। भक्तिवादी समाज के कार्यक्रम समूहवादी होते थे जहाँ सभी एक साथ बैठकर भजन–कीर्तन, पूजन तथा प्रसादी ग्रहण करते थे। यह सच है कि ईश्वर के घर में कोई भेद विभेद नहीं है देव (भगवान) भाव का भूखा है इस तरह के जयघोष किया करते थे, लेकिन तुम्हारी–हमारी भजन में एकता, भोजन में द्वयता, साथ एक, पाँत दो – ऐसी उनकी रूढ़ि थी।[9] इस आन्दोलन ने जातिवाद के श्रेणीक्रम को खत्म करने का प्रयास किया।[10]

ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक न्याय की धारणा को भारत में ईसाई धर्म, शिक्षा के प्रसार तथा शासन प्रशासन के नियमों के पालन से बल मिला। साथ ही सामाजिक न्याय को लोकसेवकों, न्यायिक प्रक्रियाओं, संचार, विज्ञान व कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया।[11]

19 वीं सदी में ब्राह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की धारणा के साथ देशभक्ति व राष्ट्रवाद के विचार भी जुड़ गये अर्थात यह भावना जागृत हुई कि जाति, धर्म व रंग के भेदभाव के बिना हम सब भाई–भाई है। सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। देवेन्द्रनाथ टैगोर, केशवचन्द सेन, रानाडे और बकिमचन्द चट्टोपाध्याय का भी मानना है कि समाज में प्रचलित असमानताओं की प्रवृत्तियों को खत्म कर मानव–मानव के मध्य एक समान व्यवहार होना चाहिए। मानव में ईश्वरीय गुण होने के कारण सभी जन एक समान है। जो बुराईयाँ व्याप्त है उन्हें दूर किये बिना राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है।

दयानंद सरस्वती ने सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं–जातिवाद, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, ब्राह्मणवाद मूर्तिपूजा, अंग्रेजी शिक्षा, अस्पृश्यता को खत्म करने का आव्हान किया था। जातिवाद हमारी सामाजिक राजनीतिक एकता के लिए बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने शुद्धि आन्दोलन द्वारा अस्पृश्यों, जो ईसाई, मुसलमान, हिन्दू धर्म छोड़ गये थे उनके लिए पुनः अपने धर्म में लौटने का मार्ग प्रशस्त किया। विवेकानन्द ने भी हिन्दू समाज में प्रचलित वर्ण–धर्म, जांत–पांत के नियमों को उदार बनाने तथा अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की बात कही है।

पिछड़ी जाति से सम्बन्धित ज्योतिबाफुले ने ब्राह्मणवाद, जातिवाद, लैंगिक असमानता के विरूद्ध आवाज ही बुलन्द नहीं की, अपितु ब्राह्मणों के प्रभुत्व को कम करने के लिए दलित, वंचित बालक–बालिका शिक्षा पर जोर दिया। वे पहले विचारक थे जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए पूना में विद्यालय खोलकर स्त्री पुरूष समानता की बात की। भारतीय स्त्री को शिक्षा प्रदान

करके उनके लिए आत्मोन्नति का मार्ग खुलवाना और शूद्रों तथा अतिशूद्रों को शिक्षा प्रदान कर सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक विशमता नष्ट कर, उन्हें अपने पैरो पर खड़ा करने का ज्योतिराव का आधुनिक भारत में सामाजिक अन्याय खत्म कर समता स्थापित करने का महान संदेश था। बांग्ला के शशिधर बंधोपाध्याय, महाराष्ट्र के गोपाल बाबा वलंगकर द्वय ने अस्पृश्यता समाप्ति का कार्य किया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता देवनिर्मित न होकर मानव निर्मित है इसलिए अस्पृश्यता जैसी मानवीय कुरीति का पालन अस्पृश्यों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है।

श्री नारायण गुरू स्वामी ने 20 वीं सदी के आरम्भ में सामाजिक सुधार व समानता स्थापित करने के लिए 'दलित मुक्ति आन्दोलन' की शुरूआत की थी– जिसके सिद्धांत थे– एक जाति, एक ईश्वर, और एक धर्म। इसकी तरह रामस्वामी नायकर ने 'सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेन्ट' चलाकर अपने अनुयायियों को बताया है कि ब्राह्मण पुरोहित के स्थान पर दलित पुरोहित रखे। 'द्रविण कजगम' आन्दोलन के समर्थकों ने हिन्दू संस्कृति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दी भाषा के स्थान पर द्रविण संस्कृति द्रविण धर्म तथा द्रविण भाषा को अपनाने पर जोर दिया। फलतः भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में धार्मिक कट्टरवाद का उद्भव हुआ। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के परिणामस्वरूप सामाजिक स्तर पर भी भारतीयों में पारस्परिक विरोध, टकराव व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

बीसवीं सदी के दो महान समाज सुधारक महात्मा गाँधी और बी.आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता संघर्ष के साथ–साथ भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। गाँधी वर्णाश्रम धर्म के समर्थक होते हुए भी जातिवाद व छुआछूत के खिलाफ थे। वे अस्पृश्यता को कृत्रिम, मानवकृत संस्था मानते थे। यह प्रथा हिन्दू समाज के लिए अभिशाप अथवा कोढ़ है।[12] उनका लक्ष्य 'सर्वोदय समाज' की स्थापना करना था– जिसमें सभी उन्नत, खुशहाल, तथा सबके साथ न्याय हो। सर्वोदय समाज की स्थापना के मार्ग में जातिवाद, नारी व दलित असमानता, अस्पृश्यता, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, साम्प्रदायिकता तथा धर्मान्तरण बाधक है। वे एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो सामाजिक समन्वय, सत्य, अहिंसा, सेवा भावना, आत्मनिर्भरता, परोपकार पर आधारित हो। जिसमें मानव मात्र के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। सामाजिक दृष्टि से कोई भी काम ऊँचा या नीचा नहीं है। यदि मानव का भला होता है, तो पूरे समाज का भला होगा। एक वकील का कार्य उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक नाई का क्योंकि सभी को अपने कार्यों से जीविकापार्जन का समान अधिकार है। सामाजिक समस्याओं का समाधान रचनात्मक कार्यक्रम, सत्याग्रह व हृदय परिवर्तन से होगा, तभी आदर्श समाज की स्थापना होगी, जो सत्य, अहिंसा तथा स्वतंत्रता, समानता व न्याय पर आधारित होगी जहाँ व्यक्ति के श्रम को महत्व दिया जायेगा, जाति, धर्म को नहीं। गाँधी की समन्वयवादी सोच तथा अछुतोद्वार द्वारा भारतीय समाज को विखण्डित होने से ही नहीं बचाया, अपितु सामाजिक न्याय की धारणा को भी मजबूत किया है।

अम्बेडकर ने अपने अनुभव तथा अध्ययन के उपरान्त यह पाया कि भारतीय समाज में व्याप्त समस्त बुराईयों की जड़ जाति–प्रथा है। जाति–प्रथा को खत्म कर दिया जाय तो हिन्दू समाज में विद्यमान समस्त बुराईयाँ भी खत्म हो जायेगी। ये प्रथा न्याय व समता के प्राकृतिक एवं प्रजातांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। पर हजारों सालों से प्रचलित जाति–प्रथा को रातों–रात खत्म नहीं किया जा सकता। ये ईटों की दीवार या कटीले तारों की लाइन नहीं है जो हिन्दुओं को आपस में मिलने से रोकती हो जिसे तोड़ना जरूरी हो। यह एक धारणा तथा मनस्थिति है जिसका आधार धार्मिक है।[13] इस जाति–प्रथा को खत्म करने के लिए अम्बेडकर, ने अन्तर्जातीय सहभोज की बजाय अन्तर्जातीय विवाह को वास्तविक उपचार माना था। रक्त मिश्रण से स्वजन, आत्मीय मित्र होने का भाव पैदा होता है। जिससे ऊँच–नीच, अस्पृ" यता परायापन की भावना समाप्त होकर सामाजिक न्याय की भावना पैदा होती है।

किसी व्यक्ति को उसके किसी जाति विशेष में जन्म लेने के कारण अस्पृश्य घोषित कर उसे समस्त मानवीय अधिकारों से पृथक और बहिस्कृत करने की अमानवीय, अन्यायपूर्ण तथा अत्याचार पर आधारित छुआछूत प्रथा का एक मात्र उदाहरण भारतीय समाज है। सदियों से प्रचलित इस प्रथा के कारण हिन्दू समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को समस्त प्रकार के अधिकारों, योग्यताओं तथा अवसरों से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने अछुतावस्था को भाग्य या प्रारब्ध कर्मों का फल मानने से इंकार करते हुए इस प्रथा के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। भारतीय समाज में विद्यमान अस्पृश्यता जैसी क्रूर, बर्बर तथा आततायी प्रथा को समाप्त कर वे समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। सामाजिक न्याय की धारणा को व्यावहारिक रूप देने के लिए अम्बेडकर का मानना

था कि हिन्दू धर्म का केवल एक प्रामाणिक धार्मिक ग्रन्थ हो, पूरोहित के व्यवसाय का वंशानुगत आधार समाप्त हो, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं, कारकों तथा धर्मशास्त्र को समाप्त किया जाय। दलित वर्ग में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दलितों के समान ही वे कानून द्वारा स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। उनका नारा था– एकता, शिक्षा, आन्दोलन। अतः स्त्रियों के सहयोग के बिना एकता अर्थहीन है, स्त्रियों की शिक्षा के बिना शिक्षा फलहीन है और स्त्रियों की शक्ति के बिना आन्दोलन अधूरा है। वे समाज के सभी वंचित वर्गो – दलित एवं स्त्री को स्वतंत्र भारतीय समाज में बराबरी का हक दिलाने को कृतसंकल्प थे।

भारतीय संविधान सभी जातियों, पंथों और समुदायों के लोगों में यह भावना जागृत कर रहा है कि यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, वि" वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर समानता, सुलभ एवं सुरक्षित हो, तथा व्यक्ति की गरिमा और एकता–अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाकर हमारे देश को प्रभुत्व सम्पन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए जाए।[14] हमारे देश के संविधान की उदेशिका में स्पष्ट कर दिया है कि संविधान का मूल आधार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता है। मानव मात्र के साथ जाति, धर्म भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इन मूल अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण–पोषण देकर, सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय अतित की भूल या गलती के सुधार का कार्यक्रम बन गया है। इसके आधार पर समाज के शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्गो को सरकारी सेवाओं में 'आरक्षण' देकर सामाजिक न्याय के मुद्दे का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है, लेकिन आरक्षण प्रणाली ने समाज को दो भागों में आरक्षित और अनारक्षित वर्गों में बांट कर सामाजिक समन्वय को ही समाप्त किया है। अतः आज आवश्यकता है कि समाज में वास्तविक रूप से गरीब वर्ग को राज्य द्वारा सहायता देकर न केवल सामाजिक न्याय अपितु आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करके भारत को एक समातमूलक राष्ट्र बनाना है, जहाँ सबका साथ, सबका विकास हो।

सन्दर्भ :–

1. इंटरनेशनल एनसाईक्लोपीडिया ऑफ सोशल सांइसेन्स, खण्ड आठ, पृ. 341
2. सुभाष कश्यप, विश्व प्रकाश : राजनीति कोष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2004, पृ. 210
3. डी.डी. राफेल : प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉस्फी, मैकमिलन, 1977, पृ. 105
4. के. दामोदरन् : भारतीय चिन्तन परम्परा, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001, पृ. 64
5. दिलीप, सक्सेना : 'सामाजिक न्याय की अवधारणा– एक दार्शनिक विश्लेषण' जर्नल ऑफ फिलोसाफिकल स्टडीज, दर्शन शास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, 2006–07, पृ. 53–55
6. राधा कृष्णन् : भारतीय दर्शन, खण्ड एक, राजपाल, दिल्ली, 2010, पृ. 422
7. एम.एन. श्रीनिवास : आधुनिक भारत में जाति, रश्मि चौधरी (अनु.), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृ. 157
8. उपर्युक्त 4, पृ. 300
9. धनंजय, कीर : डॉ0 अम्बेडकर लाइक एण्ड मिशन, पॉपुलर प्रकाशन, मुम्बई, 2005, पृ. 03
10. नरेश, दाधीच : महात्मा गाँधी का चिन्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014, पृ. 164
11. डी.आर. जाटव : सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1993, पृ. 39
12. पीटर, गोंसाल्विस : खादी गाँधी का क्रान्ति का महाप्रतीक, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. 128
13. बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड एक, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2014, पृ. 21
14. सुभाष सी. कश्यप : अवर कॉस्टीट्यूशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, 2010, पृ. 54–55

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

जैविक खेती की संभावनाएँ : एक अनुशीलन

आभा कुमारी
शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार)

किसी भी देश या समाज के आर्थिक विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम इतिहास का अवलोकन करें तो पता चलता है कि विकास का आधारभूत स्तम्भ कृषि ही रहा है। आज के विकसित देशों जैसे इंगलैण्ड, फ्राँस, स्वीडन, बेल्जियम आदि में आत्मस्फूर्ति का आधार कृषि उत्पादकता की बढ़ी हुई दर थी। एशिया के देशों में जापान ने सर्वप्रथम कृषि विकास को ही प्राथमिकता दिया और बुनियाद कृषि क्षेत्र द्वारा ही रखी गई है। भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि भारतीयों का जीवन दर्शन है। कृषि रोजगार का साधन तथा राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्त्रोत है। इसलिए नीति आयोग ने यह स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों तक भारत का विकास कृषि पर ही निर्भर करेगा। यह परम्परागत व्यवसाय है, प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान–प्रदान का चक्र (पारिस्थितिकी तंत्र) निरंतर चलता रहता था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। परन्तु बदलते परिवेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है जिससे जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है साथ–ही–साथ पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरन्तर उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरन्तर टिकाऊ खेती के सिद्धान्त पर खेती करने की सिफारिश की गई है। जिसे प्रदेश के कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसे जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है, अर्थात् जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। इसलिए आज जैविक खेती की पूरी दुनिया में भूमिका एवं महत्त्व बढ़ती जा रही है, जिसका आर्थिक विकास में योगदान है – जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ के कुछ राज्य ऐसे हैं, जहाँ कृषि की प्रधानता है। विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन की विविधता है। भौगोलिक परिवेश और भूमि की बनावट के अनुसार खाद्य और व्यावसायिक फसलें उगायी जाती है, जिनके द्वारा भारत ने कृषि क्षेत्र में सराहनीय प्रगति किया है। देश खाद्यान्न की कमी से निकलकर न केवल आत्मनिर्भर बना है, अपितु आपातकालीन परिस्थितियों से निबटने के लिए खाद्यान्न के प्रचुर भंडार सुरक्षित कर लिये गये हैं, तथा निर्यात की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में बिहार एक ऐसा राज्य है जो मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था पर अवलम्बित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 93.60 लाख हेक्टेयर है। इसमें कृषि क्षेत्र भूमि का क्षेत्रफल 56.03 लाख हेक्टेयर है जिसमें सामान्यतः खेती की जाती है। राज्य के बँटवारे के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित हो गई है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य की कुल सकल आय में कृषि का योगदान 43.08 प्रतिशत है। राज्य की करीब 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में बसती है, जबकि राष्ट्रीय आँकड़ा 70 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि बिहार में जनसंख्या की अधिक निर्भरता कृषि पर ही है। यहाँ 86 प्रतिशत किसान हैं, जो कृषि पर ही अवलम्बित हैं। यह रोजगार का सबसे बड़ा साधन है और चीनी, तम्बाकू, पटसन आदि के कच्चे माल का उत्पादन करता है। बावजूद इसके बिहार कृषि में एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित और दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित

है। खाद्य फसलों की उत्पादकता अन्य राज्यों से काफी कम है। बिहार की कृषि अनेक समस्याओं से ग्रस्त है।

बिहार की कृषि में निम्न उत्पादकता के साथ दो समस्याएँ हैं – एक तो खाद्यान्नों की उत्पादकता हरित क्रांति के साथ बढ़ा किन्तु रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की मृदा शक्ति तीव्र गति से ह्रास होता जा रहा है और दूसरा पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने से कृषि उत्पादन में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो रही है इसके प्रभाव से अतिवृष्टि और अनावृष्टि हो रही है। इसके साथ–साथ इसके 38 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 22 जिले उग्रवाद एवं सूखे से प्रभावित हैं। शेष जिलों में कहीं सिंचाई नहीं है तो कहीं किसान निर्धन हैं जो उत्पादन हेतु पूँजी नहीं जुटा पाते हैं। अतः बिहार को विकसित करने के लिए जैविक खेती एक आवश्यक कदम होगा, क्योंकि बिहार में ऐसी खेती विकास की असीम संभावनाएँ हैं। बिहार का हिमालय उप–पर्वतीय का तराई क्षेत्र तथा गंगा का मैदानी इलाका कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। बिहार में जैविक खेती के अच्छे प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय उत्पादकता के ऊपर लाया जा सकता है। बिहार में प्रचुर जल संसाधन मौजूद हैं जिससे कृषि लायक भूमि को सिंचित बनाया जा सकता है। जैविक उत्पादों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सड़कों और बिजली के रूप में मजबूत आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाना चाहिए। यह रेशम का कीड़ा (सेरीकल्चर), मखाना, जैट्रोफा, लेमनग्रास, हर्बल जिसके प्रसंस्करण के लिए जाल बिछाए जाने की जरूरत है। उत्तर बिहार में तो मखाना और मछली पालन की असीम संभावनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त बिहार को विकसित बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन, मशरूम आदि को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि इसके निर्यात से आय प्राप्त होंगे।

इसलिए बिहार में जैविक खेती विकास की समस्याओं और संभावनाओं को उद्घाटित करने के लिए शोध कार्य हेतु चुनाव किया गया है, जिसमें बिहार में जैविक खेती के साथ विशिष्ट क्षेत्र का चयन गया जिला चुना गया है। इस अध्ययन का महत्त्व इसलिए है कि बिहार के आर्थिक विकास में सामान्यतः कृषि की ही भूमिका अधिक हो सकती है, किन्तु जैविक खेती के विकास की संभावनाएँ है। इसका कारण यह है कि बिहार से अलग झारखण्ड राज्य बन जाने के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था विभाजन की प्रसव वेदना से कराहने लगी, क्योंकि 67 प्रतिशत राजस्व स्त्रोत झारखण्ड में चले गये और 33 प्रतिशत बिहार के पास रह गये। कुल आबादी का 65 प्रतिशत बिहार में मात्र 35 प्रतिशत झारखण्ड में गया। अर्थात् आय के स्त्रोत उधर और उपभोक्ताओं का विशाल समूह इधर। कल–कारखाने, बहुमूल्य लकड़ियों का जंगल झारखंड के हिस्से में गया तो बिहार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनकर रह गया जो कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ से तबाह रहती है। इसलिए बिहार का आर्थिक विकास कैसे होगा – यह चिंतनीय विषय है ? ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि कृषि विकास की संभावनाओं को ढूँढ़ना होगा। भले बिहार रत्नगर्भा वसुंधरा से वंचित हो गया, किन्तु शस्य श्यामल वसुंधरा तो बिहार के पास है। अगर खनिज और वन सम्पदा बिहार के पास नहीं है तो क्या हुआ, जल सम्पदा तो इसके पास है जिसका सदुपयोग कर सिंचाई के स्त्रोत विकसित होंगे, विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा, मत्स्यपालन और मखाना के खेती जैसे अधिक लाभदायक धंधे भी विकसित होंगे। कृषि विकास को केन्द्रबिन्दु मानकर विकास की रणनीति तैयार करना होगा। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि बिना मृदाक्षरण और पर्यावरण, प्रदूषण के जैविक खेती को बढ़ावा दें।

इस प्रकार बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती है। लेकिन विडम्बना यह है कि बिहार की कृषि पिछड़ी हुई है। यहाँ यथार्थ नहीं, बल्कि मिथ्या कृषि हो रही है। यथार्थ कृषि वह है जिसमें निर्माण कार्य किया है। संचयात्मक तथा विकासशील प्रयासों द्वारा कृषि संबंधी सभी आधारभूत वस्तुओं को उन्नतशील बनाया जाता है। इसके विपरीत भूमि एवं अन्य साधनों का सदुपयोग नहीं, बल्कि बर्बाद किया जाता है। यह मिथ्या कृषि है। कृषि में विविधता को नहीं अपनाकर केवल भरण–पोषण की कृषि से

विकास नहीं किया जा सकता। बागवानी, बगीचे, फल–फूल की खेती आदि से आय प्राप्त कर विनियोजक पूँजी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ पशु धन की कमी और यंत्रों के कम प्रयोग से बिहार कृषि विकास में पीछे हैं जिसका सही अर्थ है बिहार आर्थिक विकास में पीछे है।

अतः धनी आबादी, सिकुड़ता जमीन, वर्षा की अनिश्चितता, बाढ़ और सूखा, नवीन कृषि पद्धति को नहीं अपनाया जाना, गरीबी, मजदूरों का पलायन जैसे कारक तो कृषि विकास को प्रभावित कर ही रहे हैं। अतः जैविक खेती विधि को अपनाकर रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाईयों के प्रयोग को कम करके भूमि की उर्वरा शक्ति के क्षरण को रोका जा सकता है। इसमें फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। निर्यात व्यापार में यह काफी सहयोगी होगी, क्योंकि विश्व में जैविक उत्पादनों का बाजार काफी बढ़ा है। अतः खाद्यान्नों से उत्पन्न जहरीली संश्लेषित अनाजों के प्रभाव को कम करने, मृदा संरक्षण तथा बिहार आर्थिक विकास को प्रगति के पथ पर अग्रसित करने के उद्देश्य से बिहार के कृषि विकास में जैविक खेती की संभावनाएँ अधिक है।

संदर्भ–सूची :–

- कौशिक, एस० डी० : संसाधन भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ बिहार आर्थिक परिदृश्य का वार्षिक सम्मेलन, वोल्यूम–2001, 2003, 2012
- पंडित, बाढ़ू एवं गुप्ता, अनिल कुमार : बिहार का भौगोलिक अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2006
- प्रसाद, जगदीश : बिहार–डाइनोमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पटना।
- झा, उग्रमोहन : एग्रीकल्चर इन बिहार इन द पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशंस, भागलपुर।
- सिन्हा, वी० एन० पी०; नजीम, एम० तथा अहमद, फिरोज : बिहार – लैंड, पीपुल और इकोनॉमी, राजेश पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
- राय, एल० एम० : इकोनॉमी ऑफ बिहार, नव विकास प्रकाशन, पटना।
- मिश्र, चतुरानन : बिहार की प्रसव वेदना, बुकलेट फार्म।
- मिश्र, जगन्नाथ : 20 मार्च, 2006 को तारामण्डल पटना सभागार में 'कृषि विकास और विविधिकरण' पर प्रस्तुत किया गया आलेख।
- आर्थिक सर्वेक्षण (बिहार) तथा बिहार विकास यात्रा, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित।
- स्वामीनाथन, एम० एस० : प्रतिवेदन राष्ट्रीय कृषि आयोग, वार्षिक बजट 2016–17, 2018–19

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 2, No. : 2, March - 2020
2020

जनजातीय संस्कृति और भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ (बैगा समुदाय के सन्दर्भ में)

प्रियंका परस्ते
शोधार्थी, हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

जनजातीय संस्कृति और भूमंडलीकरण :– विश्वास, परम्पराओं और मूल्यों के संग्रह को संस्कृति कहते हैं जिसे समाज क्रमशः अपनी परिपूर्णता के दौरान प्राप्त करते हैं और मनुष्यों की पीढ़यॉं मूल्यवान धरोहर के रूप में उन्हें अपने बाद वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाती है। हर समाज की व्यवस्था उसी समाज की मूल्यवान संस्कृतियाँ होती है। दूसरी ओर भूमंडलीकरण वह चीज है जिसने आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है भूमंडलीकरण की एक चुनौती विभिन्न समाजों और संस्कृतियों पर प्रभाव डालना है। आज राष्ट्रों की संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट हो जाना सूचना के आदान–प्रदान और तकनीक, कम्प्यूटर तथा सेटेलाइट में विस्तार का परिणाम है।

प्राचीन समय से मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति का केन्द्र होने के नाते एशिया महाद्वीप को विश्व वासियों के मध्य विशेष स्थान प्राप्त हो रहा है। इस महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण विशेषता ईरान, चीन, भारत और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों व सभ्यताओं का होना है, जो अपने भीतर राष्ट्रीय जातीय, धार्मिक और वैचारिक विविधता लिये हुए है। अतः भूमंडलीकरण इस दौर में मूल्यों की सुरक्षा और एशियाई संस्कृति के स्थान को उठाना संस्कृति के इस कानून की अद्वितीय विशेषताओं व योग्यता की सही पहचान पर निर्भर है।

अतः हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण आ अर्थ उन बहसों में से है जिसके बारे में विस्तृत पैमाने पर चर्चा किये जाने के बावजूद उसका अर्थ अब भी अस्पष्ट है परंतु इसके अर्थ के संबंध में पाई जाने वाली अस्पष्टता कुछ क्षेत्रों में कम तो कुछ क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। संस्कृति, भूमंडलीकरण के जटिल व चर्चा योग्य विषयों में से हैं जिसका हर पहलू से समीक्षा की जा सकती है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि भूमंडलीकरण की दिशा में यही चीज रूकावट भी है।

जब हम गहन व सूक्ष्म दृष्टि से मानव इतिहास को देखते है तो पाते हैं कि संस्कृतियों में पूर्ण टाइल्स के टुकडों की भांति एक दूसरे से अलग व भिन्न रहने के बजाय एक दूसरे से मिलन का रूझान पाया जाता है। यह ऐसी स्थिति में है जब हम जाने है, कि विश्व सामाजिक ढाँचे में हर संस्कृति एक दूसरे से भिन्न कारणों से अस्तित्व में आई हैं, और संस्कृति के अलग होने का अर्थ उनकी पहचान का भिन्न होना है और पूरे इतिहास में संस्कृतियों की पहचान जितना अधिक स्पष्ट हुई है उनके मध्य एक दूसरे की ओर रुझान भी अधिक था तथा मनुष्यों ने विभिन्न शैलियों से एक दूसरे संस्कृति आदान–प्रदान पर ध्यान दिया।

अतः हम कह सकते है कि इस समय मानव समाज ऐसी स्थिति में है कि जब लगभग छोटे बड़े समस्त तत्व विभिन्न स्तर पर परिवर्तित हो रहे है। यह मध्य संस्कृति हैं, जो मानव जीवन के दूसरे विषयों से अधिक प्रभावी व व्यापक है और परिवर्तित हो रही है।

संस्कृति और संस्कृति के भूमंडलीकरण के संबध में संस्कृति शास्त्रियों ने चार दृष्टिकोण प्रस्तुत किये है प्रथम समूह का मानना या कहना है कि भूमंडलीकरण के कारण समस्त संस्कृतियाँ धीरे–धीरे एक हो जायेगी और विश्व में एक संस्कृति रहेगी जब कि दूसरे समूह का कहना हैं कि भूमंडलीकरण, विश्व में मौजूद परिस्थिति के स्थित तथा छोटी संस्कृतियों के मजबूत व सुदृढ़ के संबंध में भूमंडलीकरण के क्षेत्र में ध्यान योग्य प्रगति नहीं होगी और एक संस्कृति के साथ बहुसंस्कृति भी होगी जब कि चौथे समूह का कहना है कि भूमंडलीकरण संस्कृतियों के बिखर जाने का कारण बनेगा और उसकी सीमाएं एक दूसरे से मिल जायेगी। जो कुछ इस समय दिखाई दे रहा है वह इस बात का सूचक है कि पश्चिमी यह चाह रहे है कि भूमंडलीकरण उस तरह से हो जिस तरह से हम चाह रहे हैं, यानी विश्व की सारी संस्कृतियों पर हमारी संस्कृति हावी हो जाये जब कि उनकी इच्छा बहुसंस्कृति के सिद्धांत से मेल नही खाती है अब समय आ गया हैं कि सरकारे विश्व में मौजूद छोटी बड़ी संस्कृतियों को सुरक्षित एवं मजबूत बनाये।

राष्ट्रों व कौमों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में समानताओं को पैदा और उन्ही समानताओं के आधार पर सम्पर्क को मजबूत करना भूमंडलीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण एवं सही कार्य है अतः इन्ही दोनों बातो को ध्यान में रखकर शांति, हिंसारहित और मनुष्यों के मध्य शांतिपूर्ण भविष्य की कामना की जा सकती है।

बैगा समुदाय के संदर्भ में :– मध्यप्रदेश के आदिवासी संसार में विविध रंग है जितनी जनजातीयाँ

उतनी ही घटनाएँ। प्रत्येक जनजाति की अलग जीवन शैली है। इन जनजातियों में एक है बैगा जनजाति जो मैकल पर्वत की गहन गिरी कंदराओं घाटियों तथा नर्मदा नदी के किनारे निवास करते हैं मानव शास्त्रियों के मतानुसार बैगा समूह की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। बैगा जनजाति के लोग बेहद सरल और सीधे होते है ये अपने आप को भूस्वामी और जंगल का राजा बताते है बैगा औषधि के ज्ञाता होते है इन औषधियों के उपयोग से कई प्रकार की बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन ये औषधि वो जंगल से प्राप्त करते है लेकिन वो भी अब इन से छीन लिये गये है। जिससे इनके जीवीकोपार्जन एवं आहार संस्कृति में बदलाव आया है। यह विविधता उनके आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ गया है अतः ये कहना उचित होगा इन पर भी भूमंडलीकरण का प्रभाव है।

(1) वन की समस्या – बैगा आदिवासी एवं वन के बीच में बहुत गहरा संबंध है आदिवासी संस्कृति जंगल में ही विकसित हुई है। ये लोग जंगल से ही खाद्य संकलन करते हैं। इनके जीविका के साधन जंगल ही है वहीं से लघु वन उपजों का संकलन कर बाजार में विनियम करते है और औषधी गुण वाले पेड़–पौधों से दवा बनाते है पर सर्वप्रथम 1894 में नई वन नीति बनाई गई थी। इस नीति के माध्यम से वन संपदाओं पर जनजातियों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं में कटोती की गई है इस नई नीति के कारण लोग जंगल के राजा से जंगल मजदूर बन गए और ये सब भूमंडलीकरण का ही प्रभाव है इसमें कोई राय नही है।

(2) ऋणग्रस्तता की समस्या – बैगा जनजाति के लोग ऋण ग्रस्तता की समस्या से जूझ रहे हैं। इनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई हैं, जिसके कारण उनके मन में भूमि हीनता उत्पन्न हो गई। कृषि योग्य भूमि के अभाव के कारण उपज अच्छी नहीं होती है। काम और मजदूरी तो मिलती है, पर इन्हें अपना अधिकार पता नही होता, जिससे इनका शोषण होता है। ये भूमंडलीकरण नहीं तो और क्या है। सेठ साहुकार लोग इनसे काम तो बहुत लेते हैं पर उचित दाम नहीं देते जिससे इन्हें ऋण लेना पड़ जाता है।

बैगा जनजाति के लोगों को अनाज व्यापारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। ये लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त अनाज का उत्पादन नही कर पाते हैं। अतः इन्हें अनाज व्यापारियों के यहाँ से अनाज खरीदना पड़ता है और अगर पर्याप्त पैसा नही हो तो कर्ज के रुप में लेना पड़ता है, जिसका वो व्यापारी लाभ लेते हैं तथा कभी इनकी महिलाओं का यौन शोषण भी करते हैं साहूकारों से अच्छे संबंध रखने के कारण ये कुछ नहीं बोलते क्योंकि बैगा समुदाय के लोगों को तेल, साबुन तथा भोज, पर्व, उत्सव, विवाह अथवा मृत्यु के लिए भी साहुकारों पर आश्रित होना पड़ता है। ये भी भूमंडलीकरण का ही प्रभाव है।

आबकारी अधिकारियों के साथ संबंध – बैगा जनजाति के लोगों को आबकारी अधिकारियों से भी संबंध रखने पड़ते हैं। क्योंकि इनके रोज की दिनचर्या में शराब शामिल होता है जो महुआ के फूल से ये स्वयं निर्माण करते है जो प्रायः सभी घरों में बनती है ये आबकारी अधिकारी भी इनका बहुत शोषण करते है।

वन ठेकेदार से भी अच्छा संबंध पड़ता है क्योंकि बिना जंगल के ये अपने जीने की कल्पना नही करते। वन उपजों को खरीदने तथा बेचने का काम वन ठेकेदार के माध्यम से करते है जैसे– तेन्दुपत्ता, लाह, मोम, बाँस, ईंधन, लकड़ी इमारती, लकड़ी गोंद, जड़ी–बुटियाँ जो सिर्फ ये जानते है जिसकी कीमत इनकों कम मिलती है यही बजारीकरण हुआ है जो कि भूमंडलीकरण है।

(3) औद्योगीकरण और नगरीकरण – भारत में औद्योगीकरण का प्रभाव सम्पूर्ण जन जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो चुका है ऐसे में बैगा जनजाति इससे अछूती कैसे रह जाती है। इससे बहुतायात में इनकी संस्कृति प्रभावित हुई है, नयापन आया है इनके जीवन में यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे है जिन्हें अपनी संस्कृति को बताने में उनको शर्म महसूस होने लगी है तो हम भी कह सकते है कि इनकी संस्कृति का पतन हुआ है।

(4) सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव – भूमंडलीकरण पारिवारिक संरचना को भी बदलता है। अतीत में जाकर देखे तों इन जनजातीय समाजों में संयुक्त परिवार का चलन था। अब इनका स्थान एकांकी परिवार ने ले लिया है खान–पान की आदतें, त्यौहार, समारोह भी काफी बदल गये है। जन्मदिन, महिला दिवस, मई दिवस समारोह, फस्ट फूड रेस्तराओं की बढ़ती संख्या और कई अंर्तराष्ट्रीय त्यौहार भूमंडलीकरण के प्रतीक है। भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पहनावे में देखा जा सकता है समुदायों के अपने संस्कार परम्पराएँ और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे है।

अतः यह कहना उचित होगा कि ये भूमंडलीकरण के कारण ही हुआ है कोई भी समाज या संस्कृति इससे अछूति नही है, सब में बदलाव आया है।

निष्कर्ष :– भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का संबंध भारतीय समाज के किसी विशेष जाति अथवा जनजाति से ही नही है, बल्कि पश्चिमीकरण के माध्यम से ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण

परिवर्तन लाए गए तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् भी उन सामाजिक परिवर्तनों को गति प्रदान की गई। ब्रिटिश शासनकाल में नई तकनीक, संस्था, ज्ञान, विश्वास एवं मूल्यों का विकास किया गया। नई तकनीक तथा संप्रेषण क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासकों द्वारा राष्ट्र के सभी भागों को जोड़ने को प्रयास किया गया। 19 वीं सदीं में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना की गई जिसके अंतर्गत भूमि सर्वे, भूमि लगान, आधुनिक अफसर शाही, नौकर शाही, सैनिक, पुलिस, कचहरी, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, रेल, डाक, टेलीफोन, टेलीग्राम, प्रेम आदि की स्थापना की गई। इन नई व्यवस्थाओं के कारण भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवर्तन आये और भूमंडलीकरण, बाजारीकरण का आरंभ हुआ। अब समय आ गया है कि सरकारे विश्व में मौजूद छोटी–छोटी बड़ी संस्कृतियों को सुरक्षित एवं मजबूत बनाये तथा दूसरों को यह बताये और उन्हें प्रोत्साहित करे कि ये संस्कृतियाँ मनुष्य की मूल पूँजी व धरोहर है और भाषाई, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक सिद्धांतो को मजबूत बनाये।

संन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. वसन्त निरगुणे का (2012) लोक संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल,
2. डॉ. शिवकुमार तिवारी (2010) मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति (म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी)
3. विजय शंकर उपाध्याय, विजय प्रकाश शर्मा (2009) भारत की जनजातीय संस्कृति मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल,
4. बुलेटिन (जनवरी 06 जून 06) संपादक डॉ. कल्पना जैन, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान म.प्र. शासन।
5. hindi.irib.ir.../39467 संस्कृति–और–भूमंडली....